न्यायालय की गिरती गरिमा

(देश का दुर्भाग्य)

अन्याय

प्रकाशक व मुद्रक :-
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य
(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर-राजनीतिक संस्था है।)

पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए
सम्पर्क सूत्र :- 9992373237, 9416296541, 9416296397, 9813844747

विषय सूची

1. न्यायालय की गिरती गरिमा का प्रमाण - 1
2. जज राजेन्द्र कुमार बिश्नोई का भ्रष्टाचार - 7
3. अन्य जज के भ्रष्टाचार की कथा - 8
4. जज श्रीमति निर्मला यादव का भ्रष्टाचार - 9
5. जज श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन कोर्ट रोहतक के भ्रष्टाचार की कहानी - 9
6. 12 भ्रष्ट जजों को अनिवार्य सेवानिवृती - 10
7. जज श्री सुशील कुमार गुप्ता का भ्रष्टाचार - 18
8. सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायत पत्र - 28
9. जज सविता कुमारी के भ्रष्टाचार का शिकायत पत्र - 45
10. अन्याय की विस्तृत जानकारी - 60

- Sh. S.K. Sardana सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का अन्याय - 78
- Sh. S.S. Lamba सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का अन्याय - 79
- Sh. R.C. Godara सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का अन्याय - 81
- श्री नवाब सिंह (पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट) के अन्याय की झलक - 81
- श्री सूर्यकांत जी जज पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ की जलालत - 84

11. नए जख्म जो अन्यायी जजों द्वारा किए गए (सच बनाम झूठ बनाम भाग-2) - 84

- श्री इन्द्रजीत मेहता के विषय में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय को लिखा गया शिकायत पत्र - 85
- श्रीमति हरसाली चौधरी जी जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का कमाल - 95
- जज श्री आशु कुमार जैन जी रोहतक कोर्ट (हरियाणा) - 95
- श्री हेमन्त गुप्ता जी जज पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ का क्रुर व्यवहार तथा घोर अन्याय - 96
- श्री सुभाष गोयल जी माननीय सैशन जज श्री अश्वनी कुमार C.J.M. रोहतक कोर्ट (हरियाणा) तथा कुछ अन्य जजों के विषय में - 102

12. भारत की जनता से नम्र निवेदन - 108

सेवा में,

प्रधान मंत्री जी,

भारत सरकार

नई दिल्ली।

''प्रमाण सहित भ्रष्टाचार पत्र''

विषय :- कुछ जजों के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कार्यवाही करने तथा न्यायालय की गरिमा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने व नया कानून बनाने के लिए प्रार्थना पत्र।

''न्यायालय की गिरती गरिमा का प्रमाण''

श्रीमान् जी को याद दिलाना चाहते हैं कि आप जी को झूठे मुकदमों से जोड़ कर कैसे परेशान किया गया था। आप भी उस प्रक्रिया को झेल चुके हैं कि व्यक्ति कितना कष्ट महसूस करता है। आप सच्चाई पर अडिग रहे तो आज भारत की जनता के सामने सच्चाई आई और आप जी को देश की बागडोर उसी जनता ने थमा दी।

कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के द्वारा किए गए जख्मों की पीड़ा को हम सन् 2006 से आज तक उसी प्रकार झेल रहे हैं। हम आज भी अपनी सच्चाई पर अडिग हैं। आप से न्याय की आशा करते हैं। हम केवल अपने लिए नहीं पूरे राष्ट्र के हित के लिए यह प्रार्थना पत्र आप जी को भेज रहे हैं। कहा जाता है कि घायल की गत घायल जाने। जाके पैर न फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पराई।

आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नव निर्मित सरकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को आशा है कि अब देश को स्वच्छ, भ्रष्टाचार रहित साम्राज्य प्राप्त होगा। इसी आशा से आप जी को यह प्रार्थना पत्र भेजने का निर्णय लिया है।

श्रीमान् जी निवेदन है कि :-

भारतवर्ष साधु-महात्माओं तथा पीर-पैगम्बरों की लीला स्थली रहा है। यहाँ पर सृष्टि के आदि से ही मानव शील स्वभाव के

भोले-भाले रहे हैं। ''काम से काम'' और ''राम का नाम'' **यहाँ का मूल मन्त्र रहा है। यहाँ आहार सात्विक रहा है। दिल्ली इस क्षेत्र की राजधानी रही है। लोग स्वतंत्र विचारों के और मर्यादा पुरूष रहे हैं।**

यहाँ की स्वतंत्रता विदेशी लोगों ने छीन ली थी। लगभग 200 वर्ष तक यहाँ की जनता ने गुलामी के दिन व्यतीत किए परन्तु फिर भी मस्त रहते थे, वही मूल मन्त्र था ''काम से काम'' और ''राम का नाम'' **सादी वेशभूषा उच्च विचार। गरीब व असहाय की सहायता करना। स्वंय भूखा रहकर अतिथि को भोजन छकाना इनकी इन्सानियत का एक अंग रहा है। 15 अगस्त 1947 को विदेशी गुलामी रूपी प्रेत से मुक्त हुए। आशा जागी थी कि अब हम बहुत सुखी होंगे।**

अंग्रेज लोगों का मन्त्र था ''फूट डालो'' और ''राज करो'' **(Divide and Rule) इस मूल मन्त्र से लगभग 200 वर्ष सफल रह कर अन्त में असफल हुए और रात्रि में भारत छोड़ कर भागे और जाते-जाते भारत के टुकड़े कर गए।**

अंग्रेज चले गए, स्वराज का उदय हुआ। कुछ दिन सूरज चमका परन्तु फिर धूल भरी आंधी ने अंधेरा कर दिया।

वर्तमान के कुछ राजनेताओं ने भी वह मूल मन्त्र अपनाया। जिस भी पार्टी की सरकार आ जाती है, वह अपने-अपने व्यक्तियों को लाभ देता है। जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाता है, उसी जिले को अधिक महत्व देता है। राजनेताओं से लाभान्वित होने वाले अधिक से अधिक 20 प्रतिशत व्यक्ति हैं। किसी का लड़का-लड़की नौकरी लगा दिया, किसी अन्य को राशन कोटा दिला दिया बाकि 80 प्रतिशत जनता को लाभ प्राप्त नहीं होता। उनके पास मूल मन्त्र आधा रह गया ''काम है जब काम। पव्वा या अधा शाम। कोसों दूर रह गया राम का नाम।'' **हम सुखी व शान्त तभी होंगे जब उसी मूल मन्त्र** ''काम से काम'' और ''राम का नाम'' **का उपयोग करेंगे।**

इस मूल मन्त्र को भूल कर हम इन्सानियत खो बैठे। आपसी बैर-विरोध करके या जगत में ऊँची शान प्राप्ति के लिए माया का

आश्रय ले लिया। बड़ी कोठी-बड़ी कार हमारी शान का प्रतीक बन गई।

कुछ राजनेताओं ने अंग्रेजों वाला मूल मन्त्र याद रखा है। ''फूट डालो'' और ''राज करो।'' कुछ राजनेता अपने साथ अपने व्यक्तियों को लगाए रखने के लिए उनके सर्व अपराध अनदेखा करके उनकी ही सहायता करते रहते हैं। अपने पद की शक्ति का दुरूपयोग करके निर्दोष व्यक्तियों पर झूठे मुकदमें बनवा कर अपने ग्रुप (समूह) को प्रसन्न रखना उनकी आम आदत बन गई है। राज प्रसाशनिक अधिकारी झूठे मुकदमे राजनेताओं के दबाव में बनाकर न्यायालय में पेश कर देते हैं।

दु:खी-निर्धन = असहाय जनता की आशा होती है कि अब तो जो हुआ सो हुआ न्यायालय में तो भगवान का छोटा रूप न्यायाधीश (जज) बैठा है। वहाँ अवश्य दूध का दूध और पानी का पानी प्राप्त हो ही जाएगा। परन्तु कुछ भ्रष्ट जजों ने न्यायालय की गरिमा को गिराया है। हम मानते हैं कि वर्तमान में सर्व जज भ्रष्ट नहीं हैं। 80 प्रतिशत जज न्यायप्रिय तथा कानून का पालन करने वाले हैं।

यहाँ पर भ्रष्ट जजों की कार्यशैली पर प्रकाश डाला जाएगा तथा जिन्होंने न्याय किया है, उनकी भी प्रसंशा इस पुस्तक में की जाएगी।

हमारे कुछ भक्तों पर करौंथा काण्ड में सन् 12 जुलाई 2006 को झूठे मुकदमें उपरोक्त कार्यशैली से राजनेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से बनवा दिये। जिन्होंने करौंथा आश्रम पर आक्रमण किया था, उनको इनाम दिया गया तथा नौकरी दी गई। सतलोक आश्रम करौंथा के निर्दोष भक्तों को जेल भेजा गया।

इन झूठे मुकदमों से निजात पाने के लिए माननीय हाई कोर्ट चण्डीगढ़ तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रार्थनाएं की गई। परन्तु हमारा दुर्भाग्य रहा कि अधिकतर भ्रष्ट जजों से पाला पड़ा जिन्होंने कोई राहत नहीं दी। फिर करौंथा आश्रम सरकार के कब्जे से छुड़वाने के लिए माननीय हाईकोर्ट चण्डीगढ़ में अर्जी लगाई। हमारा आश्रम भगवान के छोटे रूप न्यायाधीश ने हमें वापिस करने

का आदेश 2009 में पारित कर दिया। उस समय हरियाणा विधान सभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने आशा से कम सीट जीती। सरकार बनाने के जोड़तोड़ में राजनेता व्यस्त थे। हाई कोर्ट की और ध्यान कम था। अन्यथा क्या किया जाता था कि यदि हमारी अपील किसी नेक जज को लगती तो उसको क्लैरिकल ब्रांच से बदलवा कर भ्रष्ट जज के लगवा देते थे। परन्तु उस समय ऐसा नहीं कर सके। जिस कारण से हमें उस नेक जज से लाभ मिला, आशा जागी।

परन्तु उसी समय सरकार कुछ स्थाई हुई, राजनेताओं ने वही मूल मन्त्र उठा लिया।

S.P. रोहतक श्री अनिल राव से सुप्रीम कोर्ट में S.L.P. (अर्जी) सरकार ने लगवाई तथा अपने पक्ष वाले आर्यसमाजियों को भी साथ लेकर उनसे भी S.L.P. (आश्रम न देने की अर्जी) लगवा दी। न्यायकारी जजों (D.B.) ने कहा कि हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने स्वीकारा है कि आश्रम सौंप देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं, अब क्या हो गया? यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार की ओर से सीनियर वकील-अन्य वकील आर्यसमाजियों के थे। उन्होंने कुछ अटबट करके तारीख प्राप्त करनी चाही तो जजों ने तारीख तो दे दी साथ कह दिया कि भूल जाना आप की अपील स्वीकार हो जाएगी। अगली तारीख पर मुकदमा भ्रष्ट जजों की कोर्ट में लगवाया गया जिन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, चार वर्षों तक लटकाए रखा। एक-दो वर्ष लम्बी तारीख लगाई। कई बार तो अगली तारीख पहले ही लगा कर नैट पर डाल दी।

राजनेता निश्चिंत हो गए कि अब यह आश्रम वापिस नहीं होने का।

हमने S.P. रोहतक श्री अनिल राव के विरूद्ध हाई कोर्ट की मानहानि का मुकदमा डाला। माननीय भ्रष्ट जज श्री राकेश कुमार गर्ग जी ने उस S.P. पर कोई एक्शन नहीं लिया उल्टा हमारे सतगुरू रामपाल दास जी महाराज को हाई कोर्ट में तलब करने के लिए एक तानाशाह की तरह यह कह कर कि मुझे बुलाना आता है,

जमानती वारंट भेज दिए।

कारण था अनिल राव S.P. को बचाने के लिए हमारे ऊपर जज दबाव डालना चाहता था। उन्होंने उसी समय भ्रष्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे। उन्होंने आश्रम का आदेश स्टे कर दिया। जिस कारण से जमानती वारंट भी समाप्त हो गए।

परमेश्वर की कृपा हुई। राजनेता गहरी नींद सुला दिए तथा हमारा आश्रम वाला केस सुप्रीम कोर्ट के नेक जजों की कोर्ट (D.B.) में लगा।

"करै करावै साइंया, मन में लहर उठाय।
दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जाय।।"

परमात्मा की प्रेरणा से नेक जजों ने तारीख लगाई। हमारा मुख्य वकील कुछ अस्वस्थ था। जिस कारण से उसने कहा कि तारीख ही लगनी थी जो हाई कोर्ट का वकील तारीख ले लेगा। हाई कोर्ट का वकील केवल औपचारिकता के लिए खड़ा कर रखा था। उसको इस केस का पूरा ज्ञान नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय में जाने से पता चला कि आज इस केस का फैसला होगा। टी.वी. पर्दे पर चल रही स्क्रोल पर चल रहा था कि कोई तारीख नहीं दी जाएगी।

विरोधियों को पता चला कि यह मुकदमा तो अन्य जजों के लगा है। जिन से सैटिंग की थी, उनसे बदल चुका है। समय परमात्मा ने नहीं दिया। जिस कारण से भगवान के छोटे रूप न्यायधीशों ने दूध-पानी भिन्न-भिन्न करके न्याय कर दिया। 18-02-2013 को हमारी सम्पत्ति सरकार की गिरफ्त से मुक्त होने की आशा जागी। उन नेक जजों के शुभ नाम हैं - 1. माननीय श्रीमान् न्यायाधीश चन्द्रामौती के. आर. प्रसाद 2. माननीय श्रीमान् न्यायाधीश वी. गोपाल गौडा।

परन्तु सरकार की नीयत में फिर भी दोष बना रहा। अपने सहयोगी आर्यसमाजियों को उकसाया कि तुम हा-हुल्ला कर देना, हम आश्रम पर पुनः धारा 145 लगाकर अपने कब्जे में ले लेंगे।

इन्हीं दांव-पेंच में 7 अप्रैल 2013 आ गया। अपनी योजना अनुसार न्यायालय के आदेश का पालन हुआ। अपनी योजना अनुसार सरकार ने अपने सहयोगियों को हा-हुल्ला करने के लिए 9 अप्रैल 2013 को भेजा। उस समय आश्रम में लगभग 100 भक्त सफाई कर रहे थे। फिर समय निर्धारित करके 12 मई 2013 को भेजा। राजा अम्ब्रीस पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने जानलेवा आक्रमण किया था, सुदर्शन चक्र छोड़ा था। वह उल्टा दुर्वासा ऋषि को ही मारने को चल पड़ा। दुर्वासा भाग कर भगवान विष्णु की शरण में गया। विष्णु जी ने कहा कि आप की जान की भीख राजा अम्ब्रीस ही डाल सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। दुर्वासा ने अम्ब्रीस से क्षमा याचना की, तब उसकी जान अम्ब्रीस ने बख्शी। यही दशा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की हुई। उसने चक्र चलाया था, आश्रम को पुनः हड़पने का। वह चक्र उसी पर उल्टा चल गया। आर्यसमाजी गुण्डों को लाए थे। आश्रम के ट्रस्टी ने हाई कोर्ट में स्पैल अर्जी लगाई, नेक जज ने समय की आवश्यकता को समझ कर आश्रम की सुरक्षा के कड़े आदेश जारी कर दिए। जिस कारण से पुलिस बहुसंख्या में आश्रम के आस-पास उपस्थित थी।

आर्यसमाजियों के द्वारा लाए गए बदमाशों ने पुलिस बल पर कातिलाना हमला किया। वे चाहते थे कि पहले 12 जुलाई 2006 की तरह पुलिस दूर खड़ी होकर तमाशा देखेगी। परन्तु पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की जिसमें एक महिला समेत तीन व्यक्ति मारे गए। पुलिस तथा तहसीलदार आदि को भी गहरी चोटें लगी।

उस दिन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक में उपस्थित होकर सुदर्शन चक्र का परिणाम देखने के लिए बैठा था। पुलिस की गोली से मरी एक महिला को हमारे गुरू जी के ऊपर 302 का मुकदमा बना कर एक सुदर्शन चक्र और चलाया।

जब देखा कि आर्यसमाजी जो मुख्यमंत्री के दांया हाथ थे, वे दूसरी पार्टियों के साथ मिल गए तथा मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने

लगी। मुख्यमंत्री हैलीकाप्टर में बैठ कर रोहतक से दिल्ली दौड़ा, ऊपर से सुदर्शन चक्र की करामात देखता जा रहा था। उस समय सुबह 9 बजे पुलिस और आर्यसमाजियों का घमासान आश्रम से लगभग 1½ कि.मी. झज्जर-रोहतक रोड़ पर गाँव करौंथा के सामने हो रहा था।

श्रीमति सोनिया गाँधी U.P.A. प्रधान (विष्णु जी) के पास गया। उस ने गृहमंत्री भारत सरकार के पास भेजा। गृहमंत्री तथा अन्य सलाहकारों ने कहा अब आपकी सरकार संत रामपाल जी से क्षमा याचना करने से ही बचेगी। तब हमारे पास मुख्यमंत्री जी की प्रार्थना आई। कहा गया कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। मैं अपने-पराए की पहचान भूल गया। सतगुरू रामपाल दास जी से प्रार्थना बताई गई। उन्होंने कहा कि सन्त का हथियार क्षमा होता है। अहसान से मारा व्यक्ति कभी नहीं उभरता। सन्त जी ने कहा कि हमारा कर्म जनता हित करना है। वे लोग जनता के नाशक हैं। इसलिए आश्रम खाली कर दिया जाए।

यदि मुख्यमंत्री जी में कुछ इन्सानियत शेष होगी तो आजीवन याद रखेगा इस अहसान को। आश्रम को केवल खाली किया लेकिन ताला ट्रस्ट का लगा, चाबी हमारे पास है।

12 जुलाई 2006 से प्रारम्भ हुआ सरकार का दमन चक्र 12 मई 2013 के पश्चात् शान्त हो गया। परन्तु जो जख्म इस दौरान किए थे, वे अभी तक भरे नहीं हैं।

हमारे ऊपर किए गए सर्व मुकदमे झूठे हैं।

पहले तो (12-07-2006 से 12-05-2013 तक) सात वर्ष तक भ्रष्ट जजों ने सरकार से लाभ प्राप्ति के लिए हमारे मुकदमों को समाप्त नहीं किया। अब जज सीधे मुँह पर रिश्वत माँग रहे हैं। ऐसे में गरीब जनता का क्या होगा?

★''जज राजेन्द्र कुमार बिश्नोई का भ्रष्टाचार''

एक सुनी-सुनाई कहानी :- सच है या झूठ यह परमात्मा जाने परन्तु न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं।

उपरोक्त झूठे मुकदमों में हमारे कुछ भक्त रोहतक जेल में थे। वहाँ गाँव-अकेहड़ी मदनपुर जिला-झज्जर के 15 व्यक्ति 302 के मुकदमें में सजा काट रहे थे।

आपसी चर्चा के समय उन्होंने बताया कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, एक व्यक्ति गोली से मारा गया। केस की सुनवाई जज राजेन्द्र कुमार बिश्नोई की कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने बताया कि हमारी जज से 30 लाख रूपये में सैटिंग हो गई। जज ने कहा कि 30 लाख रूपये लूंगा, एक की सजा कर दूंगा। 14 को बरी कर दूंगा। सैटिंग फाइनल हो गई। विरोधियों को पता चला तो उन्होंने उसी दलाल से संपर्क किया और 60 लाख रूपये का ऑफर कर दिया। जज ने स्वीकार कर लिया। हमारे रूपये वापिस कर दिए और 15 के 15 आदमियों को सजा सुना दी। वे आज भी झज्जर जेल में सजा काट रहे हैं। पत्र, समाचार पत्रों में समाचार छपा था कि अम्बाला कोर्ट में इसी जज ने कुछ अनियमितता बरती जिस के कारण जबरन पैंशन भेजा।

ऐसे भ्रष्ट जजों ने न्यायालय की गरिमा को भी गिरा दिया। आम जनता का न्यायालय से विश्वास ऐसे भ्रष्ट जजों ने कम कर दिया है।

★''अन्य जज के भ्रष्टाचार की कथा''

सन् 1989 में एक जे.ई. (Junior Engineer) ने बताया कि मेरे 3000 (तीन हजार) रूपये एक विभाग में तनख्वाह की वृद्धि के बकाया थे। काफी पत्राचार के पश्चात् भी नहीं दिए तो 500 रूपये में वकील किया और कोर्ट में केस डाल दिया। दो वर्ष में फैसला मिलने की आशा जागी। इसी दौरान जज के रीडर से अच्छी जान पहचान बन गई। वह कभी 10 रूपये मंगता कि आज टाईप मशीन खराब है, देना जे.ई. साहब! देने पड़ते, कभी पंखा खराब है 20 रूपये देना! ऐसे उसके साथ राम-रमी बनी थी। जिस दिन फैसला होना था। उसके पहले दिन मैं रीडर से मिला। उससे पूछा क्या रहेगा? रिडर ने बताया कि जज ने कहा कि 2500 रूपये लगेंगे।

यदि देगा तो फैसला उसके हक में, नहीं तो फैसला विपरित होगा। मैंने कहा ''भले पुरूष मुझे कुल तीन हजार रूपये मिलने हैं, 500 रूपये वकील ने ले लिए 2500 रूपये जज ले लेगा, मुझे क्या मिलेगा। रिडर ने कहा यह आपने सोचना है? मैंने सोचा यह रीडर ही बकवास कर रहा है। जज कभी ऐसा नहीं करते। मैं ना करके चला आया। अगले दिन फैसला मेरे विरूद्ध सुनाया। उसके बाद कई दिन तक रिडर की बातें मेरे कानों में गूंजती रही।

★''जज श्रीमति निर्मला यादव का भ्रष्टाचार''

दूसरा उदाहरण :- चण्डीगढ़ में हाई कोर्ट में कार्यरत जज श्रीमति निर्मला यादव पर 15 लाख रूपये रिश्वत लेने का मामला सामने आया जो C.B.I. में जाँच चल रही है। हमारे ऊपर भ्रष्ट जजों का कुचक्र इस प्रकार है।

★ जज श्री सुशील गुप्ता सैशन कोर्ट रोहतक के भ्रष्टाचार की कहानी :— सतलोक आश्रम करौंथा पर आर्यसमाज के शरारती तत्वों ने 8 से 10 हजार की संख्या में 12 जुलाई 2006 को आक्रमण किया। पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति मारा गया, कई घायल हुए। हरियाणा सरकार ने उनको इनाम दिया। मृतक के घर के सदस्य को नौकरी दी। हत्या का मुकदमा आश्रम के सन्त तथा अनुयाईयों पर बनाया गया। 10 मार्च 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्य सैशन जज से मिले, प्रार्थना करके केस की पूरी जानकारी बताकर न्याय की प्रार्थना की। जज ने 30 लाख रूपये खर्च करने को कहा। जब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो जुल्म ढ़हाने शुरू कर दिये। कृपया पढ़ें इसी पत्र के पृष्ठ 18 पर विस्तृत जानकारी।

★ जज श्री अश्वनी कुमार की कोर्ट में एक आश्रम की जमीन का 420 का केस चल रहा था। पुलिस ने केस गलत बनाकर न्यायालय में पेश कर रखा है। यह मुकदमा 21-07-2006 से चल रहा है। 23-01-2014 को आश्रम के श्रद्धालु जज श्री अश्वनी कुमार से मिले तथा मुकदमे के विषय में बताया कि यह राजनीतिक दबाव से

बनाया गया झूठा मुकदमा है। श्रद्धालओं की बात सुनकर तथा केस की फाइल पढ़कर जज ने भी स्वीकारा कि यह मुकदमा जमीन लेने वाले पर तो बनना ही नहीं चाहिए था। जज महोदय ने कहा 20 लाख रूपये का खर्च आएगा। हाई कोर्ट तक सैटिंग करनी पड़ती है, देख लेना। श्रद्धालुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और चुपचाप चले आए। फिर भक्तों की मीटिंग की गई। इस भ्रष्ट जज की शिकायत मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को की गई। अधिक जानकारी इसी पत्र के पृष्ठ 36 पर है।

★ जज श्रीमति सविता कुमारी JMIC रोहतक कोर्ट ने 10 लाख रूपये की मांग की। उस की शिकायत उच्च अधिकारियों को की गई। अधिक जानकारी इसी पत्र के पृष्ठ 45 पर है।

★ जज सुमीत भल्ला समराला कोर्ट जिला-लुधियाना (पंजाब) ने एक मुकदमे में 10 लाख की मांग की। उसकी शिकायत उच्च अधिकार जजों को की गई है। अधिक जानकारी इसी पत्र के पृष्ठ 103 पर है।

★ जज नवाब सिंह (पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट) ने निजी स्वार्थवश अन्याय किया। जमानती को 11 महीने लटकाया, 20 तारीख लगाई। खुली कोर्ट में तारीख लगाई। 17-01-2008 बाद में काट कर 16-01-2008 कर दिया। अधिक जानकारी इसी प्रार्थना पत्र में विस्तार के साथ लिखी दी गई है।

''12 भ्रष्ट जजों को अनिवार्य सेवानिवृती''

★ दिनांक 25 अप्रैल 2014 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में समाचार था कि मध्य प्रदेश में 12 जजों को अनिवार्य सेवा निवृति दी गई। इनके खिलाफ गम्भीर शिकायतें थी अर्थात् 12 जजों को जबरदस्ती सेवा मुक्त कर दिया।

विचार करें :- जिन भ्रष्ट जजों ने कितने निर्दोषों को अपने स्वार्थवश सजा देकर जेल में सड़ने को मजबूर किया, क्या उन भ्रष्ट जजों को यह सजा (समय से पहले पैंशन भेज देना) पर्याप्त है? जो कानून को नहीं जानता उस से गलती हो जाती है तो

उसको जेल में पीड़ित होना पड़ता है। जो कानून का जानकार जान बूझ कर गलती करता है, उसको केवल समय से पहले पैंशन भेज देना कोई दण्ड नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को तो आम व्यक्ति से भी अधिक सजा देनी चाहिए। संविधान में संशोधन की आवश्यकता है।

देखें फोटोकापी समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर''
दिनांक 25 अप्रैल 2014

दैनिक भास्कर 12
हिसार. शुक्रवार. 25 अप्रैल, 2014

मध्यप्रदेश में 12 जजों को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

सभी जज जिला अदालतों में हैं पदस्थ

जबलपुर | मध्यप्रदेश की निचली अदालतों के 12 जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ गंभीर शिकायतों के चलते की गई है। हाईकोर्ट ने इसकी अनुशंसा पर प्रदेश सरकार से की थी। फिलहाल सभी संबंधित जजों को आदेश तामील कराए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में पदस्थ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सभी जज मध्यप्रदेश की जिला अदालतों में पदस्थ हैं। इनके खिलाफ शिकायतें मिली थी।

क्या है 20-50 फार्मूला

मध्यप्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में 20-50 का फार्मूला आया था। इसके तहत जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को हटाया जाना है, उन्हें 20 साल की सेवा या 50 साल की आयु पूरी करने को आधार बनाकर हटाने की योजना बनाई गई थी। तभी से यह फार्मूला चर्चा में आया और उसी आधार पर अधिकारियों या कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई की जाती है।

★ दिनांक 17 सितम्बर 2010 को दैनिक भास्कर में एक खबर छपी। कृपया देखें फोटोकापी जिसमें भारत सरकार के पूर्व मन्त्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 16 पूर्व मुख्य न्यायधीशों में से 8 भ्रष्ट थे।

(भ्रष्ट जजों के विषय में भारत सरकार के पूर्व कानूनमंत्री के विचार जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुए। फोटो कापी)

दैनिक भास्कर जयपुर | 17 सितम्बर 2010

पूर्व कानून मंत्री का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

एजेंसी | नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांतिभूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश के 16 मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) में से कम से कम आठ निश्चित तौर पर भ्रष्ट थे। गुरुवार को दिए हलफनामे में उन्होंने कहा कि छह सीजेआई पक्के तौर पर ईमानदार और बाकी दो के बारे में वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। भूषण ने उस मामले में उन्हें भी पार्टी बनाए जाने की मांग की है जिसमें उनके बेटे वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चल रही है।

हलफनामे में 16 सीजेआई जस्टिस रंगनाथ मिश्र, केएन सिंह, एमएच कैना, एलएम शर्मा, एमएन वेंकटचलैया, एएम अहमदी, जेएस वर्मा, एमएम पंछी, एएस आनंद, एसपी भरूचा, बीएन कृपाल, जीबी पाठक, राजेंद्र बाबू, आरसी लाहोटी, वीएन खरे और वाईके सभरवाल के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भूषण ने आठ भ्रष्ट जजों के नाम सीलबंद लिफाफे में शीर्ष कोर्ट को दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दो पूर्व सीजेआई ने व्यक्तिगत तौर पर बताया है कि उनके पहले और बाद वाले सीजेआई भ्रष्ट थे। इन चार जजों के नाम लिफाफे में बंद आठ जजों में शामिल हैं।

मुझे भी मिले सजा

शांति भूषण ने कहा कि वह भी सार्वजनिक तौर पर 16 में से 8 सीजेआई के भ्रष्ट होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उनको भी अवमानना मामले में पार्टी बनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी उपयुक्त सजा मिल सके। वे इसे सम्मान की बात समझेंगे कि देश को ईमानदार और स्वच्छ न्यायपालिका दिलाने के प्रयासों में उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने याचिका की सुनवाई सिर्फ तीन जजों की बेंच की बजाय पूर्ण अदालत द्वारा किए जाने की अपील की क्योंकि इससे पूरी न्यायपालिका प्रभावित हो रही है।

क्या है मामला

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एक लेख के मामले में प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना का मामला लंबित है। इस लेख में भूषण ने कहा था कि 16 पूर्व सीजेआई में से 8 भ्रष्ट हैं। इसमें सीजेआई एसएच कपाड़िया और कुछ अन्य जजों व पूर्व सीजेआई पर टिप्पणियां की गई थीं। इस लेख पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अवमानना की कार्यवाही के लिए आवेदन दिया था। अल्तमस कबीर, सीरिएक जोसफ और एचएल दत्तू की बेंच ने इस मामले में भूषण से 12 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई तय की है।

दैनिक जागरण जोश बुधवार 12 फरवरी, 2014 Page 7

न्यायपालिका में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया बेहद कमजोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका में अंदरूनी निगरानी

की कड़ी व्यवस्था भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में बड़ी बाधा साबित हो रही है। उनका कहना है कि न्यायपालिका में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया बेहद कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्टों की ओर इशारा करते हुए कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तक शुरू नहीं जा सकती है। जबकि यही अदालतें बार-बार संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्व अनुमति पर सवाल उठाती रही हैं।

सीबीसी के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान

* सिब्बल ने सीबीआइ की पूरी आजादी का खुलकर विरोध किया

'भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए मजबूत फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत' विषय पर बोलते हुए सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही तय करने की मौजूदा प्रणाली बेहद ही कमजोर है।

सिब्बल का कहना था कि इसी तरह निचले स्तर के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ संबंधित हाईकोर्ट के जजों की अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना समय की जरूरत है। सीबीआइ की पूरी आजादी का विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी एजेंसी को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। आजादी देने के साथ-साथ एजेंसियों की जवाबदेही भी तय किया जाना चाहिए।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि निचली अदालतों में 80% तक भ्रष्ट जज कार्यरत हैं।

दैनिक भास्कर हिसार . बुधवार, 11 मई 2011

शीर्ष कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

निचली अदालतों के सभी भ्रष्ट लोगों को बाहर फेंको

डीएनए नेटवर्क/एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के भ्रष्ट सदस्यों को बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश को नकारने वाली दिल्ली की एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अर्चना सिन्हा को लताड़ लगाते हुए मंगलवार को यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि एडीजे खुद को 'सुपर सुप्रीम कोर्ट' मान रही हैं।

जस्टिस मारकंडेय काटजु और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने कहा, 'आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक में नहीं ले सकते। लोग जजों को संदेह की नजर से देखते हैं। कहा जाता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका के 80 प्रतिशत सदस्य भ्रष्ट हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे सिर शर्म से झुक गए हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2010 को अपने आदेश में किरायेदार उधमसिंह जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मध्य दिल्ली की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी दिल्ली की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अर्चना सिन्हा ने किरायेदार को बाहर करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस पर नाराज बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को अर्चना सिन्हा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बेंच ने कहा, 'अर्चना सिन्हा को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे आदेश को नकार दे और खुद को 'सुपर सुप्रीम कोर्ट' साबित करें।'

निचली अदालतें 80% तक भ्रष्ट

जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा | जस्टिस मार्कंडेय काटजु

जस्टिस मार्कंडेय काटजु और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा- निचली अदालतें 80 फीसदी तक भ्रष्ट हैं। अतिरिक्त न्यायाधीश अर्चना सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने या खारिज करने का अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इससे लगता है कि वे सुपर सुप्रीम कोर्ट हो गई हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा- अर्चना को जेल भी भेजा जा सकता है और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है।

यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि अधीनस्थ न्यायपालिका का एक हिस्सा बाहरी फायदों के चलते आदेश पारित कर भारत की पूरी न्यायपालिका की ख्याति को धूमिल कर रहा है। जस्टिस काटजु ने अपने फैसले में लिखा, 'हम उन आरोपों पर कुछ नहीं कहना चाहते जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका क्या कर रही है, यह बताया जाता है। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि इस तरह का कदाचार पूरी तरह से खत्म होना चाहिए।

हिसार, 4 दिसंबर 2010 दैनिक जागरण | 11

'सिर्फ 106 परिवारों से हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश'

पटना, जासं: 'दुनिया में कहीं भी हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति इस प्रकार से नहीं होती, जैसे भारत में होती है। इस मामले में परिवारवाद या इसका स्वरूप हावी रहा है। यानी जिनकी पुरानी पीढ़ियां जज होतीं हैं, वही हाईकोर्ट के जज हो सकते हैं। देश में केवल 106 परिवारों से ही हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं।' यह बात बिहार के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अहमद खान ने शुक्रवार को 'लायर्स डे' पर आयोजित संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स की बिहार शाखा के तत्वावधान में किया गया था। शकील ने कहा कि न्यायपालिका में पारदर्शिता, स्वतंत्रता व निर्भीकता दिखाई पड़नी चाहिए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों पर उठाए गए सवालों की भी चर्चा की।

2 | दैनिक जागरण हिसार, 11 दिसंबर 2010

मालूम है-हाईकोर्ट में कौन भ्रष्ट है

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर की गई टिप्पणी को अपने आदेश से हटाने से इनकार कर दिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में ईमानदार जज भी है और उनकी निष्ठा तथा कड़ी मेहनत के कारण ही इस अदालत का सम्मान बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को हाईकोर्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी जजों पर लांछन नहीं लगाया गया है। आदेश में सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ जजों के बारे में शिकायत मिली है कि वे अपने रिश्तेदार वकीलों के मामले में उनके मनमाफिक फैसला करते है। 26 नवंबर के अपने आदेश का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि इसे फिर से पढ़ा जाना चाहिए। पीठ ने हाईकोर्ट के वकील पीपी राव की इस दलील को खारिज कर दिया कि कुछ जजों को ईमानदार बताने के बावजूद अदालत की निष्ठा पर संदेह बना रहेगा। जब राव ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण को बार-बार अपर्याप्त ठहराने की कोशिश की तो न्यायमूर्ति काटजू ने कहा, 'लोग जानते है कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। इसलिए मुझे यह सब मत बताइए।

कल को अगर मार्कंडेय काटजू रिश्वत लेना शुरू कर दें तो पूरा देश जान जाएगा। मुझे मत बताइए कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार'। हाईकोर्ट के वकील की दलील थी कि कुछ जजों को ईमानदार बताने के बावजूद देहाती लोग उनमें और भ्रष्ट जजों में फर्क नहीं कर पाएंगे। इस पर पीठ ने कहा कि देहाती के बारे में बताने की जरूरत नहीं है।

वे ज्यादा जानकार है। यह मत समझिए कि भारत के लोग मूर्ख है। गौरतलब है कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के कई जजों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वहां सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट पर यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक सर्कस मालिक के मामले में सुनवाई करते हुए की थी। हाईकोर्ट ने बहराइच के वक्फ बोर्ड को मेले के लिए सर्कस मालिक को बोर्ड की जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

रुख पर कायम

- सभी जजों को भ्रष्ट नहीं कहा, ईमानदार जजों के कारण ही कायम है सम्मान

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार
दैनिक जागरण
लखनऊ, शनिवार
27 नवंबर, 2010

इलाहाबाद हाईकोर्ट 'बीमार'

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

- कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट व उसकी लखनऊ पीठ में वाकई साफ-सफाई की जरूरत
- हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ मिल रही हैं गंभीर शिकायतें
- जजों के स्थानांतरण की सिफारिश करें मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली, 26 नवंबर (जागरण ब्यूरो) : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ पीठ के कामकाज व न्यायाधीशों की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश से जजों के तबादले जैसे सख्त कदम उठाने को कहा है। न्यायपालिका के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी उच्च न्यायालय पर इतनी गंभीर टिप्पणियां की हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ गड़बड़ है और वहां वाकई साफ-सफाई की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से न्यायाधीशों के सगे-संबंधियों की उसी अदालत में वकालत करने की बहस एक बार फिर ताजा हो गई है। हाईकोर्ट पर ये तीखी टिप्पणियां न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने बहराइच के एक सर्कस मालिक राजा खान की याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कीं। पीठ ने कहा, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाली गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। मुख्य न्यायाधीश को इस दिशा में जरूरी उपाय करने और सुधारे न जा सकने वाले न्यायाधीशों के तबादले की अनुशंसा करनी चाहिए।

अदालत ने कहा, कुछ न्यायाधीशों के बच्चे और सगे-संबंधी उसी न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। वकालत शुरू करने के कुछ ही वर्षों के भीतर उनके बेटे और रिश्तेदार लखपती बन जाते हैं। अब वह दिन नहीं रहे जब न्यायाधीशों के बच्चे या रिश्तेदार संबंधों का लाभ नहीं उठाते थे और सामान्य वकीलों की तरह बार में संघर्ष करते थे। कोर्ट ने साफ किया कि उसके कहने का मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीशों से नजदीकी संबंधों वाले सभी वकील संबंधों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पीठ ने कहा, कुछ तो इसको लेकर बहुत सावधान हैं ताकि कोई उन पर अंगली न उठा सके लेकिन कुछ अन्य लोग बेशर्मी के साथ संबंधों का लाभ उठा रहे है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ और भी तरह की गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। पीठ ने गंभीर टिप्पणियों वाले अपने इस फैसले की प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को भेजने का निर्देश दिया है ताकि उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया जा सके।

पीठ की नाराजगी का कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के दो अंतरिम आदेश थे। ये न सिर्फ बिना क्षेत्राधिकार के जारी किए गए थे बल्कि अंतरिम आदेश में कोर्ट ने सर्कस मालिक को राहत भी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट पीठ का मानना है कि एकल पीठ को उस याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने वाले न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे चौकाने वाले आदेशों से ही आम जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास डिग रहा है।

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया उजागर करने पर विचार

नई दिल्ली : जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया सूचना कानून के तहत सार्वजनिक की जा सकती है या नहीं, इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ विचार करेगी। न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर की पीठ ने इसे कानून का महत्वपूर्ण मसला मानते हुए संविधान पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। मामले की पिछली सुनवाई पर अटार्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट की पैरवी करते हुए इसे संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया था। - 21

दैनिक भास्कर हिसार | 5 दिसंबर 2010

हाई कोर्ट में 17 जजों के रिश्तेदार कर रहे वकालत

ललित कुमार. चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 43 जजों में कम से कम 17 ऐसे जज हैं जिनके बच्चे अथवा रिश्तेदार इसी हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं।

उल्लेखनीय बात यह है कि इलाहबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ऐसे जजों की सूची केंद्र के कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेज चुका है। खुद मंत्रालय ने हाईकोर्ट से यह जानकारी मांगी थी। सूची में जो जज शामिल थे, वे थे जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस आशुतोष मोहंता, जस्टिस एमएम कुमार, जस्टिस एसके मित्तल, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वीके शर्मा, जस्टिस टीपीएस मान, जस्टिस एसडी आनंद, जस्टिस केसीपुरी, जस्टिस केएस आहलुवालिया, जस्टिस सबीना, जस्टिस जोरा सिंह, जस्टिस एमएस सुल्लर, जस्टिस गुरदेव सिंह और हरबंस लाल। इनमें से जस्टिस एसडी आनंद और जस्टिस हरबंस लाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जबकि जस्टिस आशुतोष मोहंता और जस्टिस वीके शर्मा का तबादला कर दिया गया है। हाल ही में बार के कुछ सदस्यों ने इस सूची में छह और नाम शामिल किए हैं। इनमें जस्टिस एलएन मित्तल, जस्टिस जोरा सिंह, जस्टिस आरके जैन, जस्टिस राजन गुप्ता , जस्टिस ऋतु बाहरी व जस्टिस अजय तिवारी का नाम शामिल किया गया है।

चीफ जस्टिस बीके राय ने पहले ही उठाई थी आवाज : अंकल जजों का यह मसला कोई नया नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बीके राय इससे पहले ही इसे उठा चुके हैं। जस्टिस राय का कार्यकाल 14 अक्टूबर 2002 से 20 मार्च 2005 रहा। जस्टिस राय ने 25 सितंबर 2004 को प्रशासनिक निर्देश जारी कर बारह ऐसे जजों के नाम सार्वजिनक किए थे जिनके बच्चे अथवा करीबी रिश्तेदार इसी हाईकोर्ट में वकालत की प्रेक्टिस कर रहे थे। इन सभी जजों को अपने बच्चों अथवा रिश्तेदारों के केस सुने जाने से रोक दिया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोईली इस बारे में पहले ही कह चुके हैं कि जजों की नियुक्ति के समय ही उनकी संपत्ति का ब्यौरा व संबंधित अदालत में उनके बच्चों अथवा रिश्तेदारों द्वारा वकालत की प्रेक्टिस किए जाने की जानकारी मंगा ली जाएगी। जज को वहां नियुक्ति नहीं दी जाएगी जहां उनके बच्चे या रिश्तेदार वकालत की प्रेक्टिस कर रहे होंगे। ला कमीशन भी अपनी 230 वीं रिपोर्ट में इस मामले पर विचार कर चुका है।

PUNJAB KESARI WEDNESDAY 11 May 2011

जजों की घूसखोरी के किस्से झुका देते हैं सिर : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 10 मई (इंट.,एजैंसियां): सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उसके आदेश के विरुद्ध फैसला सुनाने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अर्चना सिन्हा को फटकार लगाई और दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की जांच करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने सिन्हा के फैसले पर कड़ा एतराज जताया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक किराएदार को घर खाली करने का आदेश दिया था लेकिन एडीशनल सैशन जज अर्चना सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हैरानी जताई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई निचली अदालत कैसे रोक लगा सकती है।

अदालत ने सिन्हा के आदेश को रद्द कर दिया और सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने कहा कि जब हम जजों की घूसखोरी के किस्से सुनते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। यही वजह है कि देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ वकील भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के कई अधिकारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जिनसे पूरी न्यायपालिका की बदनामी हो रही है।

''जज श्री सुशील कुमार गुप्ता का भ्रष्टाचार''

श्री सुशील कुमार गुप्ता जी सैशन कोर्ट रोहतक (हरियाणा) के भ्रष्टाचार की जांच के लिए शिकायत माननीय राष्ट्रपति जी भारत गणराज्य को भेजी गई जो इस प्रकार है:-

विषय:- माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक के भ्रष्टाचार की जांच करके बरखास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम समाज सेवा समिती के सर्व 10 लाख सदस्य आपको माननीय सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता के भ्रष्टाचार की जांच करके सख्त कार्यवाही की प्रार्थना करते हैं। जज को परमात्मा का छोटा रूप माना जाता है। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन-मृत्यु का फैसला होता है। ऐसे माननीय तथा सम्मानीय पद पर विराजमान व्यक्ति अपने स्वार्थवश कानून के विरूद्ध कार्य करके गरीब जनता को सताता है और न्यायालय की छवि को खराब करता है, उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विवरण इस प्रकार है कि हमारे कुछ सदस्य जज महोदय से मिले थे। उन्होंने समिती के मुख्य सदस्यों को बताया जो इस प्रकार है :-

दिनांक 10-03-2014 को हमारे साथी भक्तों की एक झूठे केस मुकदमा नं. 198/2006 में माननीय सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता की कोर्ट में तारीख पेशी थी। हम भी तारीख पर उनके साथ गये हुऐ थे। तारीख होने के बाद हमारे मित्र प्रीतम सिंह (राजकुमार) ने मेरे को रणबीर सिंह निवासी किराड़ी व अमन निवासी रोहतक को बताया कि मैंने माननीय जज साहब से प्रार्थना की थी कि माननीय जज साहब यह केस राजनीतिक दबाव के कारण हम पर झूठा बनाया हुआ है। हम सभी इसमें निर्दोष हैं। आपजी से निवेदन है कि इस केस से हमारा पीछा छुड़वाओं, तो माननीय जज साहब कहने लगे अब तो कोर्ट का समय है। आप अपने साथ 2-3 मौजीज व्यक्तियों के साथ शाम 5 बजे के बाद मुझे

मिलो। तब तक मैं भी इस केस की फाईल को देख लेता हूँ। मैं, रणबीर निवासी किराड़ी व अमन निवासी रोहतक, बलवान निवासी गाँव बालक (जो बाद में बुलाया गया था) तथा प्रीतम सिंह (राजकुमार) को साथ लेकर माननीय जज साहब के पास गये। तब माननीय जज साहब कहने लगे अब बताओ। जो भी घटना हमारे साथ घटी थी, उसका विवरण देकर हमने बताया कि हमारे ऊपर मुकदमा नं. 198/2006 गलत बनाया गया है, वास्तविकता यह है कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ''सत्यार्थ प्रकाश'' पुस्तक के अज्ञान को समाज के सामने रखा, जो की आर्य समाज के आचार्यों को अच्छा नहीं लगा और ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर, उन्होंने दिनांक 12-7-2006 को सतलोक आश्रम करौंथा पर हमला बोल दिया।

उस समय ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी S.D.M. श्री वत्सल वशिष्ट जी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट आदेश पारित किये हैं कि 8000-10000 उपद्रवीयों ने सतलोक आश्रम करौंथा को घेर लिया और हथियारों से हमला बोल दिया, स्थिति को देखकर S.D.M. साहब ने S.H.O. सदर रोहतक के कहने व हालात को मध्य नजर रखते हुए सतलोक आश्रम के अनुयायियों की सुरक्षा के लिए आश्रम को धारा 145 Cr. P.C. के तहत कब्जा में ले लिया ताकि अनुयाईयों को आश्रम से सुरक्षित निकाला जा सके। (एस.डी.एम. के आदेश की प्रति संलग्न है) S.D.M. ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि ''उस समय रोहतक जिला के S.P. तथा D.C. व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे। S.H.O. सदर रोहतक ने भी प्रार्थना की थी कि आश्रम के अनुयाईयों को खतरा है। S.P. तथा D.C. भी सहमत थे कि आश्रम के अनुयाईयों को बचाने के लिए आश्रम को जेर धारा 145 Cr. P.C. के तहत कब्जे में लिया जाए, ऐसा ही किया गया।''यह विवरण S.D.M. के आदेश में है। आश्चर्य की बात है कि बाद में मनघड़न्त कहानी बनाकर S.H.O. सदर रोहतक ने हम पर झूठा केस बनाया तथा S.P.

रोहतक ने इस झूठे केस की तायद कर दी तथा न्यायालय में पेश कर दिया। यह कैसा घिनौना मजाक है कि हमारे ही भक्तों को पुलिस ने झूठा मुकदमा नं. 198/06 u/s 148-149,323,307,302, I.P.C.व 27, 54, 59 A Act थाना सदर रोहतक में गिरफ्तार कर लिया। हमारे वकील ने इस मुकदमे से हमारे ऊपर लगी धारा 148-149 व अन्य धाराओं को हटवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में रिट डाली फिर इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली की हम आश्रम में सत्संग सुनने के लिए इक्ट्ठे हुए थे। हमारे ऊपर आर्य समाजियों ने आकर हमला किया है। हम हमला करने के लिए मजमा खिलाफे कानून बनाकर कहीं झगड़ा करने के लिए नहीं गये, हमारे ऊपर धारा 148-149 I.P.C. व अन्य धाराऐं हटाई जाऐं। उपद्रवियों, आक्रमणकारियों पर मुकदमा बनाया जाए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहेबों ने अपने आदेशों में कहा कि नीचे Trial Court में जाकर अपना पक्ष रखो। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम इस केस की धारा 148-149 को हटवाना चाहते हैं। जो हमारे भक्तों पर नाजायज लगी हुई है। जब यह मुकदमा हम पर बनता ही नहीं, तो फिर Trial किसलिए चल रही हैं। यदि पुलिस चोरी के मुकदमे में जो धारा 380 IPC. बनती है। उसके स्थान पर धारा 302 लगा कर कोर्ट में पेश कर देती है तो जज का फर्ज है कि पहले धारा ठीक करे, बाद में Trial चलाए। लेकिन ऐसा न करके गलत धाराऐं लगा कर केस चलाया जा रहा है। आप भी कानून के जानकार हैं।

★ मुख्य गवाह (जिसके नाम से F.I.R. लिखी है) ने भी माननीय सैशन कोर्ट में बयान देकर स्पष्ट किया है कि पुलिस ने मेरे से दस्तखत करवाए थे। मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

★ F.S.L. Report से भी स्पष्ट है कि आश्रम से बरामद हथियारों से चली गोली से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

★ पुलिस की गोलियों से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा अन्य घायल हुए। जिनको सरकार ने सहायता के रूप में रूपये भी दिए

तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई। इससे स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु तथा जो घायल हुए थे वे सभी पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से हुए थे। तभी तो सरकार ने सहायता राशि दी है। इनकी हत्या व जख्मी होने का झूठा मुकदमा हमारे गुरूजी तथा भक्तों के ऊपर बनाया गया है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि यह झूठा मुकदमा है। अतः आप जी से प्रार्थना है कि इस केस को खत्म कर दो ताकि हमें न्याय मिल सके, आपकी कृपा होगी। तो माननीय सैशन जज साहब श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने कहा मैंने मुकदमा नं. 198/2006 की सारी फाईल देख ली है। आपका काम हो जाऐगा। लेकिन आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। हमने कहा कि जज साहब क्या खर्च करना पड़ेगा। माननीय जज साहेब ने कहा 30 लाख रूपये लगेंगे, हमने कहा जज साहब हम पैसे नहीं दे सकते, तो माननीय जज साहेब बोले इस केस में आपको इससे भी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरे पास स्वयं संज्ञान (Suo motu) रूपी दोधारी तलवार है। मैं केश के तथ्यों के आधार से (जो तुमने बताए हैं, मैंने देख लिए हैं) आपके साथियों को बरी कर सकता हूँ, चाहे सब झूठे गवाह भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देदें। यह तो मुझे भी पता है, यह झूठा मुकदमा है। मैं चाहूं तो इन्हीं झूठे गवाहों के आधार से सब कथित दोषियों की सजा भी कर सकता हूँ। आप सोच लेना अभी तुम्हारे पास वक्त है। हम जज साहेब को कहने लगे जज साहब हमारे सारे भक्त जो इस मुकदमा में हैं, सभी गरीब व्यक्ति हैं। तो माननीय जज साहब कहने लगे विजय की अब मैं जमानत नहीं लूंगा और आगे इस केस में जो भी गैरहाजिर होगा उसको जेल में ही रखूंगा। मैं ऐसा आदेश कर दूँगा, तुम्हें लेने के देने पड़ जाऐंगे। यह सुनकर हम हैरान रह गए तथा वहां से चले आये।

जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने इस बात को अपने आदेश दिनांक 5-4-2014 में भी सिद्ध कर दिया है, जिसमें दो जमानतियों पर 1-1 लाख का गलत जुर्माना किया है। जिसमें लिखा है कि मैं

(जज साहब) नहीं चाहता कि विजय के जमानतियों के साथ नरम रवैया करूं। इसलिए 1-1 लाख जुर्माना करता हूँ। इस आदेश से स्पष्ट है कि जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, केवल अपनी मनमानी ही करता है। यदि यह चाहते तो नरम रवैया अपनाकर जमानतियों पर जुर्माना नहीं करते। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जज महोदय कानून की अहमियत नहीं मानते। यह भी प्रमाणित हुआ कि जज महोदय जिसको चाहें नरम रवैया करके बरी करते हैं। जिसको चाहें नरम रवैया न करके सजा करते हैं।

यह सारी बातें हमने विजय को झज्जर जेल से दिनांक 15-03-2014 को जमानत होने पर बताई। जो दिनांक 6-03-2014 से 15-03-2014 तक झज्जर जेल में अन्य केस में था। यह बात सुनकर विजय ज्यादा तनाव में आ गया जिसको 30-03-2014 को पागल वार्ड P.G.I.MS. रोहतक में दाखिल करवाना पड़ा। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की तथा इसी तनाव के कारण वह P.G.I.M.S. रोहतक से दिनांक 31-3-2014 को पता नहीं कहाँ चला गया जिसको जमानती तथा घरवाले तलाश कर रहे हैं। अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार माननीय सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता होगा।

यह सभी बातें हमने समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को बताई। पूरे भारत वर्ष में समाज सेवा समिति के लगभग 10 लाख सदस्य है। उनको भी संदेश भिजवा दिया है इसके बाद समाज सेवा समिती के सदस्यों ने निर्णय लिया, कि माननीय सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार की शिकायत माननीय मुख्य न्यायधीश पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को करो तथा हम भी आपका सहयोग करेंगे। यदि इस माननीय भ्रष्ट अत्याचारी जज पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो समाज सेवा समिति पूरे देश में संवैधानिक तरीके से आन्दोलन करने को मजबूर होगी।

उपरोक्त तथ्यों को आधार मान कर माननीय जज महोदय को

अपनी पावर का सदुपयोग करके केस को समाप्त करना चाहिए था। इसके विपरीत इसकी मनोकामना पूर्ण न होने के कारण अपनी शक्ति का दुरूपयोग करके विजय के दोनों जमानतियों को उचित समय दिए बिना ही एक-एक लाख रूपये का जुर्माना डाल दिया जिसका विवरण निम्न लिखा है :-

इस मुकदमें की अगली तारीख माननीय जज साहेब ने 31-03-2014 लगाई थी।

दिनांक 10-03-2014 को इस केस में भक्त विजय निवासी सिंहपुरा, किसी अन्य मुकदमे में जेल झज्जर में बन्द होने के कारण तारीख पर नहीं पहुंच पाया था। माननीय जज साहेब ने विजय को Non-Bailable वारंट कर दिये और इसके जमानती शिवमंगल को 31-03-2014 के लिए नोटिस भेज दिया। जो 31-03-2014 को शिवमंगल कोर्ट में पहुंच गया और माननीय जज साहेब से विजय को लाने के लिए समय मांगा था। जिस पर माननीय जज साहब ने जमानती को केवल 4 दिन का समय दिया और दूसरे जमानती सुरेन्द्र निवासी मोखरा को 5-04-2014 को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया। जो सुरेन्द्र 5-04-2014 को कोर्ट में पेश हुआ और विजय को पेश करने के लिए समय मांगा। लेकिन माननीय जज साहब अपनी 30 लाख रूपये की मंशा पूरी ना होने के कारण क्रूर व्यवहार पर उतर आया और दोनों जमानतियों पर अपने आदेश दिनांक 5-4-2014 के तहत 1-1 लाख जुर्माना लगा दिया। (जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है) शिवमंगल जमानती को 4 दिन का समय दिया तथा सुरेन्द्र जमानती को माननीय विद्वान जज साहेब ने एक दिन का भी समय नहीं दिया। जो जमानती अपने बच्चों का पालन-पोषण मजदूरी करके करते हैं। इस निर्दयी माया के भूखे माननीय जज ने यह नहीं सोचा कि इन गरीबों का क्या होगा? इस झूठे मुकदमें में 38 को मुजरिम बना रखा है। विशेष मजबूरी में ही कोई एक हाजिर नहीं हो पाता। जान बूझकर गैर हाजिर कोई नहीं होता। मजबूरी तथा बीमारी तो माननीय जज

साहब को भी हो सकती है। क्या माननीय जज बीमार नहीं होते? मजबूरी तो सबके साथ हो सकती है। जैसे यह जुर्माना लगाने का आदेश करके माननीय विद्वान जज साहब उसी दिन सुबह 11:00 बजे ही छुट्टी चले गये। इससे स्पष्ट है कि माननीय जज साहब 5-04-2014 को केवल इर्षावश क्रूर आदेश पारित करने आए थे। क्योंकि इसको 30 लाख नहीं मिले। जज साहेब ने मलीन नीयत (Malafied Intention) के आधार से अपने आदेश दिनांक 04-03-2014 में (जिसकी सत्यापित प्रति दिनांक 16-04-2014 को प्राप्त की है जो संलग्न है) झूठा आरोप लगाया है कि 04-03-2014 को भी एक आरोपी अनुपस्थित था। जबकि 04-03-2014 को हमारी कोई तारीख नहीं थी। इस आदेश से जज साहब की मनसा स्पष्ट है कि यह कितना अन्याय कर सकता है।

दिनांक 22-04-2014 को दोनों जमानतियों (शिव मंगल तथा सुरेन्द्र) ने जज साहब की कोर्ट में अर्जी लगाई जिसमें बताया गया कि 10-03-2014 को विजय झज्जर जेल में बंद था तथा 31-03-2014 को P.G.I.M.S. रोहतक में दाखिल था। उसको मानसिक परेशानी है। जिस कारण से वह कहीं चला गया है। हमारे को कुछ समय दो, हम खोज कर लाऐंगे। परन्तु जज महोदय की मनोकामना पूर्ण न होने के कारण एक न सुनी और कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यह कह कर 23-04-2014 को सुनवाई करके कहा कि मैं कोई रहम नहीं करूंगा, जुर्माना भरो।

इस से स्पष्ट है कि माननीय जज महोदय कितने खफा हैं लालचवश इतने अंधे हो गये हैं कि कानून को भी भूल गये। माननीय जज महोदय कानून से ऊपर नहीं हैं। कानून माननीय जज साहब के लिए भी है। इस माननीय जज ने अपनी स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण कानून का उल्लंघन किया है। माननीय जज साहेब ने तो इन दोनों जमानतीयों को विजय को ढूढ़ंकर लाने के लिए कम से कम एक महीने का समय देना चाहिए था। क्योंकि विजय दिमागी परेशानी के कारण P.G.I.M.S. रोहतक में दाखिल

था और दिनांक 31-03-2014 को वह मानसिक परेशानी के कारण उपचार के दौरान P.G.I.M.S. रोहतक से न जाने कहाँ चला गया, जमानती तथा घरवाले उसको तलाश कर रहे हैं। पागल व्यक्ति को ढूढ़ंना इतना आसान नहीं होता। जमानती शिवमंगल ने माननीय जज साहब को वह P.G.I.M.S. का कार्ड भी दिया जिसमें उसको हस्पताल में भर्ती दिखाया गया है परन्तु माननीय जज महोदय ने एक नहीं सुनी। माननीय जज साहब को 30 लाख ना मिलने के कारण उन्हें इतना भी रहम नहीं आया कि विजय मानसिक रूप से परेशान है, जो इस झूठे मुकदमें में फसाये जाने के कारण पागल हो चुका है। जिसका जीवन बरबाद हो चुका है। फिर भी उस पर घोर अत्याचार करते हुए व उसके जमानतीयों की ना सुनते हुऐ, बिना उचित समय दिए ही अपनी पावर का दुरूपयोग करके उसके जमानतीयों पर भी 1-1 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया। इससे भी माननीय जज श्री सुशील कुमार गुप्ता की मलीन नीयत स्पष्ट होती है। दोनों जमानती, यह 2 लाख रूपये विजय से ही मांगेंगे व पहले से झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के कारण व माननीय सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा जमानत ना दिये जाने व जेल में ही रखने की धमकी के कारण पागल हो चुका विजय, इतने रूपये कहाँ से लाएगा। जिसकी शादी हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। उसकी पत्नी व विजय का जीवन बरबाद हो चुका है और ऊपर से यह माननीय जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी अपनी मांग पूरी ना होने के कारण अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहा है। माननीय जज महोदय ने स्पष्ट ही कर दिया है कि एक सप्ताह में सब गवाह कराके सजा करके केस को फारिग करूंगा। तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति से न्याय की क्या आशा की जा सकती है।

मानव को परमात्मा का अमर संदेश है कि :-

कबीर, गरीब को ना सताईये, जाकि मोटि हाय।
बिना जीव की श्वांस से लोह भस्म हो जाये।।

भावार्थ है कि ''जैसे पुराने समय में लोहार कारीगर अपने

औजार बनाने के लिए लोहा गर्म करने के लिए पशु के चर्म की धौंकनी बनवाते थे। उस निर्जीव खाल से अग्नि पर हवा मारते थे। जैसे वर्तमान में पंखे का प्रयोग करते हैं। उस निर्जीव खाल से हवा निकलती थी तथा फिर हवा भरती थी। वह ऐसे हवा लेती और छोड़ती थी जैसे महादुःखी मनुष्य दुःख में आहें भरता है।

परमात्मा कबीर जी सर्तक करते हैं कि यदि कोई किसी प्रकार की भी शक्ति का दुरूपयोग करके गरीब (निर्बल-निर्धन) को परेशान करता है तो उस का सर्वनाश हो जाता है। जैसे बिना जीव की खाल से निकली श्वांस लोहे तक को भस्म (जलाकर नष्ट) कर देती है तो जीवित प्राणी से निकली हाय रूपी श्वांस (बद्दुवा) तेरा सर्वनाश कर देगी। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनता है, सिर में कीड़े पड़ते हैं।

जज साहब सदा इस पद पर नहीं रहोगे। कुछ परमात्मा से भी डरो, नेक काम करो। यदि आप जी के हृदय के किसी कोने में दया, भगवान का डर तथा न्याय की नीयत शेष है तो इस मुकदमे को समाप्त कर क्योंकि यह झूठा मुकदमा है। यदि ऐसा करके पुण्य प्राप्त करना आपके भाग्य में नहीं है तो कानून को अनदेखा मत करो। यदि दुःखी जनता ने कानून को अनदेखा कर दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले आप जैसे ही अधिकारी होते हैं जिन्होंने इस मुकदमे को गैर-कानूनी तरीके से बनाया तथा जिन जजों ने इसकी धाराऐं ठीक किए बिना चलाया है।

आज हम इसी स्थिति में आ चुके हैं यदि कोई हमारे को गैर-कानूनी तरीके से परेशान करेगा तो हम कानूनी तरीके से उसको सजा दिलाकर ही दम लेंगे।

समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है।

जैसा कि माननीय जज सुशील कुमार गुप्ता जी ने अपने आदेश दिनांक 5-4-2014 में 1-1 लाख रूपये का जुर्माना जमानतियों पर करते हुए कारण बताया है कि यह मुकदमा 2006 से विचाराधीन है। ये लोग जानबूझ कर गवाही वाले दिन अनुपस्थित हो जाते हैं।

इसलिए इनके जमानतियों पर नम्र होना मैं उचित नहीं समझता। क्या माननीय जज महोदय का यह आदेश किसी तानाशाह से कम है? इसका मुख्य कारण है कि इसकी 30 लाख रूपये की मांग पूरी नहीं हुई।

इसी मुकदमें के सम्बंध में हमने कई पटिशन माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में सन् 2006 से ही डाल रखी हैं। किन्हीं कारणों से उनका फैसला आज तक नहीं हो पाया। हम तो माननीय जज साहेबानों को नहीं कहते कि वे जानबूझ कर देरी करते हैं। कार्य कानून के अन्तर्गत हो वही अच्छा रहता है।

माननीय रोहतक कोर्ट में एक साथी भक्त कृष्ण जी ने आचार्य बलदेव तथा सत्यवीर शास्त्री के खिलाफ सन् 2005 से इस्तगासा मुकदमा डाल रखा है। जिसमें केवल तीन गवाह हैं। उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। हम तो इन माननीय जजों को भी नहीं कहते की ये जानबूझ कर देरी कर रहे हैं। कार्य तो कानून के अनुसार ही होना चाहिए। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता जज अपनी Malafide Intention का शिकार है। इसके द्वारा किया गया गैर कानूनी आदेश दिनांक 5-04-2014 ही माननीय जज के दोष को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हम सभी शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी को शपथ पत्र भी देंगे। इस माननीय भ्रष्ट जज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। इसको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको इस सम्मानीय पद से तुरंत बरखासत किया जाऐ ताकि जनता का न्यायालय के प्रति विश्वास कायम रह सके तथा गरीब जनता को न्याय मिल सके। आपकी अति कृपा होगी।

''सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायत पत्र''

सेवा में,

माननीय मुख्यन्यायधीश,
पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट,
चण्डीगढ़।

विषय :- न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र।

(जज श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक कोर्ट के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दूसरा शिकायत पत्र।)

श्रीमान् जी,

हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिती के 10 लाख सदस्य आप जी से प्रार्थना करते हैं कि न्यायालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर रोकथाम की जाए। भ्रष्ट जजों के विरूद्ध दी गई, शिकायतों की जांच करके उचित कार्यवाही करने के लिए हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार करें।

रोहतक जिला कोर्ट के सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार की शिकायत हमने 24 अप्रैल 2014 को आपके पास भेजी थी। जिसमें बताया गया है कि श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने हमारे से 30 लाख रूपये की मांग की, मांग पूरी न होने के कारण जो अन्याय किया उसका विस्तृत विवरण लिखा है। परन्तु पता गलत (Wrong Address) लिखा जाने के कारण कई दिनों के पश्चात् वह पत्र हमें वापिस प्राप्त हुआ। इसी कारण से इस माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी (सैशन जज रोहतक) की जांच शुरू नहीं हो पाई जिसका हमें इन्तजार था। वह पत्र पुनः पता (Address) ठीक करके आप जी के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है। आशा है कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखने तथा जनता का विश्वास न्यायालय के प्रति बरकार रखने के लिए आप जी अवश्य कड़े कदम उठाऐंगे।

30 लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण सैशन जज श्री सुशील कुमार जी का दमन चक्र बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे सतगुरु रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयाई हैं। जब गुरूदेव जी झूठे मुकदमें के कारण कोर्ट में पेशी पर जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात् भी श्रद्धावश, दर्शनार्थ कोर्ट के आस-पास इक्ट्ठे हो जाते हैं। उनके साथ आर्य समाज के लोग झगड़ा करते हैं, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते हैं जिससे **Law and order** की परेशानी आती है। जिस कारण से सन्त रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी की अर्जी न्यायालय में लगाई जाती है। हालात को मध्य नजर रखते हुए, जो न्यायालय के द्वारा मंजूर कर दी जाती है।

जब भी संत रामपाल जी महाराज की पेशी होती है उसी दौरान आर्यसमाज के व्यक्तियों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में दूर दराज से आऐ हुए उनके अनुयायियों की पिटाई की जाती है तथा केस भी अनुयाईयों पर ही किया जाता है।

(कृप्या देखें पुलिस की मौजूदगी में अनुयाईयों के साथ मारपीट की फोटो, जागरण सिटी 16 जून 2007)

युवक की पिटाई करते ग्रामीण।

कोर्ट परिसर के बाहर पिटाई के बाद लहू-लुहान हुआ युवक

हरिभूमि रोहतक, मंगलवार 1 अगस्त, 2006

रामपाल के अनुयायियों को धुना

पेशी के दौरान हुआ हंगामा ● कई भक्त जूते छोड़कर भागे ● पुलिस बनी रही मूकदर्शक

फिर हुई रामपाल के समर्थक की धुनाई

अदालत में रामपाल को देखने आए आना उसके समर्थक को उस समय महंगा पड़ा गया, जब रामपाल के विरोधियों ने कोर्ट परिसर के बाहर उसकी जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पुलिस पुलिस जवान तमाशा देखते रहे। इतना ही नहीं जब रामपाल को पुलिस पेशी के बाद लेकर जा रही थी तो कोर्ट परिसर के बाहर विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार जी ने अपने आदेश दिनांक 12-2-2014 में स्थाई हाजरी माफी कर दी थी क्योंकि जज साहेब को 30 लाख रूपये मिलने की उम्मीद थी। आदेश दिनांक 12-02-2014 की प्रति संलग्न है।

30 लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने अपने आदेश दिनांक 12-02-2014 को बिना किसी ठोस कारण के दिनांक 06-06-2014 को निरस्त कर दिया। जबकि जिस आधार से दिनांक 12-02-2014 को संत रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी के आदेश पारित किये गए थे। आज भी कानून व्यवस्था की वही यथास्थिति बनी हुई है। इस कारण से जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी द्वारा अपने ही आदेश को फिर से निरस्त करने का कोई भी न्यायोचित कारण नहीं बनता है। आज तक संत रामपाल जी महाराज की वजह से कभी भी कोर्ट के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंची है जिसका प्रमाण कोर्ट का रिकॉर्ड स्वयं प्रमाणित है। पहले भी कानून व्यवस्था की वजह से संत रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी होती रही है

तथा कोर्ट की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चलती रही है। लेकिन माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता द्वारा संत रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी को बिना किसी कारण से कैंसल करना जज महोदय की दूषित मानसिकता को दर्शाता है जबकि हमारे गुरु जी की ओर से शपथ पत्र दिया गया है कि मेरी अनुपस्थिती में कोर्ट की कोई भी कार्यवाही आप कर सकते हैं, गवाही भी ले सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मेरी Identity पर भी कोई एतराज नहीं है।

जज श्री सुशील कुमार ने जल-भुन कर दिनांक 06-06-2014 को आदेश पारित किया है कि 14-7-2014 को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में हाजिर हो। प्रथम कारण बताया है कि यह मुकदमा 8 वर्ष पुराना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने करोड़ों रूपये का चारा घोटाला किया था। 17 वर्ष में फैसला किया गया। जहां भ्रष्ट जजों का स्वार्थ पूरा होता है तो मुकदमा पुराना नहीं, जहां स्वार्थ पूरा नहीं होता तो मुकदमा पुराना है। इसके पीछे 30 लाख रूपये न मिलने का कारण है। हमारे ऊपर तो झूठा मुकदमा है। जिस व्यक्ति के नाम से FIR No. 198/2006 दर्ज की गई थी। उसने न्यायालय में अपने ब्यान में स्पष्ट कर दिया है कि मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं। पुलिस ने मेरे केवल दस्तखत कराए थे। मुकदमे का आधार F.I.R. होती है। वह मुद्दई मुकदमा के ब्यान से खत्म हो गई है तो मुकदमा किस आधार से चलाया जा रहा है? इससे स्पष्ट है कि यह मुकदमा हमारे भक्त-भाईयों पर झूठा बनाया गया है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट अन्याय है। F.S.L. की जांच स्पष्ट करती है कि आश्रम के हथियारों से मृतक की मृत्यु नहीं हुई। हम आश्रम में सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। आश्रम पर आक्रमण हुआ। हमारे ऊपर गलत धारा 148-149 लगाकर 302 का मुकदमा बनाया गया। यदि इस जज की नीयत साफ है तो धारा 148-149 को समाप्त करे, तब केस चलाए। हम फिर भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस मुकदमे में 38

व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। किसी मजबूरी के कारण कोई अनुपस्थित होता है तो अन्य का क्या दोष है?

दूसरा कारण गलत बताया है, वास्तविकता को छुपाया है। यह कारण नहीं बताया कि आर्यसमाज के लोग संत रामपाल जी तथा उसके अनुयाइयों के साथ झगड़ा करते हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब होती है जो जज श्री सुशील गुप्ता जी ने आदेश 12-02-2014 में आधार माना था। इस से सिद्ध है कि यह शख्स न्यायकारी नहीं कोरा झूठा तथा भ्रष्ट है।

आश्चर्य की बात है कि 14-07-2014 को कोर्ट में कोई गवाही नहीं है, फिर भी हाजरी माफी कैंसल कर दी!

यह जज की बुरी नीयत (Malafide Intention) का जीवित प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि 30 लाख रूपये सैशन जज सुशील कुमार जी को स्वप्न में भी नजर आ रहे हैं।

आप जी से प्रार्थना है कि यदि उस दिन संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयाईयों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

दिनांक 6-6-2014 को माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी (सैशन जज रोहतक) ने ओपन कोर्ट में कहा है कि जजों की शिकायतें होती रहती है। उनको हाई कोर्ट में एक तरफ रख दिया जाता है, जजों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। जज श्री सुशील गुप्ता जी की बुद्धि पर भ्रष्टाचार का इतना प्रभाव है, जिस कारण से इसने यह विचार व्यक्त किया। हम मानते है कि हाई कोर्ट में अवश्य कार्यवाही होती है। हमने देखा है कि शिकायत के आधार से कई जजों को समय से पहले पद मुक्त कर दिया गया है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों के लिए यह सजा पर्याप्त नहीं है, उनके लिए जेल का प्रावधान होना चाहिए।

आप जी से पुनः निवेदन है कि इस माननीय भ्रष्ट जज की शीघ्र जांच करके उचित कार्यवाही करके बरखास्त किया जाए।

इस जज से हमारा विश्वास उठ गया है। यह न्याय नहीं कर सकता। आप जी की अति कृपा होगी।

भक्त विजय जिसका विवाह कुछ समय पूर्व हुआ था। वह इस जज सुशील गुप्ता जी के क्रूर व्यवहार से मानसिक संतुलन खो बैठा। फिर इस जज महोदय ने विजय के दो जमानतियों पर उचित समय दिए बिना ही (एक जमानती को केवल 5 दिन तथा दूसरे को कोई समय नहीं दिया) एक-एक लाख रूपये जुर्माना कर दिया। जमानतियों ने तो पैसा विजय से लेना है। यह सुनकर उसको और भी आघात पहुंचा जिस कारण से अजीबोगरीब गतिविधि करने लगा। कई बार पंखे से रस्सी डालकर आत्महत्या की कोशिश की। फिर उसको **P.G.I.M.S.** रोहतक में पागल वार्ड में दिखाया गया। जहां से वह अचानक गायब हो गया। घर वाले तथा रिश्तेदार खोज रहे हैं तथा बेहद परेशान हैं। इस भ्रष्ट मायालोभी जज ने जवान बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। यदि विजय को कुछ हो गया तो यह सुशील कुमार जज जिम्मेदार होगा।

★ जज महोदय ने अपने आदेश दिनांक **06-06-2014** में यह भी लिखा है कि संत रामपाल एक आश्रम चलाता है। इस के लिखने के पीछे जज महोदय का क्या उद्देश्य है? स्पष्ट है कि इसके दिमाग में यह भरा है कि आश्रम वालों के पास बहुत धन होता है।

★ जज महोदय का यह कहना कि ये उसी दिन जानबूझ कर एक को गैर-हाजिर करते हैं जिस दिन गवाही होती है, सरासर गलत है क्योंकि दिनांक **21-05-2014** को किसी विशेष कारण से विनय अनुपस्थित हो गया था। **21-05-2014** को कोई गवाही नहीं थी, मजबूरी किसी को भी हो सकती है। **38** व्यक्ति हैं, **10** या **15** दिन की तारीखें लगाई जा रही हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से। इस से स्पष्ट है कि जज महोदय जानबूझ कर सत्य छुपा कर झूठ का आश्रय ले रहा है।

कोर्ट का रिकॉर्ड गवाह है कि कई बार केस के सर्व भक्त उपस्थित हुए हैं, गवाह एक भी नहीं आया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्वसिद्ध है कि यह जज सत्य पसंद नहीं करता।

इस माननीय भ्रष्ट जज का आगे जो अन्याय का दमन चक्र चलेगा, उसकी जानकारी समय-2 पर आप जी को देते रहेंगे ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके और न्यायालय की गरिमा बनी रहे तथा देश की आजादी की मर्यादा कायम रह सके। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब न्याय के मंदिर में बैठा भगवान का छोटा रूप (माननीय जज) ऐसी घिनौनी हरकत करके पूरी न्यायपालिका को कलंकित कर रहा है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी मानना है कि सैशन कोर्ट तक निचली अदालतों में 80% जज भ्रष्ट हैं। प्रमाण :-

दैनिक भास्कर हिसार . बुधवार, 11 मई 2011

शीर्ष कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

निचली अदालतों के सभी भ्रष्ट लोगों को बाहर फेंको

डीएनए नेटवर्क/एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के भ्रष्ट सदस्यों को बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश को नकारने वाली दिल्ली की एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अर्चना सिन्हा को लताड़ लगाते हुए मंगलवार को यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि एडीजे खुद को 'सुपर सुप्रीम कोर्ट' मान रही हैं।

जस्टिस मारकंडेय काटजु और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने कहा, 'आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक में नहीं ले सकते। लोग जजों को संदेह की नजर से देखते हैं। कहा जाता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका के 80 प्रतिशत सदस्य भ्रष्ट हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे सिर शर्म से झुक गए हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2010 को अपने आदेश में किरायेदार उधमसिंह जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मध्य दिल्ली की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी दिल्ली की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अर्चना सिन्हा ने किरायेदार को बाहर करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस पर नाराज बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को अर्चना सिन्हा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बेंच ने कहा, 'अर्चना सिन्हा को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे आदेश को नकार दे और खुद को 'सुपर सुप्रीम कोर्ट' साबित करें।'

निचली अदालतें 80% तक भ्रष्ट

जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा | जस्टिस मार्कंडेय काटजु

जस्टिस मार्कंडेय काटजु और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा- निचली अदालतें 80 फीसदी तक भ्रष्ट हैं। अतिरिक्त न्यायाधीश अर्चना सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने या खारिज करने का अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इससे लगता है कि वे सुपर सुप्रीम कोर्ट हो गई हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा- अर्चना को जेल भी भेजा जा सकता है और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है।

यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि अधीनस्थ न्यायपालिका का एक हिस्सा बाहरी फायदों के चलते आदेश पारित कर भारत की पूरी न्यायपालिका की ख्याति को धूमिल कर रहा है। जस्टिस काटजु ने अपने फैसले में लिखा, 'हम उन आरोपों पर कुछ नहीं कहना चाहते जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका क्या कर रही है, यह बताया जाता है। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि इस तरह का कदाचार पूरी तरह से खत्म होना चाहिए।

हमारा उद्देश्य केवल किसी भी भ्रष्ट जज की शिकायत करना या मानहानि करना मात्र नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिती ने यह निर्णय लिया है कि देश को स्वच्छ न्यायपालिका प्रदान करना है ताकि गरीब-असहाय जनता भ्रष्ट जजों के अन्याय के दमन चक्र से बच सके। पूरे भारतवर्ष में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय तथा अत्याचार होगा और वह हमसे मिलकर अपनी समस्या बताऐगा तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिती इसकी जांच करेगी और यदि वह सत्य पाया गया तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिती उसके लिए भी संघर्ष करेगी और अन्यायी जज या प्रशासनिक अधिकारी जो कोई भी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए प्रार्थना पत्र लगा कर न्याय दिलाऐगी।

हम मानते हैं कि अधिकतर जज न्यायप्रिय व कानून की पालना करने वाले हैं। हम उनका सम्मान करते हैं।

हम पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि इस भ्रष्ट जज को पदमुक्त नहीं किया गया तो कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे सम्मानीय पद पर विराजमान व्यक्ति इतने घटिया विचार रखता है। उसको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

आशा है आप अवश्य उचित कार्यवाही करेंगे, तथा कार्यवाही की जानकारी शिकायतकर्ता को भी भेजने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद।

★ अश्वनी कुमार ACJM की कोर्ट में आश्रम की जमीन का मुकदमा चल रहा था। जज अश्वनी कुमार के विषय में भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को की गई जो इस प्रकार है :-

विषय :- श्री अश्वनी कुमार मेहता C.J.M. रोहतक कोर्ट के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतू प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लगभग दस लाख सदस्य आप जी से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त जज श्री

अश्वनी कुमार मेहता C.J.M. की जांच करके इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना करते हैं।

हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि अधिकतर जज न्यायप्रिय तथा कानून का पालन करने वाले हैं। हम जज को परमात्मा को छोटा रूप मानते हैं। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन व मृत्यु का फैसला होता है। यदि कोई ऐसे माननीय तथा सम्माननीय पद पर विराजमान जज अपने स्वार्थवश कानून को अनदेखा करता है। गरीब जनता को न्याय नहीं देता है। वह न्यायालय की छवि खराब करता है तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

जज श्री अश्वनी कुमार मेहता माननीय के भ्रष्टाचार तथा अन्याय का उल्लेख :-

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के कुछ सदस्य 1. सतीश चन्द्र गाँव-सुण्डाना 2. राजेन्द्र सिंह गाँव-बरौदा 3. बलवान सिंह गाँव-बालक 4. चान्दीराम गाँव-बालक माननीय जज श्री अश्वनी कुमार मेहता जी से दिनांक 23-01-2014 को कोर्ट में मिले तथा उससे मुकदमा नं. 446/2006 की वास्तविकता से परिचय कराने का प्रयास किया तथा इस केस से सन्त रामपाल जी का नाम निकालने के लिए प्रार्थना की क्योंकि इस केस में सन्त रामपाल जी महाराज का नाम झूठा तथा बेबुनियाद है। माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी ने कहा कि अब कोर्ट का समय है। आप मुझे कोर्ट के समय के बाद मिलना तब तक मैं इस केस की फाईल पढ़ लूंगा। हमारे उपरोक्त सदस्य माननीय जज श्री अश्वनी कुमार से पुनः मिले तथा उनको बताया।

मामला यह कि ''सतलोक आश्रम करौंथा'' की जमीन पर झूठा मुकदमा नं. 446 Dt. 21-07-2006 रोहतक कोर्ट (हरियाणा) में विचाराधीन है। जिस समय यह जमीन कुछ भक्तों द्वारा बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को स्वइच्छा से दान की गई। हमारे सतगुरूदेव सन्त रामपाल दास जी महाराज हरियाणा से बाहर महाराष्ट्र प्रान्त

में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। उनको तो जमीन लेने के बारे में तीन महीने के बाद जब हरियाणा में आए तब बताया गया था कि हम सर्व भक्तो ने विचार विमर्श करके तीन एकड़ जमीन का टुकड़ा गाँव करौंथा जिला-रोहतक में आश्रम के लिए अपने भक्तों ने ही दान किया है। दानकर्ता के विशेष आग्रह पर जमीन बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम ट्रस्टी भक्त राजेन्द्र के नाम से करा दी है। हमने पहली बार ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट की ओर से कोई रेजूलेशन भी पास नहीं किया गया था।

हमारे सतगुरू रामपाल दास जी महाराज के कहीं भी जमीन की खरीद के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं हैं। इनका नाम भी राजनीतिक दबाव में बनाए मुकदमा नं. 446 Dt. 21-07-2006 में डाल कर व्यर्थ परेशान किया जा रहा है।

इस जमीन के मुकदमा नं. 446 Dt. 2006 में मुख्य गवाह ने (जिसके नाम से F.I.R. काटी गई थी उसने) न्यायालय में ब्यान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस F.I.R. में क्या लिखा है। मुझे कुछ जानकारी नहीं क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती मेरे से हस्ताक्षर कराए थे।

★ दान अपनी इच्छा से किया जाता है। जमीन ट्रस्ट के नाम हुई है। किसी ट्रस्टी या चेयरमैन के नाम नहीं हुई है। ट्रस्ट का नियम है कि यदि ट्रस्ट का प्रबन्धन ट्रस्ट चलाने में असफल रहता है तो उस ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति सरकार सील कर देती है। इसलिए यह मामला 420 धारा का नहीं है।

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने सर्व जानकारी माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी को दी।

जज अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मैंने केस को पढ़ लिया है। यह केस तो आप पर बनता ही नहीं है। जमीन दानकर्ता ''कमला'' के माता-भाई-बहन तथा बुआ हैं। मैंने यह देख लिया है कि जिस समय जमीन दान की अप्रैल 1999 को तथा आज 2014 तक कमला ने किसी कोर्ट में इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा भी दायर

नहीं किया है।

पुलिस ने चालान के साथ कमला पुत्री श्री साहब सिंह का 161 का ब्यान भी नहीं लगा रखा। जज महोदय ने आगे कहा कि यदि आप मुझ से पहले मिल लेते तो मैं कमला को गवाह रूप में भी स्वीकार नहीं करता। इस केस की गवाहियाँ 2007 से चल रही हैं। दिनांक 01-08-2013 (6 वर्ष) तक यह कमला पुत्री श्री साहब सिंह ब्यान देने भी नहीं आई थी। जमीन की रजिस्ट्री से (1999) से 01-08-2013 तक 14 वर्ष बीत गए हैं। इस आधार से भी स्पष्ट है कि सर्व कार्य इसकी सहमति से ही हुआ था। बाद में किसी ने इसको उकसाया है।

जज ने यह भी बताया कि मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि कमला ने जो 01-08-2013 को कोर्ट में ब्यान दिया है, उस में जो उसने प्रारम्भ में कहा है वह तो उसके वकील द्वारा तोते की तरह रटाई गई कहानी थी। फिर उसने अन्त में वास्तविकता भी बता दी। उसने कहा है कि ''मैंने बयनामा (रजिस्ट्री) देख लिया है। यह मैंने ही लिखवाया है। फिर कहा कि कृष्णा ने लिखवाया है (जो नाते में इसकी सगी बुआ है) इस से भी स्पष्ट है कि कमला की सहमति से ही जमीन ट्रस्ट को दान की गई है।

कमला ने ब्यान में स्वीकारा है कि ''मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहती थी।'' इस से स्वसिद्ध है कि जमीन दान इसकी सहमति से हुई है। कमला के ब्यान का भावार्थ है कि मैं जमीन नहीं देना चाहती थी परन्तु जमीन दे दी गई। इस से स्पष्ट है कि कमला को पूरी स्थिति का पता था। सर्व कार्य इसकी सहमति के अनुसार हुआ था। यदि ऐसा न होता तो उसी समय न्यायालय में अपील कर सकती थी जो कि कमला ने आज तक भी ऐसा नहीं किया है। इस से स्पष्ट है कि जमीन दान करने में जो कृष्णा को कमला बना कर बैठाया गया है। यह इस के परिवार ने कमला को विश्वास में लेकर कृष्णा को कमला के स्थान बैठाया है। ट्रस्टी तथा चेयरमैन का तो कोई दोष ही नहीं है। फिर भी यह झूठा मुकदमा आप के गले में सरकार

ने डाल दिया है। इसको अपने गले से निकालना तो पड़ेगा ही।

श्री अश्वनी कुमार माननीय जज जी ने कहा कि आप भी जानते हैं वर्तमान में कैसे काम बनता है? आप लोगों को कुछ खर्च करना पड़ेगा।

समिति के सदस्यों ने पूछा कि क्या खर्च करना पड़ेगा?

जज श्री अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मात्र 20 लाख रूपये लगेंगे। हाई कोर्ट तक सैटिंग करनी पड़ती है। मैंने कुछ नहीं लेना, यह सारा खर्चा आगे ही देना है। मैं तो भगवान से डरने वाला हूँ। याद रखना जजों के पास स्वयं संज्ञान रूपी दो धारी तलवार हैं। सर्व गवाह भी आप के पक्ष में हों तो भी जज सजा कर सकते हैं। चाहे सारे गवाह आप के विरूद्ध हों तो भी स्वयं संज्ञान लेकर बरी कर सकते हैं। यदि छोटी-छोटी तारीखें भी लगेंगी तो आप के घर-व्यवसाय के कार्य की हानि होगी और आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। आप को इससे (20 लाख से) भी अधिक हानि हो जाएगी। विचार कर लेना।

यह सर्व बातें श्री अश्वनी कुमार जज के मुख से सुनकर सर्व सदस्य दंग रह गए और कहा जज जी हम यह नहीं कर पाऐंगे। आप जी केस की वास्तविकता के आधार पर वैसे ही दया कर दें।

जज अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मैंने तो आप को सलाह दी है, मानना या न मानना आपका काम है। आप के ट्रस्टी व गुरू पर तो यह केस बनता ही नहीं है। वैसे ही बरी हो सकते हैं।

यह सर्व दास्तां राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्यों 1. सतीश चन्द्र गाँव-सुण्डाना 2. राजेन्द्र सिंह गाँव-बरौदा 3. बलवान सिंह गाँव-बालक 4. चान्दीराम गाँव-बालक ने राष्ट्रीय सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को मिटिंग करके बताई तो यही निर्णय लिया कि जज साहब का आगे कैसा बर्ताव रहेगा, उस को देखकर ही ऊपर के अधिकारियों को शिकायत की जाएगी।

20 लाख की मनसा पूरी न होने के पश्चात् माननीय जज श्री अश्वनी कुमार मेहता जी की अन्याय की झलक।

दिनांक 23-01-2014 के पश्चात् जज महोदय ने छोटी-छोटी तारीख लगानी प्रारम्भ की। दिनांक 31-01-2014 (8 दिन की) अगली 05-02-2014 (5 दिन की) अगली 13-02-2014 (8 दिन की) अगली 19-02-2014 (6 दिन की) अगली 20-02-2014 लगाई (1 दिन की)। 20-02-2014 को हमें परेशान करने के उद्देश्य से स्वयं कोर्ट में नहीं आया। उस दिन कोई कार्यवाही नहीं की। फिर जज अश्वनी कुमार मेहता जी के स्थान पर दूसरे जज ने कार्यभार संभाला।

इस के अतिरिक्त अन्य अन्याय जो जज अश्वनी कुमार जी ने किया। इस प्रकार है:-

श्रीमति कमला पुत्री साहब सिंह की ओर से कुछ वकील आने लगे। हमारे वकील जी ने जज श्री अश्वनी कुमार जी की कोर्ट में अपील लगाई कि कमला पुत्री साहब सिंह एक गवाह है। उसने जो ब्यान देना था, दे दिया। अब इसकी ओर से वकील नहीं आने चाहिए, ये कानून के विरूद्ध है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अपने आदेश दिनांक 19-02-2014 में कहा कि कमला Victim (पीड़ित) है, इसके साथ धोखा (Fraud) हुआ है। यह वकील कर सकती है।

20 लाख की हवस पूरी न होने के कारण माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी ने पक्का इरादा कर लिया था कि स्वयं संज्ञान के जरिए ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा चेयरमैन को सजा देगा ही देगा। यह आदेश पारित करते समय कमला के कोर्ट में दिए ब्यान को भी अनदेखा कर दिया। जज साहब पहले स्वयं कह रहे थे कि कमला की सहमति से जमीन दान की गई है। यह बात इसके ब्यान से स्पष्ट है और 20 लाख रूपये न मिलने के कारण कमला को बाद में जज साहब ने Victim (पीड़ित) घोषित कर दिया और लिख दिया कि इसकी जमीन धोखे से दान की गई है। कमला को पीड़ित घोषित करना ही सिद्ध करता है कि जज ने (Malafied Intention) बदनीयत से ही यह आदेश किया है। कमला पीड़ित है

तो सिद्ध कर दिया कि अन्य सब दोषी हुए। जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अपने आदेश में भी स्पष्ट किया है कि केस दर्ज कराने वाला करतार सिंह कमला का सगा चाचा है। फिर यह भी कहा है कि वह दोषियों के साथ मिलीभगत करके Hostile हो गया है। जमीन दान करने वाले कमला के माता, भाई-बहन हैं। क्या वे भी कमला से धोखा करके हमारे को मुफ्त जमीन दे सकते हैं? जज श्री अश्वनी कुमार जी ने 20 लाख रूपये की हवस पूरी न होने के कारण कानून का जानकार होते हुए भी जानबूझ कर गैर-जिम्मेदाराना आदेश पारित करके अपनी मलीन मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया और सम्माननीय न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया है।

जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नं. 2009 (S) Law of HERALD (S.C.) 3310 For Criminal Appeal No. 1695 of 2009 arising of out of SLP (crl.) No. 6211 of 2007 भी स्पष्ट करता है कि यदि A ने B की जमीन ''B'' बन कर ''C'' को बेच दी या दान कर दी तो ''A'' दोषी है। ''C'' दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम तो ''C'' हैं जमीन प्राप्त करने वाले। हम पर यह मुकदमा ही नहीं बनता। यह राजनीतिक दबाव से बनाया गया है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश भी जज महोदय ने लालचवश अनदेखा कर दिया।

यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यदि जमीन लेने वाले दोषी बनाए गऐ हैं। फिर तो तहसीलदार, रजिस्ट्री कलर्क तथा अर्जीनविस को भी दोषी बनाया जाना चाहिए था। जिन्होंने सारे कागजात की पूरी जाँच-पड़ताल करके रजिस्ट्री की है। यहां पर यह बताना भी अनिवार्य है कि जमीन दान की रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम है। यह किसी ट्रस्टी तथा चेयरमैन की निजी संपत्ति नहीं है और न ही हो सकती है। इसलिए हमारा परोपकार के लिए प्रयत्न है जिसे धोखा (420) की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पूरे घटनाक्रम को जान कर यह निष्कर्ष निकलता है कि कमला ने अपनी जमीन स्वेच्छा से ट्रस्ट को दान की है। किन्हीं कारणों से यह तहसील में उपस्थित नहीं हो पाई। फिर इसको रजिस्ट्री के सर्व कागजात

तैयार करके दिखाए गये थे। तब इसने अपनी मर्जी से अपनी बुआ को तहसील में भेज कर अपने स्थान पर खड़ा किया है। जो इसके ब्यान से भी स्पष्ट है जो ब्यान इसने न्यायालय में जज श्री अश्वनी कुमार जी के समक्ष दिए हैं। यह बात हमें अब स्पष्ट हो गई है यदि यह धोखा (Froud) 420 है तो कमला तथा कृष्णा द्वारा किया गया है। इसमें ट्रस्ट का कोई दोष नहीं है।

हमारा सौभाग्य था कि उसी दौरान एक नया जज श्री लोकेश गुप्ता जी आ गए। माननीय भ्रष्ट जज श्री अश्वनी कुमार जी के जुल्म व अन्याय से बच गए नहीं तो जज अश्वनी कुमार जी अपने स्वार्थवश हम निर्दोषों को सजा कर देता।

विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री अश्वनी कुमार जज 20 लाख रूपये न मिलने के कारण कितने घटिया हथकण्डे अपना रहा है। इसने श्री लोकेश कुमार गुप्ता जज से कहा था कि आप इस केस 446/2006 में ट्रस्टी तथा चेयरमैन की भी सजा करना, ये जजों की शिकायत करते हैं। ज्ञात हुआ है कि जज श्री लोकेश गुप्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर जज श्री अश्वनी कुमार जी ने यह केस श्रीमति कीर्ति जैन J.M.I.C. के यहाँ ट्रांस्फर करा दिया जो जूनियर डिविजन में जज है जो श्री अश्वनी कुमार A.C.J.M. के आधीन है। इससे यह जो अन्याय चाहेगा, करा लेगा। यदि जज कीर्ति जैन जी ने कानून को अनदेखा किया और गैर-कानूनी कार्य किया तो उसकी जानकारी भी उच्च अधिकारी जज को दी जाएगी।

जो आदेश श्री अश्वनी कुमार जी ने लालचवश पारित किया था, कहा था कि ''कमला'' Victim (पीड़ित) है। इस आदेश के खिलाफ हमारे वकील ने सैशन जज की कोर्ट में अपील की। एडीश्नल सैशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी की कोर्ट में सुनवाई के लिए केस लगा। श्री अश्वनी कुमार जी ने अपनी निजी तालुकात से एडीश्नल सैशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी को भी भ्रमित करके अपने आदेश के अनुरूप फैसला करा दिया। इस आदेश के खिलाफ हमारे वकील जी ने माननीय हाई कोर्ट पंजाब

व हरियाणा चण्डीगढ़ में अपील की ''माननीय विद्वान जज श्री सुरेन्द्र गुप्ता जी ने अपने आदेश नं. **Crl. Misc No. M-17667 of 2014 Dt. 22-05-2014** में न्याय किया, कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। ऐसे समय में **Victim** पीड़ित **and Froud** (धोखा) शब्दों का प्रयोग करना गलत है। कमला को असन्तुष्ट (**aggreaved**) कहा जा सकता है। फिर कहा कि अपनी सलाह के लिए गवाह भी वकील कर सकता है परन्तु वह वकील कोर्ट में सीधा कोई पक्ष नहीं रख सकता। (हाई कोर्ट का आदेश संलग्न है।)

हमारे को माननीय हाई कोर्ट से न्याय मिला। हम इस प्रार्थना पत्र के आरम्भ में ही लिख चुके हैं कि अधिकतर जज न्यायकारी हैं। कुछ भ्रष्ट जज ही अपने स्वार्थवश अन्याय करके गरीब जनता को सताते हैं क्योंकि भ्रष्ट जजों को पता होता है कि आम व्यक्ति ऊपर की कोर्टों में नहीं जा सकता क्योंकि वकीलों की मंहगी फीस होती है जो गरीब के वश के बाहर की बात होती है।

आप जी से पुनः प्रार्थना है कि माननीय भ्रष्ट जज श्री अश्वनी कुमार मेहता **C.J.M.** रोहतक कोर्ट (हरियाणा) की जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसे व्यक्ति ऐसे सम्माननीय पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। इसको तुरन्त प्रभाव से बरखास्त किया जाए ताकि गरीब जनता अन्याय से बच सके। जांच अधिकारी के सामने जांच के समय हमारे वो सदस्य जो जज श्री अश्वनी कुमार से मिले थे, शपथ पत्र देंगे तथा जांच में पूरा योगदान देंगे।

कानून को अनदेखा करके जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। यदि गरीब जनता ने दुःखी होकर कानून को अनदेखा कर दिया तो क्या होगा?

यदि इस जज के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो हम सर्व **10** लाख राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों को सवैंधानिक तरीके से आंदोलन व प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

धन्यवाद।

जज सविता कुमारी के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई जो इस प्रकार है :-

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
चण्डीगढ़।

विषयः- जज श्रीमति सविता कुमारी **JMIC** रोहतक के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतू प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लगभग दस लाख सदस्य आप से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त जज की जांच करके सख्त कार्यवाही करने की प्रार्थना करते हैं।

हम मानते हैं कि अधिकतर जज कानून का पालन करने वाले हैं, न्यायप्रिय हैं। हम जज को परमात्मा का छोटा रूप मानते हैं। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन-मृत्यु का फैसला होता है। ऐसे माननीय तथा सम्माननीय पद पर विराजमान व्यक्ति अपने स्वार्थवश अन्याय करता है। गरीब जनता को न्याय नहीं देता है। वह न्यायालय की छवि को खराब करता है। उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामला यह कि हमारे कुछ सदस्यों पर मुकदमा नं. **192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak** माननीय जज सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है।

केस नं. **178 Dt. 09-12-2005** इस्तगासा आश्रम के ट्रस्टी डॉ. कृष्ण जी ने आश्रम की मानहानि का सत्यवीर शास्त्री पर डाल रखा था तथा केस नं. **176 Dt. 06-03-2006** आचार्य बलदेव के खिलाफ था जो माननीय जज सविता जी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसमें माननीय जज सविता जी ने हमारे विरोधियों से रूपये लेकर उनके पक्ष में फैसला कर दिया।

दिनांक **02** मई **2014** को इस्तगासा केस नं. **178 Dt. 09-12-2005** तथा केस नं. **176 Dt. 06-03-2006** की तारीख थी। हमारे

कुछ सदस्य भी ट्रस्टी कृष्ण के साथ कोर्ट में गए थे जो प्रत्येक पेशी पर जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि :-

दिनांक 2 मई 2014 को इस्तगासा केस नं. 178 Dt. 09-12-005 तथा केस नं. 176 Dt. 06-03-2006 की पेशी थी। उस दिन माननीय जज सविता जी छुट्टी पर थी। दोषी आचार्य बलदेव पहले से अनुपस्थित चल रहा था। 2 मई 2014 को आचार्य बलदेव कोर्ट में पेश हुआ। उसकी जमानत की अर्जी लगाई गई। जमानत की सुनवाई के लिए माननीय जज कीर्ति जैन जी की कोर्ट में लगी जो उस दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी।

आचार्य बलदेव के साथ आर्यसमाज के कई व्यक्ति कोर्ट से बाहर एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। एक व्यक्ति और आया जिसको पटवारी जी कह रहे थे। उसने पूछा आचार्य जी की जमानत का क्या रहा? दूसरे व्यक्तियों ने बताया कि जमानत हो जाएगी। हमें जज कीर्ति जैन का दलाल मिल गया है। हमें कल ही पता चला था कि जज सविता छुट्टी पर हैं। हमने जज कीर्ति जैन से पांच लाख रूपये में सैटिंग कर रखी है। हमारी सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता से भी सैटिंग हो चुकी है।

हमारे तीन सदस्यों ने बताया कि हम अनजान से बनकर मुँह दूसरी ओर करके अखबार पढ़ने का बहाना करके उनकी सारी वार्ता सुन रहे थे जिनके नाम हैं 1. बिजेन्द्र निवासी गाँव-गांधरा 2. महेन्द्र निवासी-मादीपुर (दिल्ली) 3.ओमप्रकाश निवासी गाँव-गांधरा।

उसी व्यक्ति ने (जिसको पटवारी जी कह रहे थे) फिर पूछा कि जो मुकदमें रामपाल के चेलों ने कर रखे हैं जो सविता जज की कोर्ट में आचार्य बलदेव तथा सत्यबीर शास्त्री पर चल रहे हैं। इनकी क्या संभावना है? आर्य समाज के व्यक्तियों ने कहा कि सविता जज का भी दलाल मिल गया है, सब सैटिंग हो गई है। दोनों मुकदमों में बरी हो जाऐंगे और रामपाल और उसके चेलों पर दो मुकदमे हैं एक आश्रम की जमीन का तथा दूसरा करौंथा काण्ड का इनमें इनकी सजा कराऐंगे। यह भी सैटिंग जजों से हो चुकी है।

वही हुआ जो सुना था :- 02-05-2014 को Working जज सविता कुमारी जी छुट्टी पर थी। दूसरी जज कीर्ति जैन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहां जमानत लगी। जमानत मंजूर हो गई। हमारे भक्तों के ऊपर आर्य समाज के व्यक्तियों ने झूठा केस नं. 198/06 Date-12-07-2006 करौंथा काण्ड का चल रहा है और जो मुकदमा नं. FIR No. 192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak का है। यदि हमारे भक्त किसी कारण से किसी दिन अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनके किसी प्रमाण को नहीं माना जाता। कई तो मानसिक रोग से ग्रस्त होकर बुरे हाल में जजों के सामने पेश किये गये। सब को जेल भेजा गया क्योंकि हम इन जजों को रूपये नहीं दे सकते। वही हुआ जो सुना था :-

19 मई 2014 को माननीय भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी ने दोनों दोषियों 1. आचार्य बलदेव 2. सत्यवीर शास्त्री को दोनों केसों में बरी कर दिया। जज ने बरी करने के आदेश में आधार बनाया है कि ''शिकायतकर्ता सिद्ध नहीं कर सका की समाचार पत्र में ब्यान दोषियों ने दिया था।

कृपया पढ़ें जज के उस आदेश के पृष्ठ 7 की फोटोकापी।

Krishan Singh v. Satbir Shastri

7

11. Thus, complainant having failed to prove the guilt of the accused beyond shadow of reasonable doubt, accused is hereby acquitted from the offences charged with. Bail bonds and surety bonds furnished stand extended for a further period of six months and in case no appeal is preferred after lapse of six months, same shall stand discharged. File be consigned to record room after due compliance.

Savita Kumari

Pronounced in Open Court.
Dated: 19.05.2014

(Savita Kumari)
Judicial Magistrate Ist Class
Rohtak.

जबकि दोषी सत्यवीर ने स्वयं न्यायालय में जवाबदावे में स्वीकारा है कि मैंने यह ब्यान समाचार पत्र में छपवाया था। इससे

स्पष्ट है कि जज सविता कुमारी ने दोषियों से रिश्वत लेकर बरी किया है। अधिक जानकारी इस प्रकार है :-

★ इन मुकदमों में दोषियों के विरूद्ध सब सबूत थे। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से यह स्व प्रमाणित है तथा हमारे तीन गवाह भी गवाही दे चुके थे।

★ सत्यवीर शास्त्री ने स्वयं स्वीकारा है कि मैंने यह स्टेटमैंट समाचार पत्रों में निकलवाई है। सत्यबीर ने न्यायालय में जवाब दावा दिया है। उसमें भी स्वीकारा है कि मैंने समाचार पत्र में यह ब्यान दिया था। मैंने ही समाचार पत्र छपवाया है। वह भी जज सविता जी को दिखाया गया। उसकी सत्यापित प्रति भी जज के माँगने पर दी गई। (जवाबदावा की प्रति संलग्न है)

कृपया पढ़ें जवाब दावे की फोटोकापी पृष्ठ 4 की जिसमें दोषी सत्यबीर ने स्वयं स्वीकारा है कि 24-11-2005 को यह समाचार दैनिक जागरण तथा भास्कर समाचार पत्रों में मैंने ही निकलवाया था। जब दोषी स्वयं स्वीकारता है कि मैंने अपराध किया है, फिर गवाह की क्या आवश्यकता है? इस भ्रष्ट जज ने मोटी रिश्वत लेकर यह फैसला दिया है।

public was legitimately interested and it affected the administration of justice. These were fair comments on a matter of public interest and the public in general was loving directly or indirectly involved. The views of the defendant were ~~lovent~~ correct and relevant. The comments expressed in the news item were fair and were based upon news item dated 22.11.2005 and the FIR recorded in the case. The defendant believes those facts as true while issuing the press statement which was published on 24.11.2005. The defendant has a legal and vested right to comment on acts/deeds of public man which concern him.

★ जिस समय यह गलत समाचार छपा था। उसी समय हमारे ट्रस्ट के सदस्यों ने यह खण्डन भी किया था कि यह सर्व झूठ समाचार है। हमने भी समाचार पत्र में निकलवाया था।

★ पुलिस ने अपनी जाँच में भी स्पष्ट किया है कि यह बलात्कार की घटना गाँव-बोहर के खेतों की है जो सतलोक आश्रम से लगभग 25 कि.मी. दूर है।

★ उसी समय इस सिलसिले में हमारा शिष्ट मंडल एस.पी. रोहतक से भी मिला था कि यह समाचार पत्र कैसे छपा है? यह सुनकर तत्कालीन एस.पी. भी आश्चर्य में पड़ गया, कहा कि हमारे सामने लड़की ने स्वयं बताया कि बोहर गाँव के खेतों में यह घटना घटी। बोहर गाँव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यही बताया कि यह घटना गाँव के निकट ही खेतों में हुई है। हमारे पास सब के ब्यान हैं।

आर्यसमाज के लोगों को हमारे आश्रम को बदनाम करने का कौन सा अधिकार है। जज महोदय सविता जी ने भी अपने लालच में कानून को अनदेखा करके उनके पक्ष में फैसला कर दिया।

★ जज सविता जी से प्रार्थना है कि इनका लाईसैंस बना दे कि ये किसी की मानहानि करें इनको कोई नहीं रोकेगा।

★ हमारे भक्तों ने 50000/- (पचास हजार रूपये) भी कोर्ट फीस भर कर मुकदमा डाला था। यदि यह मुकदमा झूठा होता तो क्या हमारे सिर में दर्द था कि हम 50000/- रूपये खर्चते तथा वकीलों की फीस भरते।

★ पुलिस ने जिस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा बनाया उसमें स्पष्ट लिखा है कि बोहर गाँव के बाहर खेतों में एक मकान के खण्डहर में बलात्कार हुआ था।

★ मुकदमा नं. FIR No. 192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak का केस माननीय जज सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है।

उसी दिन दिनांक 19-05-2014 को इस केस की पेशी भी थी जिस दिन केस नं. 178 Dt. 09-12-2005 तथा केस नं. 176 Dt. 06-03-2006 में दोषियों को बरी कर दिया। उसी दिन मुकदमा नं.

192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak की तारीख पेशी थी। एक गवाह जिसका नाम मेघराज पुलिस वाला आया हुआ था। उस के सामने जज सविता जी ने प्रत्येक नामजद मुकदमा के नाम-पिता का नाम से बुला कर अन्दर एक-एक करके कोर्ट में बुलाया। हमने प्रार्थना की कि गवाह के सामने एक-एक को बुलाया जा रहा है। उसको पहचान कराई जा रही है। जज सविता ने हमारी एक नहीं सुनी और सर्व नामजद मुकदमा के हमारे भक्तों को बुला-बुलाकर गवाह के सामने पहचान कराई गई।

इस से भी स्पष्ट है कि जज सविता जी लालच में अन्धी हो गई है। कानून की भी पालना नहीं कर रही है।

★ एक तारीख पर हमारा वकील किसी कारण से कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। उस दिन केस नं. **178 Dt. 09-12-2005** तथा केस नं. **176 Dt. 06-03-2006** की पेशी थी। आवाज लगने पर एक भक्त ने जज सविता जी से प्रार्थना की कि ''जज साहब हमारा वकील नहीं आ सका है।

इस बात पर जज बहुत क्रोध में आकर बोली कि बुलाओ अपने वकील को नहीं तो मैं एक-तरफा फैसला कर दूंगी।

★ जो भक्त इस केस की पेशी पर पैरवी के लिए जाते हैं तथा जिन पर यह मुकदमा बना रखा है उनमें से चार व्यक्तियों ने **1.** जगदीश निवासी-पंजाबखोड़ **2.** बिजेन्द्र निवासी-गांधरा **3.** महेन्द्र निवासी-मादीपुर (दिल्ली) **4.** ओम प्रकाश निवासी-गांधरा ने दिनांक **25-03-2014** को जज सविता जी से प्रार्थना की कि यह मुकदमा जो रोड़ जाम का है। यह राजनीति के दबाव में झूठा बनाया गया है। हमने रोड़ जाम नहीं किया, रोड़ जाम तो आर्य समाजियों ने किया था। उन पर मुकदमा नहीं बनाया गया। हमारे सर्व भक्त निर्दोष हैं। कृपया इस मुकदमें से हमारा पीछा छुड़वाऐं। **2006** से सैंकड़ों पेशियों पर आए हैं। हम घर का कार्य भी नहीं कर सकते। हम बहुत दुःखी हो चुके हैं। जज ने कहा कि कुछ कोर्ट का खर्चा भरना पड़ेगा। मुकदमा जल्दी तथा तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हमने

कहा कि जी कितने रूपये खर्चा भरना पड़ेगा। उस समय जज सविता कुमारी कोर्ट में अकेली बैठी थी। उसने बताया कि 10 लाख रूपये कोर्ट फीस है। यह मुझे गुप्त देनी होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तो छोटी-छोटी तारीख लगने से आप घर के कार्य भी ठीक से नहीं कर पाओगे। जिस कारण से आप को अधिक हानि हो जाएगी। विचार कर लेना, आप 19 व्यक्ति हैं। पचास हजार रूपये ही एक के हिस्से आते हैं। मैं तो आप को सलाह दे रही हूँ। आप की इच्छा है जैसे करो, कर लेना। 10 लाख रूपये कोर्ट फीस सुनकर हमें आश्चर्य तो हुआ परन्तु कहा कि मैडम हम विचार करके बताऐंगे। हम निर्धन व्यक्ति हैं, 10 लाख रूपये कोर्ट फीस भरने में असमर्थ हैं। इसलिए हमने दोबारा जज से कोई बात नहीं की। उसके पश्चात् तो जज सविता का हमारे प्रति आक्रामक रवैया हो गया। छोटी-छोटी तारीख देने लगी। 25-03-2014 के पश्चात् 26-04-2014 (31 दिन की) इस दौरान एक नामजद मुकदमा अनुपस्थित चल रहा था। उसको P.O. करने के लिए 31 दिन की तारीख दी थी। यह इस जज की मजबूरी थी। इस के पश्चात् 02-05-2014 (8 दिन की), फिर 08-05-2014 (6 दिन की) फिर 19-05-2014 (11 दिन की), फिर 24-05-2014 (5 दिन की), फिर 31-05-2014 (7 दिन की)।

उन चारों भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को बताया। जब वकीलों से पूछा गया तो हमारी हँसी करने लगे कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि कोर्ट फीस भरो और बरी हो जाओ। यह तो जज की सीधा-2 रिश्वत की माँग है।

फिर हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मिटिंग बुलाई तथा माननीय भ्रष्ट जज सविता जी की शिकायत उच्च अधिकारियों को करने का निर्णय लिया गया।

आप जी से नम्र निवेदन है कि भ्रष्ट जज की जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाऐ।

आप जी की अति कृपा होगी और न्यायालय की गरिमा बनी रहेगी।

जांच अधिकारी को हमारे चारों भक्त शपथ पत्र भी देंगे। यदि भ्रष्ट जज पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व (10 लाख) सदस्य संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जब तक इस भ्रष्ट जज को पद से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन करेंगे।

आप जी से पुनः निवेदन है कि इस माननीय भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी को बरखास्त करके सख्त कार्यवाही की जाये। इस से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।

धन्यवाद।

प्रार्थी
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति
के सर्व सदस्य

हमने माननीय राष्ट्रपति जी भारत गणराज्य को पत्र लिख कर जांच की माँग की, उस का कुछ अंश यहाँ लिख रहे हैं।

विषय :- करौंथा काण्ड (जिला रोहतक, हरियाणा) में कुछ जजों द्वारा किए गए अन्याय की जानकारी तथा इन अन्याईयों पर कानूनी कार्यवाही करने व अन्याई जजों को अन्याय करने से रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने, झूठे मुकदमें को सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार करके समाप्त करने तथा सतलोक आश्रम करौंथा पर आक्रमण करने वाले दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

आप जी से विनम्र प्रार्थना है कि कुछ माननीय जजों की कार्य प्रणाली पर इस पत्र में प्रकाश डाला गया है। इनमें से कुछ क्रुरकर्मी माननीय जजों राजनेताओं, प्रसाशनिक अधिकारीयों के अन्याय-अत्याचार की जानकारी हम आपजी को पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' के माध्यम से पूर्व में दिनांक 11-10-2010 को आपजी को तथा प्रधानमन्त्री जी तथा सर्व मन्त्रीगण भारत सरकार तथा

मुख्य न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली तथा सर्व मुख्य न्यायधीश हाई कोर्ट को भी भेज चुके हैं। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस कारण अन्य जजों का हौसला और बुलंद हो गया तथा अन्याय रूकने की बजाय बढ़ ही रहा है। यह पत्र तथा पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' हम सर्व ने मिलकर स्वयं तैयार की थी। हम मानते हैं कि अधिकतर जज साहेबान, ईमानदार तथा न्यायप्रिय है। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की मानहानी करने का नहीं है। अपितु हमारे साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार की जानकारी देकर न्याय प्राप्त करना है।

कुछ जज भ्रष्ट हैं यह बात भारत के पूर्व मुख्यन्यायधीश माननीय श्री एस.एच. कपाड़िया ने भी स्वीकारी है कि कुछ जज भ्रष्ट हैं। उनको राजनेता संरक्षण न दें। यह टिप्पणी अप्रैल 2011 के ''नवभारत टाईम्स'' समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाश में आई थी। जिसके कुछ अंश की फोटो कापी अगले पृष्ठ पर लगी है।

'काले कोट में बेदाग लोग चाहिए'

"हमें उदाहरण पेश करने होंगे ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा बनी रहे। जजों को आत्म-संयम बनाए रखना चाहिए और वकीलों, राजनीतिक दलों, उनके नेताओं या मंत्रियों के संपर्क से बचना चाहिए। नेता भी भ्रष्ट जजों को संरक्षण न दें।"

-चीफ जस्टिस एस. एच. कपाड़िया

पीटीआई ॥ नई दिल्ली

न्यायपालिका पर पड़ती करप्शन की छाया से परेशान चीफ जस्टिस एस. एच. कपाड़िया ने शनिवार को कहा कि अब जरूरत है काले कोट में एक साफ आदमी की। साथ ही राजनेताओं से भी कहा कि वे भ्रष्ट जजों को संरक्षण न दें। जस्टिस कपाड़िया ने जजों को आगाह किया कि वे सुपर सांसदों की तरह बर्ताव न करें। अदालतों का काम कानून की समीक्षा करना है न कि अपने कानून समाज पर लादना।

चीफ जस्टिस ने कहा, हमें उदाहरण पेश करने होंगे ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा बनी रहे। जजों को आत्म-संयम बनाए रखना चाहिए और वकीलों, राजनीतिक दलों, उनके नेताओं या मंत्रियों के संपर्क से बचना चाहिए। इसके अलावा लोअर कोर्ट के जजों के प्रशासनिक कामकाज में भी दखल नहीं देना चाहिए।

कपाड़िया पांचवें एम. सी. सीतलवाड़ स्मारक व्याख्यान में बोल रहे थे। उनकी टिप्पणी को महाभियोग की कार्यवाही का सामना कर रहे जस्टिस पी. डी. दिनाकरन और सौमित्र सेन से जुड़े कथित करप्शन के मामलों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। हालांकि चीफ जस्टिस ने उम्मीद जताते हुए कहा कि मैं हमेशा आशावादी रहा हूं और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता का सवाल है मैं देख सकता हूं कि भविष्य में चीजें सुधरेंगी।

अपना उदाहरण देते हुए कपाड़िया ने कहा कि मैं घुलने मिलने से बचता रहा हूं, यहां तक कि किसी गोल्फ क्लब की सदस्यता भी नहीं ली क्योंकि इससे मुझे वकीलों, राजनेताओं आदि से रोज मिलना होगा जिसका लोगों पर गलत असर पड़ेगा।

न्यायपालिका को कानून बनाने वाली संस्था की भूमिका अख्तियार करने से रोकते हुए उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है। हमारा काम कानून की समीक्षा है न कि समाज पर अपने कानून लादना। जरूरत पड़ने पर सरकार और विधायिका को गलत फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

कोर्ट की आलोचना पर कपाड़िया ने कहा कि जजों को निष्पक्ष आलोचना होनी चाहिए लेकिन गैरजिम्मेदाराना व अनुचित आलोचना से बचना चाहिए। असल में अधिकतर लोगों की यही इच्छा होती है कि अगर फैसला उनके पक्ष में है तभी वह न्याय है।

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने Special Leave Petition (Civil) No. 31797 of 2010 में अपने आदेश में जो कहा उस आदेश के कुछ अंश पृष्ठ संख्या 9 व 10 की फोटो कापी नीचे लगी है। जिसकी प्रतियां सर्व कोर्टों में भेजी गई हैं। वहां भी कुछ गलतियाँ हैं।

In our opinion, the Division Bench of the High Court has rightly set aside the interim orders of the Single Judge dated 11.6.2010 and 18.6.2010 as these interim orders were clearly passed on extraneous considerations.

The faith of the common man in the country is shaken to the core by such shocking and outrageous orders such as the kind which have been passed by the Single Judge.

We are sorry to say but a lot of complaints are coming against certain Judges of the Allahabad High Court relating to their integrity Some Judges have their kith and kin practising in the same Court, and within a few years of starting practice the sons or relations of the Judge become multi-millionaires, have huge bank balances, luxurious cars, huge houses and are enjoying a luxurious life. This

We do not mean to say that all lawyers who have close relations as Judges of the High Court are misusing that relationship. Some are scrupulously taking care that no one should lift a finger on this account. However, others are shamelessly taking advantage of this relationship.

There are other serious complaints also against some Judges of the High Court.

The Allahabad High Court really needs some house cleaning (both Allahabad and Lucknow Bench), and we request Hon'ble the Chief Justice of the High Court to do the needful, even if he has to take some strong measures, including recommending transfers of the incorrigibles.

जज को भगवान के समान माना जाता है। जिसकी कलम में जीवन-मृत्यु की क्षमता होती है। ऐसे माननीय जिम्मेदार पद पर विराजमान व्यक्ति निजी स्वार्थ के चलते अन्याय करें, उस दुष्ट को अन्य नागरिक से अधिक दण्ड मिलना चाहिए।

जिन जजों ने हमारे साथ अन्याय किया है। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं :--

1. **Sh. S.K. Sardana Ji** सैशन जज, रोहतक कोर्ट (हरियाणा)।
2. **Sh. S.S. Lamba Ji** सैशन जज, रोहतक कोर्ट (हरियाणा)।
3. **Sh. R.C. Godara Ji Add.** सैशन जज, रोहतक कोर्ट (हरियाणा)।
4. श्री नवाब सिंह जी जज, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़।
5. श्री सूर्यकांत जी जज, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़।
6. श्री इन्द्रजीत महता जी सैशन जज, रोहतक कोर्ट (हरियाणा)।
7. श्रीमति हरसाली चौधरी जी जज, रोहतक कोर्ट (हरियाणा)।
8. श्री आशु कुमार जैन जी जज, रोहतक कोर्ट (हरियाणा)।
9. श्री हेमन्त गुप्ता जी जज, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़।
10. श्री सुभाष गोयल जी सैशन जज, श्री अश्वनी कुमार **C.J.M.** रोहतक कोर्ट (हरियाणा) तथा कुछ अन्य जज।

आपजी से प्रार्थना है कि कृप्या इन जजों की **Qualification** की पुनः जाँच कराऐं, लगता है, ये लोग फर्जी डिग्री लेकर जज लगे हैं। यदि इनकी डिग्री सही पायी जाती है तो ये महानीच व्यक्ति हैं। जिन्होंने जान-बूझ कर अन्याय किया है, इनको दण्डित किया जाए तथा इनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

1. इनसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की धारा **148-149 IPC** किस पर लागू होती है? इसी प्रकार के अन्य केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ईमानदार न्यायप्रिय जजों द्वारा आदेश पारित करके धारा **148-149 I.P.C.** को हटाया गया है। वह आदेश भी **S.L.P.** के साथ प्रमाण के लिए लगाया गया था। निचली कोर्ट से

सुप्रीम कोर्ट तक इन भ्रष्ट जजों ने अनदेखा करके अन्याय किया।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश = **2002(1) APEX COURT JUDGEMENT 64(S.C.) Supreme Court of India, Dr. A.S. Anand, CJI. R.C.Lahoti & Ashok Bhan, Jj. Criminal Appeal No. 320 of 2000 with 63 of 2000, D/17.10.2001, Kashi Ram & Ors. V/s State of M.P.** आदेश में कहा गया है कि काशी राम तथा अन्य अपने खेत में कार्य कर रहे थे। आक्रमणकारियों ने अन्य स्थान से आकर काशी राम आदि पर हमला किया। अपने बचाव में काशी राम तथा अन्य ने वार किया और आक्रमण करने वालों को हानि हुई है तो वह अपने बचाव के लिए की गई है। इन परिस्थितियों में धारा 148-149 नहीं लगाई जा सकती। इसलिए धारा 148-149 को समाप्त किया जाता है। ऐसा ही केस (नं. 198/2006 Dt. 12-07-2006) हमारा है। हम अपने सतलोक आश्रम करौंथा जिला रोहतक, हरियाणा में प्रतिमाह सत्संग सुनने के लिए जाते थे। उस दिन भी हम सत्संग के लिए ही इक्ट्ठे हुए थे। जिसको **Unlawful Assembly** (असंवैधानिक भीड़) नहीं कहा जा सकता। कुछ उपद्रवीयों ने हमारे आश्रम पर आकर हमला किया। इसलिए हमारे ऊपर धारा **148-149 I.P.C.** गलत लगाई गई है। इसे हटाया जाए। यदि कोई चोरी के केस में धारा 302 (हत्या वाली) भी लगा कर केस चलाए तो वह उचित नहीं है। पहले उस गलत धारा को हटाया जाए, फिर केस की ट्रायल प्रारम्भ होनी चाहिए।

कानून के जानकारों से पता चला है कि धारा 148-149 उस भीड़ पर लगती है जो गैर-संवैधानिक तरीके से इकट्ठे हुए हों और कोई उपद्रव करें। इसलिए आप जी से प्रार्थना है कि धारा 148-149 उन उपद्रवकारियों पर लगनी चाहिए थी। जिन्होंने एक सोची समझी नीति के तहत हमारे ऊपर जानलेवा हमाला किया था।

सतलोक आश्रम करौंथा जिला-रोहतक (हरियाणा) में मासिक सत्संग के उपलक्ष्य में भक्तजन सत्संग सुनने आए थे। उनके ऊपर आक्रमण किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने के लिए कार्यवाही की जिसमें कुछ घायल हुए और एक मारा गया। उनके

ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। धारा 148-149, 307 आदि-2 उनपर लगनी थी। इसके विपरीत आश्रम में शान्तिपूर्वक बैठे भक्तों व गुरूजी पर झूठा मुकदमा बना 302, 148-149, 307 आदि-2 धाराऐं लगा कर जेल में डाल दिया। धारा 148-149 को हटवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गए, कोई सुनने वाला नहीं।

इस मुकदमा नं. 198/2006 Dt.12-07-2006 को खारिज करके वास्तिविक अपराधियों पर जिन्होंने सतलोक आश्रम पर आक्रमण किया उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही का आदेश देने की कृपा करें।

2. जमीन बेचने वालों ने यदि कोई गलती करके जमीन बेची है और रजिस्ट्री व इन्तकाल तक हो चुका है, उसमें जमीन लेने वाले का क्या दोष है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के ईमानदार न्यायप्रिय जजों ने आदेश पारित किया = 2009(5) Law Herald (SC) 3310, In The Supreme Court of india before The Hon'ble Mr. Justice R.V. Raveendran, The Hon'ble Mr. Justice R.M. Lodha, Criminal Appeal no. 1695 of 2009 [Arising out of SLP (Crl.)No. 6211 of 2007], Md. Ibrahim & Ors. V/s State of Bihar & Anr. Decided on 04/09/2009 सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का भावार्थ है कि यदि 'A' ने 'B' की जमीन को 'B' बनकर 'C' को बेच दी तो 'A' आदमी दोषी है। न कि 'C' जिसने जमीन ली है। हम 'C' हैं, जमीन लेने वाले। हमारे ऊपर यह मुकदमा नं. 446/2006 Dt. 21-07-2006 बनता ही नहीं। इसे खारिज किया जाना चाहिए। ताकि न्यायालय की छवि बरकरार रह सके तथा लोगों का भारत के संविधान तथा न्यायालयों पर विश्वास बना रहे।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट किया है कि जमीन लेने वाले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन भ्रष्ट जजों ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया। जो S.L.P. के साथ लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जज Sh. मार्कण्डेय काटजू तथा जज Sh. T.S. Thakur जी ने अपने आदेश क्रमांक Crl No. (s) 6070/2010 में कहा कि इस अर्जी में कोई भी

Merit नहीं पाया। इसलिए खारिज करते हैं।

जब गरीब जनता की सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई नहीं होती तो गरीब जनता के आंसुओं को कौन पौंछेगा? जिस समय अत्याचारी अन्याई राजनेता या बलवान जनता जन गरीबों व असाहयों को सताते हैं वह इस आशा से न्यायालय में जाता है कि वहां उन्हें अवश्य सहारा मिलेगा। परन्तु हमारे साथ जिन जजों ने अन्याय व अत्याचार किया है ऐसे जजों के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि ये जज नहीं जल्लाद हैं।

ये भ्रष्ट जज तो उन कौओ जैसा व्यवहार करते हैं, जो गधे की कमर के जख्म को नोंच कर अपना पेट भरते हैं। गधे की पीड़ा से उनको कोई सरोकार नहीं होता।

ऐ गरीबों के दुश्मनों गरीबों को घना (ज्यादा) मत सताओ, तुम्हारा नाश हो जाएगा।

परमात्मा के विधान में लिखा है :-

कबीर, गरीब को मत सताईये, जाकी मोटी हाय।
बिना जीव (धोंकनी) की श्वांस से, लोह भस्म हो जाए।।
कबीर, गरीब को ना सता, गरीब जब रो देगा।
सुनेगा खुदा एक दिन पापी, तुझे दुनिया से खो देगा।।

हम यह मानते हैं कि जज परमात्मा का छोटा रूप होता है। जिसकी कलम में मानव को सजाए मौत तक के आदेश देने की क्षमता है। ऐसे जिम्मेदार पद पर विराजमान व्यक्ति निजी स्वार्थवश अन्याय करे, उसको अन्य नागरिकों से अधिक दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि अधिकतर जज साहेबान न्याय करने वाले हैं। हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। परन्तु उन भ्रष्ट जजों का वास्तविक चेहरा आपके तथा जनता के सामने लाना चाहते हैं। जो न्यायधीश अन्याई व स्वार्थी हैं तथा भारतीय कानून प्रणाली को बदनाम करके न्यायालय की गरिमा घटा रहे हैं।

अन्याय की विस्तृत जानकारी

हम सर्व प्रार्थी गैर राजनीतिक धार्मिक संस्था के सदस्य तथा जगत् गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल दास महाराज जी के लगभग 12 लाख अनुयाई हैं। सन्त रामपाल दास जी महाराज का कहना है ''जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।'' हमारे सतगुरुदेव सन्त रामपाल दास जी महाराज कबीर पंथी हैं। परमेश्वर कबीर जी की विचार धारा को आधार मानकर सत्संग करके समाज में फैली बुराईयों तथा कुरीतियों को छुड़वाकर मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सर्व धर्म ग्रन्थों के आधार से सत्संग करके यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान जनता को बता रहे हैं। अप्रैल 1999 में करौंथा गाँव के भक्तों द्वारा दान की गई जमीन पर गाँव करौंथा जि. रोहतक में एक छोटा सा आश्रम संगत द्वारा बनाया गया तथा बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट दिल्ली को सौंपा गया, जिसकी बा-कायदा रजिस्ट्री व इन्तकाल ट्रस्ट्र के नाम है। सन्त रामपाल जी से प्रार्थना की गई कि आपजी यहां सत्संग करके भक्तों को कृतार्थ करें, श्रद्धालुओं की प्रार्थना को स्वीकार करके संत रामपाल दास जी महाराज सतलोक आश्रम करौंथा में शास्त्रों में वर्णित ज्ञानानुसार प्रवचन करने लगे। भक्तों ने सन्त रामपाल दास जी महाराज के प्रवचनों की D.V.D. तथा V.C.D. बना कर जनता को दिखाई। जिसमें अन्य सन्तों व महर्षियों के अनुभव की पुस्तकें दिखाई गई तथा उनकी सद्ग्रन्थों से तुलना करके बताया कि वर्तमान के सर्व सन्त-आचार्य शंकराचार्य तथा पूर्व के महर्षि दयानन्द आदि-2 का ज्ञान सद्ग्रन्थों के विरूद्ध है। जिस कारण से श्री मद्भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार शास्त्रविरूद्ध साधना से न तो मोक्ष होता है, न कोई सुख होता है तथा न कोई कार्य सिद्ध होता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित साधना करना ही लाभदायक है।

सन्त रामपाल दास जी महाराज के इस परमार्थी प्रयत्न को कुछ दिग्भ्रष्ट व्यक्तियों ने आलोचना कहा। सन्त ने स्पष्ट किया कि

यह आलोचना नहीं है यह तो सत्यज्ञान है। उदाहरण भी दिया :- कि जैसे एक बार 500-1000 के नोट नकली छाप कर जनता को ठगा जा रहा था। सरकार ने मीडिया के माध्यम से टी.वी. चैनलों तथा समाचार पत्रों में नकली तथा असली नोटों को साथ-2 दिखाया था। नकली तथा असली नोटों की भिन्नता बताई थी। जनता को कहा गया था। ऐसे लक्षण वाले नकली नोट होते हैं। उनको मत लेना। असली को ग्रहण करना अन्यथा आपको बहुत हानि हो जाएगी। सरकार आलोचना नहीं कर रही थी। एक महापरोपकार कर रही थी। यही कार्य सन्त रामपाल दास महाराज जी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सर्व धर्मों के पवित्र सद्ग्रन्थ असली नोट जानो, जिन सन्तों की अनुभव की पुस्तकें तथा D.V.D. में उनके विचार पवित्र सदग्रन्थों के विपरीत हैं। इसलिए ये नकली हैं इनको त्याग कर असली ज्ञान ग्रहण करो। जो वर्तमान में सन्त रामपाल दास जी महाराज के अतिरिक्त विश्व में किसी सन्त-आचार्य, शंकराचार्य, महर्षि के पास नहीं हैं। सन्त रामपाल दास जी महाराज किसी की आलोचना नहीं करते अपितु महापरोपकार कर रहे हैं। नकली तथा असली की पहचान बताते हुए सन्त रामपाल दास जी महाराज ने आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानन्द जी के विचारों को वेदों से तुलना करके बताया। जो इस प्रकार है :- महर्षि दयानन्द ने अपने अनुभव की पुस्तक ''सत्यार्थ प्रकाश'' में लिखा है कि परमात्मा भक्ति करने वाले भक्त के पाप नाश नहीं करता अर्थात् साधना करने से पाप नाश नहीं होते। महर्षि दयानन्द चारों वेदों को सत्य मानते हैं। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में छः बार लिखा है कि परमात्मा भक्त के घोर पापों का भी नाश कर देता है।

सन्त रामपाल दास जी महाराज ने बताया कि ''सत्यार्थ प्रकाश'' पुस्तक का ज्ञान वेद के विरूद्ध है। इसलिए यह नकली है। इसे त्यागो वेद अनुसार ज्ञान मेरे पास है उसे ग्रहण करो। सन्त रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में उदाहरण देते हैं, जैसे साबुन के गुणों मे लिखा है कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर

देता है। जो यह कहता है कि साबुन कपड़े के मैल का नाश नहीं करता, वह व्यक्ति साबुन से पूर्ण रूप से अपरिचित है।

दूसरा उदाहरण :- औषधी के गुणों में लिखा है कि औषधी रोग नाश कर देती है। जो यह कहे कि औषधी सेवन करने वाले रोगी के रोग को औषधी नाश नहीं करती। तो क्या वह व्यक्ति वैद्य हो सकता है ?

ठीक इसी प्रकार महर्षि दयानन्द का आध्यात्मिक ज्ञान है। जिससे सिद्ध है कि यह आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी व्यक्ति था।

दूसरे शब्दों में महर्षि दयानन्द जी भी आध्यात्मिक अध्यापक थे। सन्त रामपाल दास जी महाराज भी आध्यात्मिक अध्यापक हैं। पूर्व के आध्यात्मिक शिक्षकों ने 2+2=6 पढ़ा रखा है। परन्तु संत रामपाल दास जी महाराज 2+2=4 पढ़ा रहे हैं तथा बता रहे हैं कि जो 2+2=6 बता गए हैं या वर्तमान में बता रहे हैं वे ठीक ज्ञान नहीं रखते। क्योंकि वास्तव में 2+2=4 होते हैं। जो संत रामपाल दास जी महाराज बता रहे हैं। इसलिए सन्त रामपाल दास जी महाराज से यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा मोक्ष मंत्र प्राप्त करके अपना कल्याण कराऐं। हम आप सर्व माननीय जजों के पास पुस्तक ''ज्ञान गंगा'' भेज रहे हैं जो हमने सन्त रामपाल जी महाराज के सत्संग विचारों के आधार से तैयार की है। जिसे जनता में बाँट रहे हैं। माननीय जज साहेबानों जी से प्रार्थना है कि इस पुस्तक को पढ़ कर निर्णय करने की कृपा करें, कि किस संत का ज्ञान शास्त्रानुकूल है तथा किनका शास्त्रविरूद्ध है ताकि जनता का हित हो सके।

सन्त रामपाल दास जी महाराज जी का सतलोक आश्रम, रोहतक-झज्जर रोड़ पर गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा में स्थित है। रोहतक शहर में महर्षि दयानन्द जी का दयानन्द मठ है। सच्चाई को देख कर भी महर्षि दयानन्द के अनुयाई आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये इस ''सत्यार्थ प्रकाश'' पुस्तक को बेच कर तथा आध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति दयानन्द जी को महर्षि बताकर अपना निर्वाह चला रहे हैं। सर्व तथ्यों को आँखों देखकर भी

सच्चाई को दबाने के लिए सतलोक आश्रम करौंथा के आस-पास के गांवों में तथा स्कूलों में जाकर सन्त रामपाल दास जी महाराज के विषय में अनर्गल व बेहुदा प्रचार करने लगे तथा सन्त रामपाल दास जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने का षड़यन्त्र रचने लगे। सतलोक आश्रम को उखाड़ फैंकने का ऐलान सरेआम करने लगे जो समाचार पत्रों में भी छपा था। यह प्रक्रिया सन् 2004 से आरम्भ हुई। अपने विध्वंशकारी इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने 2 जनवरी 2005 का दिन निर्धारित किया तथा करौंथा गांव में एक सम्मेलन का बहाना किया, जो कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।

आर्यसमाज के प्रमुखों के गन्दे इरादे को जान कर आश्रम के ट्रस्टी ने माननीय रोहतक कोर्ट में उस 2 जनवरी 2005 के विनाशकारी षड़यन्त्र रूपी सम्मेलन का स्टे लेने के लिए अर्जी लगाई। माननीय न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आर्य समाज के सम्मेलन पर स्टे दे दिया। उन दिनों में हरियाणा विधान सभा भंग थी, चुनाव निकट थे। जिस कारण से यह कार्य सम्भव हुआ। मार्च 2005 में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रान्त के मुख्यमंत्री बने जो आर्य समाजी हैं तथा जिला रोहतक से ही सम्बन्ध रखते हैं। मुख्यमंत्री को भ्रमित करके उन असामाजिक तत्वों आचार्यों ने एक विशेष योजना के तहत 9 जुलाई 2006 को सतलोक आश्रम करौंथा को चारों ओर से घेर लिया, न तो बाहर से किसी भक्त को आश्रम में आने दिया तथा न आश्रम से बाहर जाने दिया, पानी तथा बिजली सप्लाई को भी काट दिया, बाहर से खाद्य सामग्री तथा औषधि भी नहीं आने दी, सत्संग सुनने के लिए आश्रम में उपस्थित, स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध तथा रोगी 9 जुलाई से 12 जुलाई तक चार (4) दिन भूखे प्यासे बिलखते रहे। हमारे साथ घोर अत्याचार किया।

आश्रम में प्रति माह होने वाले पूर्णमासी के सत्संग 9-10-11 जुलाई का आयोजन था। 9 जुलाई 2006 को सत्संग प्रारम्भ हुआ,

8 जुलाई 2006 को बहुत संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुँच चुके थे। जिनमें से अधिकतर बच्चे, वृद्ध तथा स्त्रियाँ व रोगी थे, जो संख्या में लगभग 5000 (पाँच हजार) थे। 9 से 12 जुलाई 2006 तक असामाजिक तत्वों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से सर्व भक्तों को योजना के तहत बंधक बना कर रखा। औपचारिकता करने के लिए पुलिस भी लगभग हजार की संख्या में उपस्थित थी, परन्तु किसी भी उपद्रवी को भगाया नहीं गया तथा न ही रास्ता खुलवाया गया, पुलिस भी उनका सहयोग करती रही। उपद्रवकारी 9 जुलाई 2006 को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में मिले तथा सर्व योजना से परिचित करवाया। मुख्यमंत्री जी का पुनः आश्वासन प्राप्त करके ही 9 जुलाई 2006 को आश्रम को घेरा गया।

उपद्रवी 12 जुलाई 2006 को हजारों की संख्या में गाँव डीघल में इकट्ठा हुए जो आश्रम करौंथा से 3 कि.मी. दूर है। वहाँ से उस गैर कानूनी भीड़ (Unlawful Assembly) ने अवैध हथियारों, बन्दूकों व पिस्टलों, लाठी, जेली, पैट्रोल बमों से सतलोक आश्रम करौंथा पर दिन के 12:30 बजे आक्रमण कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की औपचारिकता करनी चाही, लेकिन उसी समय भीड़ ने पुलिस बल पर ही हमला कर दिया तथा गोलीयां चलानी शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाब में गोलियाँ चलाई। जिसमें से कुछ उपद्रवी घायल हुए तथा एक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात् पुलिस दूर खड़ी होकर देखती रही। आक्रमणकारी आश्रम पर लगातार गोलियों, पैट्रोल बम्बों तथा पत्थरों से हमला करते रहे। जब देखा कि प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, तब आश्रम के भक्तों ने अपने लाइसैंसी हथियारों से हवाई फायर किये क्योंकि आश्रम में उपस्थित महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा रोगियों की रक्षा करना आवश्यक था। 12-13 जुलाई की रात्रि के 2½ बजे तक उपद्रवी आश्रम से नहीं हटे तब फायर करने का आदेश दिया गया तथा यह भी कहा गया कि गोली ऐसे स्थान पर मारें, जिससे कोई

मरे नहीं। तब आक्रमणकारी वहां से कुछ दूरी पर चले गये। यहां पर यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि उस रात्री को चाँद का प्रकाश था, मौसम साफ था, पूर्णमासी का दिन था, इसलिए उपद्रवी साफ दिखाई दे रहे थे।

सतलोक आश्रम करौंथा को असंवैधानिक तरीके से S.D.M. रोहतक ने धारा 145 Crpc. के तहत अपने कब्जे में ले लिया तथा S.D.M. रोहतक ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 8000 से 10000 व्यक्तियों ने सतलोक आश्रम पर आक्रमण किया, जो नारे लगा रहे थे कि आश्रम को नष्ट करेंगे तथा आश्रम के संचालक संत रामपाल व आश्रम में उपस्थित अनुयाईयों को मार डालेंगे। आश्रम के संचालक तथा भक्तों का जीवन खतरे में था। इसलिए सतलोक आश्रम करौंथा को धारा 145 Crpc. के तहत अपने कब्जे में लिया गया है।

मुकदमा नं. 198/2006 झूठा बनाया गया है का प्रमाण :- इसके प्रमाण के लिए S.D.M. रोहतक श्री वत्सल वशिष्ठ जी का यह आदेश 99-4 Dt. 12-07-2006 अपने आप में स्वतःप्रमाण है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि S.H.O. थाना सदर रोहतक श्री राजेन्द्र सिंह S.I. ने उपरोक्त स्थिति को देखते हुए S.D.M. रोहतक से प्रार्थना की कि आश्रम में उपस्थित अनुयाईयों की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। S.D.M. रोहतक ने अपने इस आदेश में स्पष्ट कहा है कि उस समय D.M. रोहतक तथा S.P. रोहतक भी मौके पर उपस्थित थे। जबकि S.D.M. रोहतक के आदेश को नजरअन्दाज करके प्रशासन ने मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के दबाव में आकर मनघड़ंत कहानी बनाकर उपरोक्त F.I.R. दर्ज कर दी। जिसमें वही S.H.O. सदर श्री राजेन्द्र सिंह S.I. ने झूठा लिखा है कि पंचायत शांतिपूर्वक आई थी और उन पर आश्रम वालों ने आश्रम से गोलियाँ चलाई। जबकि S.D.M. रोहतक श्री वत्सल वशिष्ट जी स्पष्ट कर रहे हैं कि पंचायत तो डीघल गाँव में हुई थी। जो कि आश्रम से लगभग तीन किलोमीटर

दूर है। 8000 से 10000 युवा तत्व अर्थात् शरारती तत्व पंचायत छोड़कर आश्रम की ओर उग्र भीड़ के रूप में आश्रम के खिलाफ नारे लगाते हुए आए। जिन्हें झज्जर पुलिस ने झज्जर जिले की सीमा पर रोकने का प्रयास किया, जो आश्रम से लगभग तीन सौ फुट की दूरी पर है। उग्र युवा तत्व अर्थात् शरारती तत्व पुलिस से भी नहीं रूके।

इससे स्पष्ट है कि आश्रम पर आक्रमण हुआ था और युवा शरारती तत्वों की असंवैधानिक भीड़ ने आश्रम को चारों ओर से घेर लिया था। जिसके गवाह (S.D.M. के आदेशानुसार) मौके पर मौजूद D.M. रोहतक तथा S.P. रोहतक भी हैं। जबकि इसके विपरीत S.H.O. सदर राजेन्द्र सिंह S.I. ने गवाहों के ब्यान जो 161 C.r.p.c. के तहत लिखे गए थे, उनमें लिखा है कि पंचायत शांतिपूर्वक ढ़ंग से आई थी। आश्चर्य की बात है कि इन्हीं झूठे ब्यानों के आधार से बनाए गए झूठे मुकदमा नं. 198/2006 की सहमति D.M. रोहतक तथा S.P. भी कर रहे हैं। जबकि इनको सर्व हालात का पता था कि वास्तविकता क्या है? जो कि S.D.M. रोहतक ने अपने आदेश में लिखा है कि D.M. रोहतक S.P. रोहतक मौके पर उपस्थित थे जब शरारती तत्व असंवैधानिक तरीके से इकट्ठा होकर पुलिस वाहनों को आग लगाते हुए व पुलिस पर फायरिंग करते हुए आए थे और आश्रम पर चारों तरफ से आक्रमण किया था।

★ विशेष :- S.D.M. रोहतक ने बहुत सी सच्चाई को छुपाया है कहा है कि Young Element आए। यह नहीं लिखा कि वे हाथों में लाठी, जेली, पेट्रोल बम्ब, बन्दूकें तथा आश्रम जलाने के लिए पैट्रोल की कैंन व बोतल लिए थे। हमारे पास Video Clip हैं आश्रम पर आक्रमण करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जांच के समय प्रस्तुत की जाऐंगी।

★ जिस व्यक्ति के नाम से F.I.R. नं. 198/2006 Dt. 12-07-2006 काटी गई। उस व्यक्ति ने न्यायालय में उपस्थित होकर सैशन जज

के सामने अपने ब्यानों में स्पष्ट कर दिया है कि मैं मौके पर उपस्थित नहीं था, मुझे कुछ नहीं मालूम, पुलिस ने मेरे दस्तखत कोरे कागज पर करवाए थे। इस बात की पुष्टि T.I.P. से भी होती है। दो भक्तों के नाम F.I.R. में हैं। उनकी T.I.P. के लिए कोर्ट में पांच तारीखें लगी। लेकिन मुद्दई नहीं आया था। क्योंकि उसने F.I.R. कटाई ही नहीं थी, और वह उन्हें पहचानता भी नहीं था।

★ हरियाणा सरकार ने आक्रमणकारी मृतक को 5 लाख रूपये दिए तथा घर के एक सदस्य को नौकरी दी। पुलिस मुठभेड़ में हुए घायलों को 50-50 हजार रूपये दिए गए। इससे स्वसिद्ध है कि वह मृतक पुलिस मुठभेड़ में मरा था। जिसकी हत्या का मुकदमा हमारे गुरुजी तथा भक्तों पर झूठा बनाया गया है।

★ सरकार द्वारा कराई गई F.S.L. जाँच से भी स्पष्ट है कि आश्रम के हथियारों से चली गोली से उस उपद्रवी की मृत्यु नहीं हुई।

★ चालान के साथ लगे मौके का नक्शा भी स्पष्ट करता है कि वह स्थान (जहां मृतक को गोली लगनी बताई है) आश्रम से लगभग 110 फुट दूर दिखाया गया है, इतनी दूरी से चली गोली के लगने से बनने वाला जख्म कुछ अन्य होता है। जबकि मृतक के शरीर पर बने गोली के जख्म से स्पष्ट है कि यह निशान लगभग 10 फुट से भी कम दूरी से चली गोली का होता है।

इससे स्पष्ट है कि यह मुकदमा झूठा तथा बेबुनियाद है। D.M. रोहतक तथा S.P. रोहतक ने सच्चाई से परिचित होते हुए भी गलत व गैर-जिम्मेदाराना कार्य करके अपराध किया है। इस मुकदमा नं. 198/2006 में तथा अन्य हमारे जितने भी मुकदमे इस पत्र में बताए गये हैं। उनमें जो-जो भी कर्मचारी तथा अधिकारी शामिल हैं, उनकी जाँच हो तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

(S.D.M. रोहतक का आदेश इसी पत्र के साथ प्रमाण के लिए लगाया गया है।)

Case No. - 99-4A
12/7/2006.

ORDER OF SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, ROHTAK

Whereas, there has been tension between the management of Satlok Ashram, Karontha and the residents of the nearby villages creating law and order problem in the area especially the area around the Asharm. Recently, some of the followers of the Ashram allegedly attacked some persons of another Ashram situated at District Jhajjar resulting in registering a criminal case against some of the inmates of the Satlok Ashram. The District Police of Jhajjar arrested 3-4 persons of the Ashram on the basis of that case. As a result Sant Rampal Maharaj and his followers blocked the Rohtak – Jhajjar Highway to agitate against the arrest of his followers and to force the administration to withdraw the cases. However, this blockade has created further tension in the area especially adjoining villages of Karontha, Baland, Dighal and some other villages and they also blocked the road. They convened a Maha Panchayat of all the nearby villages on 12-07-2006 at Dighal as there had been allegations of various illegal activities against the management of the Ashram. On 12-07-2006 i.e. today some young elements numbering 800-1000 left the panchayat and proceeded towards the Ashram to raise slogans against it. The Jhajjar Police tried to stop them on the Rohtak – Jhajjar border but they crossed the boundary from the nearby fields and have came on the main Rohtak – Jhajjar road within the boundary of District Rohtak raising slogans against the Sant of Ashram. This has angered the followers of the Sant and they have started firing indiscriminately on the agitating villagers causing one death on the spot and injuring nearly 60 persons. This has caused resentment and rumors have spread in all the nearby villages resulting in the movement of a large number of persons from the nearby villages towards the Ashram. Nearly 8-10 thousands villagers have been gathered around the Ashram at a distance of half Kilometer shouting slogans against the Sant of the Ashram and are further proceeding towards the Ashram. The agitators are also shouting that they will take the possession of the Ashram as it has become the "*Adda*" of illegal activities like immoral trafficking of women, weapons and exploitation etc. The situation is very grave, therefore, the police has been already directed to disperse the mob by using water cannons and teargas shells. The police has tried its best to stop the agitating villagers and has been able to stop the reaching agitators. However, situation is becoming more serious as there are reports that more and more villagers are coming towards the Ashram from the villages of District Rohtak as well as of Jhajjar. Therefore, there is an urgent need to take further precautionary measures to maintain peace and law and order. SHO, PS, Sadar has made a verbal request that the Ashram may be attached so that possession of the same can be taken over by the Police and inmates can be shifted to safer places.

Whereas, I am fully satisfied from the report of the SHO, PS, Sadar, Rohtak and from my own information, being on the spot itself that this dispute is likely to cause breach of peace which may further lead to loss of life and / or injury to hundreds of persons. I am further satisfied that there is urgent need to take extra ordinary steps to save the situation and to maintain the law and order. Therefore, I, Vatsal Vashisht, H.C.S., Sub Divisional Magistrate, Rohtak by exercising the powers under section 145 of the Cr.P.C. direct all concerned parties to put their

-43
(2)

respective claims regarding of the fact of the actual possession of the spot in dispute today itself ~~or~~ ur within 10 minutes infront of the Ashram on Rohtak – Jhajjar road. These directions were pronounced on the mike fitted on my official vehicle and a notice has been given to the Sant of the Ashram as well as all the agitators numbering 8-10 thousand, who are within the reach of hearing this order through public address system. The SHO, PS, Sadar, has also conveyed this order to the Sant through his followers who are at the main Gate, so that the situation can be saved.

Whereas, after issue of order Section 145(I) Cr.P.C. and conveying the same through the Public Address System to all concerned of the gravity of situation I am of the view that to save the situation and to maintain law and order, it is the urgent need to attach the property. I am fully satisfied that the above order had been fully conveyed to the all concerned including the Sant Rampal who was inside the Asharm and his followers and also to the agitators. However, no one came forward to put their claim at that stage, therefore, in exercise of the powers given under Section 146(I) I. attach this property until a competent court might determine the rights of the parties thereof regarding person entitled to the possession thereof and also appoint SHO, PS, Sadar as receiver thereof who shall have all the powers of receiver appointed under the C.P.C.

This order was initially announced orally on the spot and conveyed to each and every one concerned through public address system in the interest of maintaining peace, law & order. However, this order is being dictated & issued today itself after reaching Rohtak with taking the prior approval of the District Magistrate to leave the spot. This fact is recorded in this order itself to put every thing on record as the situation on the spot was very serious and grave and it was not possible to pass a written order on the spot as neither stationery nor type writing machine or other equipment was available on the spot. Moreover, being Magistrate on duty, no time was available to first come to Rohtak and to pass a written order. D.M., Rohtak & S.P., Rohtak were also present on the spot when this order was issued and pronounced. The parties are directed to appear in my court on 27-07-2006 and present their respective claims.

Dated : 12-07-2006

Place: Rohtak

Sub Divisional Magistrate
Rohtak.

DEPUTY COMMISSIONER'S OFFICE
Certified To Be A True Copy
Date 12/2/08
As defined in section of the
Indian Evidence Act 1872

इसके पश्चात् सन्त रामपाल दास जी महाराज को तथा आश्रम में सत्संग सुनने के लिए उपस्थित भक्तों को D.C. रोहतक श्री आर. एस. दून के द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि आपको सुरक्षित निकाल कर, आपके दूसरे आश्रम बरवाला जिला-हिसार (हरियाणा में ही) भेजा जाएगा। परन्तु बाद में मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के दबाव में सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा कुछ अनुयाईयों पर झूठा मुकदमा नं. 198/2006 सदर थाना रोहतक में दर्ज करके जेल में डाल दिया गया, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया। लेकिन उन पर कोई कारवाही नहीं की गई, उल्टा ईनाम दिया गया। घायलों को 50,000 रूपये तथा मृतक को 5,00,000 (पाँच लाख) रूपये तथा घर के एक सदस्य को नौकरी दी गई। इस मुकदमें में हमारे ऊपर जो धाराऐं लगाई गई, वे इस प्रकार हैं :- 148-149, 302, 307, 323, 120-B I.P.C. व 25 of Arms Act.

हमारे वकील जी तथा अन्य अनुभवी वकीलों से पता चला कि धारा 148-149 I.P.C. तो असंवैधानिक तरीके से इकट्ठे हुए व्यक्तियों की भीड़ (Unlawful Assembly) पर लगती है। आप तो प्रतिमाह होने वाले अपने आश्रम में सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। आप पर धारा 148-149 I.P.C. नहीं लगती, इसको पुनः विचार के लिए अर्जी लगाऐं। हमनें धारा 148-149 को समाप्त करने की अर्जी लगाई परन्तु भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक भी हमें कोई राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय के Double Bench के न्यायाधीश जी. एस. सींधवी तथा न्यायधीश सी. के. प्रसाद ने कहा कि या तो इस S.L.P. अर्थात् अर्जी को वापिस ले लो नहीं तो हम ऐसा आदेश पारित कर देंगे, जो आपको भारी पड़ जाएगा। आप अपनी समस्या ट्रायल कोर्ट में बताऐं। हमने वह S.L.P. वापिस नहीं उठाई। जजों ने अपनी मर्जी से उसको खारिज कर दिया। जब न्यायालय के आदेश को पढ़ा तो आश्चर्य हुआ, उसमें लिखा था कि प्रार्थी ने स्वयं याचिका वापिस ले ली तथा अपनी समस्या निचली ट्रायल कोर्ट में बताऐंगे।

विचार करें :- यदि हमारी सुनवाई ट्रायल कोर्ट में हो जाती और हमें न्याय मिल जाता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या आवश्यकता थी। सर्वोच्च न्यायालय में जाना खाला का घर नहीं है। वकीलों की फीस ही कमर तोड़ देती है। सर्वोच्च न्यायालय में महादुःखी व्यक्ति जाता है। इससे आगे अपना दुःख रोने का स्थान नहीं है। परन्तु ऐसे भ्रष्ट निर्दयी जजों को कोई रहम नहीं। यदि नीचे कोर्ट में न्याय मिल जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाना, क्या हमारे सिर में दर्द था, जो यहाँ धक्के खाने आए। इन बेरहम लोगों को निजी स्वार्थ के अतिरिक्त किसी गरीब के दुःख से कोई लेना-देना नहीं है।

ये माया के पुजारी सत्संग नहीं सुनते। यदि सत्संग सुनें तो परमात्मा के विधान का पता चले, इनके दिल में कुछ रहम आए। सन्त रामपाल दास जी अपने प्रवचनों में परमात्मा का विधान बताते हैं कि :-

कबीर, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होय।
बन्दे कर भक्ति अनमोल जन्म को खोय।
कबीर, पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलन्त।
रावण जैसे कौन गिने, ऐसे गए अनन्त।

भावार्थ :- कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे भोले इन्सान! तूं धन इकट्ठा करने में अन्धा हो कर पाप कर रहा है। जरा विचार करके देख, एक दिन यह शरीर भी त्याग कर जाएगा, धन-सम्पत्ति, कार-कोठी यहीं रह जाएगी। भक्ति न करने के कारण तू कुत्ते का जीवन प्राप्त करके उस कोठी के बाहर गली में बैठेगा, आदत अनुसार कार के पीछे दौड़ेगा। पूरी पृथ्वी का शासक भी बिना भक्ति के पशु शरीरों को प्राप्त करता है। सारे जीवन में संग्रह की हुई सम्पत्ति तो यहीं रह जाएगी।

उस सम्पत्ति को संग्रह करने में जो पाप किए थे, वे तेरे साथ जाऐंगे। इसलिए हे मानव! परमात्मा की भक्ति कर, अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न कर। जैसे कबूतर पक्षी बिल्ली को देख कर आँखें बंद कर लेता है और मान लेता है कि खतरा टल गया।

उपरोक्त प्रवचनों से सतर्क होना चाहिए। अनदेखा करने से तो कबूतर वाला उदाहरण ही सिद्ध होगा।

कबीर, दुःख में सुमिरण सब करें, सुख में करे न कोए।
जै सुख में सुमिरण करे तो दुःख काहे को होए।।
कबीर सुख में सुमिरण किया नहीं, दुःख में करते याद।
कह कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद।।

भावार्थ :- अधिक्तर व्यक्ति सुख में परमात्मा की भक्ति नहीं करते, केवल आपत्ति आने पर परमात्मा को याद करते हैं। यदि सुख में परमात्मा का सुमिरन भजन किया जाए तो उनको दुःख नहीं होता। आपत्ति आने पर ही जो परमात्मा को याद करते हैं। उनकी अरदास परमात्मा नहीं सुनता। ''परमात्मा का विधान है कि जो प्राणी मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति तथा शुभ कर्म नहीं करता। वह अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा भी क्यों न हो। यदि वह परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो वह अगले जन्म में कुत्ते का जीवन प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भक्ति भी नहीं करता तथा अपने पद तथा बल का दुरूपयोग करके अत्याचार व अन्याय करता है, वह कुत्ता तो बनेगा ही बनेगा, उसके सिर में कीड़े भी पड़ेंगे। यह न सोचें कि सदा आप मनुष्य शरीर में बने रहोगे। यह शरीर एक दिन नाश को प्राप्त होगा। इसके आगे क्या होगा, वह परमात्मा के विधान में लिखा है, जो पहले बताया है। इसलिए हे भोले प्राणी परमात्मा से डर शुभ कर्म कर अपने पद व बल का सदुपयोग कर, पाप का भागी मत बन।'' यदि अज्ञानतावश गलती बन भी जाती है तो पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके साधना करने से सर्व पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में भी है। (सत्संग वचन समाप्त)

ए भ्रष्ट जजों! उपरोक्त सत्संग वचनों पर कुछ तो अमल करो, आज विश्व में एक मात्र पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार, हरियाणा में हैं। सन्त

रामपाल दास जी महाराज परमात्मा के भेजे हुए अवतार हैं। इनके द्वारा किए जा रहे विश्व कल्याण के प्रयत्न में बाधक न बनों। अपने कर्म खराब न करो। एक दिन परमात्मा को जवाब देना है। उनसे सतभक्ति प्राप्त करें तथा अपना कल्याण करवाऐं और इस पाप से बचें अन्यथा आप तो उस श्रेणी के हो जो कुत्ते बनोगे ही बनोगे तथा तुम्हारे सिर में कीड़े भी पड़ेंगे। परमात्मा का विधान अटल है। अपने कर्म न बिगाड़ों, सुधर जाओ। जनता जागरूक हो चुकी है, अब सौ वर्ष पुराना भारत नहीं है।

मानव को परमात्मा ने दिमाग दिया है। उसका सदुपयोग करें और विचार करें। सतलोक आश्रम करौंथा जिला रोहतक (हरियाणा) को मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कब्जे में लेकर लुटवा दिया, तहस- नहस करवा दिया। सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा कुछ अनुयाईयों पर झूठे मुकदमें बनाकर जेल में डाल दिया। कोई भी व्यक्ति यह नहीं मानता था कि सन्त रामपाल दास जी महाराज फिर से अपना सत्संग प्रारम्भ कर पाऐंगे। आज सर्व के समक्ष प्रत्यक्ष है कि सन्त रामपाल दास जी महाराज जी का सत्संग पहले से कई गुणा बढ़ा है। कई गुणा अनुयाई हुए हैं। विश्व के सर्व, सन्तों, धर्म गुरूओं को आध्यात्मिक ज्ञान में पराजित कर दिया। सर्व का ज्ञान सद्ग्रन्थों से तुलना करके सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान में विश्व के सर्व धर्म गुरु अपने-२ सद्ग्रन्थों को ठीक से न समझकर उनके विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पुस्तक ''ज्ञान गंगा'' में आप जी को पढ़ने को मिलेगा। ऐसा ज्ञान परमात्मा या उनका कृपा पात्र अवतार ही बता सकता है।

12 मई 2013 को हरियाणा के मुख्यमन्त्री ने सन्त रामपाल दास जी महाराज से प्रार्थना करके अपनी कुर्सी की भीख मांगी जो जनता के हित को मध्य नजर रखते हुए, संत रामपाल दास जी महाराज ने उनको सहज में प्रदान कर दी। महान सन्त की यही पहचान होती है कि वह दुश्मन को भी क्षमा कर देता है।

क्या कारण रहा :- आर्यसमाजी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इन

भ्रष्ट जजों को पहले ही लालच दे कर अपने पक्ष में कर लेता है और जो जज भ्रष्ट हैं, वे अन्याय करते हैं। जो भ्रष्ट नहीं हैं, वे न्याय करते हैं।

सतलोक आश्रम करौंथा को वापिस प्राप्त करने के लिए ''पंजाब व हरियाणा'' हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। माननीय ईमानदार जज ने आश्रम को ट्रस्ट के हवाले करने का आदेश पारित कर दिया। समय सीमा निर्धारित की गई परन्तु मुख्यमंत्री हरियाणा के आदेशानुसार आश्रम ट्रस्ट को नहीं सौंपा गया। हमने S.P. रोहतक तथा अन्य के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में डाला, जो विचाराधीन है।

आर्यसमाजी तथा हरियाणा सरकार कन्धे से कन्धा मिला कर चल ही रहे थे, दोनों ने उच्चतम न्यायालय दिल्ली में दो अर्जी लगाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायकारी माननीय जजों ने कहा कि सरकार ने हाई कोर्ट में सहमती दी है कि आश्रम लौटाया जाए, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, अर्जी डालने वालों के वकीलों ने प्रार्थना करके एक तारीख ले ली कि हम कुछ और प्रमाण देंगे।

18 फरवरी 2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें दोनों अर्जी खारिज कर दी तथा सतलोक आश्रम करौंथा को 7 अप्रैल 2013 को ट्रस्ट को सौंपा गया। 9 अप्रैल 2013 को आश्रम के अनुयायी आश्रम की सफाई कर रहे थे। 7 वर्ष बाद आश्रम मिला था, अचानक दिन के 3 बजे उन्हीं उपद्रवियों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अपमान किया, पुलिस उनके साथ खड़ी सहयोग करती रही। हमारे पास पूरे प्रकरण की Video Clip हैं, समय आने पर दिखाई जाएंगी। लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ F.I.R. काट कर मामला रफा-दफा कर दिया।

उन उपद्रवियों के हौंसले इतने बुलन्द हो गए कि उन्होंने सरेआम घोषणा की कि 12 मई 2013 को आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे, आश्रम को खाली कराऐंगे तथा करौंथा आश्रम में चलने व

आश्रम नष्ट करने का आवाहन् किया तथा करो या मरो का नारा लगाया व पम्पलेट बाँटे गए। आस्था चैनल पर पट्टी (स्क्रोल) चलाई तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।

सतलोक आश्रम के ट्रस्ट के ट्रस्टी ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई। माननीय उच्च न्यायालय ने सर्व प्रमाणों को देखकर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव तथा डी. जी. पी. को सतलोक आश्रम करौंथा की सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। जिस के परिणाम स्वरूप करौंथा आश्रम के चारों और पुलिस बल तैनात किया गया। उपद्रवियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पूरा सहयोग दे रहा था अन्यथा उनको एक दिन पहले ही जेल भेज देना चाहिए था। मुख्य उपद्रवी 11 मई 2013 को गाँव करौंथा में एक छतरी साहिब आश्रम में रूके, पुलिस भी वहीं उपस्थित रही, उनको खदेड़ा नहीं। उपद्रवी 12 मई 2013 को सुबह 8 बजे हजारों की संख्या में उसी छतरी साहिब आश्रम में इकट्ठे हो गए। कुछ बाहर के बदमाश भी ला रखे थे। मुख्य उपद्रवी आर्य समाजी आचार्यों बलदेव, सत्यवीर शास्त्री, विजयपाल, अभय कुण्डू आदि ने भीड़ को मरने-मारने तथा सतलोक आश्रम करौंथा को नष्ट करने तथा उसमें उपस्थित 8000 श्रद्धालुओं को जिन्दा जलाने, गोली मार कर मौत के घाट उतारने के लिए उत्प्रेरित किया। अन्य पुलिस दल भी वहीं पर पहुँच गया। उनको ऐसा न करने को कहा गया परन्तु पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण उपद्रवीयों के हौसले इतने बुलंद हो गये कि वे करौंथा गाँव की कुछ महिलाओं, पुरूषों तथा बाहर से लाए गए अपने उपद्रवियों को साथ लेकर अलग-2 मण्डली बनाकर गाँव करौंथा की गलियों से होते हुए रोहतक-झज्जर रोड़ पर सतलोक आश्रम करौंथा से लगभग 1½ कि.मी. दूर करौंथा गाँव के बस स्टैंड पर पहुँच कर पुलिस को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से पुलिस बल पर फायरिंग कर दी, सर्व के पास अवैध हथियार थे, देशी बम्ब, पैट्रोल, पैट्रोल बम्ब थे। लगभग 60 पुलिस कर्मी तथा ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस इन्स्पेक्टर और महिला डी.

एस. पी. सहित गम्भीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आत्म-रक्षा के लिए फायरिंग की जिसमें एक करौंथा गाँव की महिला प्रोमिला सहित तीन उपद्रवी मारे गए तथा अनेक घायल हो गए। यह सारा घटनाक्रम सतलोक आश्रम करौंथा से लगभग 1½ कि.मी. दूर हुआ। हमारे पास 12 मई 2013 के घटनाक्रम की Video Clip है।

पुलिस द्वारा इन उपद्रवियों को पकड़ा गया तथा F.I.R. 152/2013 Date-12-05-2013 काटी गई। F.I.R. में कुछ मुख्य उपद्रवियों के नाम भी अंकित हैं। उस F.I.R. में यह भी वर्णन है कि ये सर्व उपद्रवी कुछ स्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर सतलोक आश्रम करौंथा की और चले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन उपद्रवी आर्य समाजियों ने पुलिस पर गोलियाँ चलाई, लाठी-पत्थरों से प्रहार किया। पुलिस ने भी जवाबी कारवाही की।

आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के वायदे अनुसार (तुम कुछ करो, तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूँगा) उन उपद्रवी आचार्यों तथा उनके अनुयाईयों को छोड़ दिया गया तथा उनको बचाने के लिए A.D.C. रोहतक को इस पूरे घटनाक्रम की जाँच करने के लिए जाँच अधिकारी बना कर जाँच कार्य शुरू कर दिया। जो महज एक लीपा-पोती है।

एक और आश्चर्य की बात है कि पूरे भारत वर्ष की नजरें 12 मई 2013 को इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिकी थी। करौंथा गाँव से लाईव खबरें तथा ब्रेकिंग न्यूज लगातार बताई जा रही थी कि उपद्रवियों तथा पुलिस की भिड़ंत में एक महिला प्रोमिला जो इसी गाँव करौंथा की रहने वाली थी। उस समेत तीन की जानें गई। उस महिला प्रोमिला को हाथ में लाठी लेकर पुलिस से लड़ते हुए टी. वी. चैनलों, पर दिखाया गया है। फिर भी 13 मई 2013 को महिला प्रोमिला की हत्या का झूठा केस F.I.R. No. 154/2013 Dt. 13-05-2013 के तहत सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा उनके अनुयाईयों पर दर्ज कर दिया।

इसी तर्ज पर इसी प्रकार 12 जुलाई 2006 को भी मुख्यमंत्री

भूपेन्द्र सिंह जी हुड्डा ने सन्त रामपाल दास जी महाराज पर तथा उनके अनुयाईयों पर झूठा केस बनाया था। 12 जुलाई 2006 को दर्ज किए गए मुकदमे में जिस व्यक्ति के नाम से झूठी F.I.R. नं. 198/2006 Date-12-07-2006 काटी थी, उस व्यक्ति ने ट्रायल कोर्ट में ब्यान देकर बता दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, पुलिस ने मेरे दस्तखत करवाए थे। मैंने कोई F.I.R. नहीं कटवाई थी।

मुकदमा नं. 198/2006 झूठा है, इसी को प्रमाणित करने के लिए दो भक्तों की T.I.P. श्री फख्रूद्दीन J.M.I.C. की कोर्ट में लगाई थी। 5 बार तारीख तय की गई परन्तु कोई भी पहचानने वाला नहीं आया क्योंकि F.I.R. झूठी काटी गई थी फिर भी श्री फख्रूद्दीन अन्यायी भ्रष्ट जज ने मुकदमें से उन भक्तों के नाम नहीं निकाले, न ही मुकदमा खारिज किया। यह विश्व रिकार्ड है कि आज तक किसी केस में पाँच बार T.I.P. की तारीख नहीं दी गई।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा उनके अनुयाईयों पर अत्याचार व अन्याय किया गया है तथा मुकदमा नं. 198/2006 झूठा है, इसे खारिज किया जाए।

ट्रायल कोर्ट द्वारा छोटी-छोटी तारीख लगा कर मानसिक पीड़ा देकर, घर के कामों में बाधा उत्पन्न करके हमें सताया जा रहा है। क्या ट्रायल कोर्ट के जजों ने आँखें बनवा रखी हैं। जिस कारण से पर्दा डाल रखा है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि यह मुकदमा झूठा है। इसे खारिज किया जाए।

❑ दूसरा केस :- सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा उनके अनुयाईयों के साथ अत्याचार तथा अन्याय की एक और झलक मुकदमा नं. 446/2006 Date-21-07-2006 सतलोक आश्रम की जमीन के विषय में झूठा केस बनाया गया कि सन्त रामपाल दास जी महाराज ने हेरा-फेरी करके जमीन ट्रस्ट के नाम कराई है।

वास्तविकता इस प्रकार है :- कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 42 पर।

जब गरीब जनता की सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई नहीं

होती तो गरीब जनता के आंसुओं को कौन पौंछेगा? जिस समय अत्याचारी अन्याई राजनेता या बलवान जनताजन गरीबों व असहायों को सताते हैं, तो गरीब इस आशा से न्यायालय में जाता है कि वहां उन्हें अवश्य सहारा मिलेगा। परन्तु हमारे साथ हुए कुछ अन्यायी व स्वार्थी जजों (सभी नहीं) के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि ये जज नहीं जल्लाद हैं।

❑ तीसरा केस :- 19 जून 2006 को गांव छुड़ानी जि. झज्जर के बाबा के अनुयाईयों तथा संत रामपाल दास जी महाराज के भक्तों में कहा सुनी हुई। मुकदमा नं. 132/2006 के तहत सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा कुछ अनुयाईयों को नामजद करके झूठा केस बनाया गया। 12-07-2006 को करौंथा काण्ड में पकड़े गये भक्तों में से कुछ को नामजद करके केस तैयार कर दिया। सन्त रामपाल दास जी के अनुयाईयों के कोरे कागज पर थाने में दस्तख्त करा लिए तथा बाद में लिख लिया कि सन्त रामपाल दास जी पूणे (महाराष्ट्र) जाने से पहले हमें कह कर गए थे कि बाद में झगड़ा कर देना। इस प्रकार का अत्याचार हमारे ऊपर किया गया है। 19 जून 2006 को सन्त रामपाल दास जी महाराज अपने किसी भक्त की कार गाड़ी से महाराष्ट्र राज्य के ''पूणे'' शहर में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। पूणे के समाचार पत्रों में भी उनकी खबरें छपी थी। इस केस से सन्त रामपाल दास जी महाराज के नाम को केस से निकलवाने के लिए अर्जी लगाई गई थी तथा अखबारों की कटिंग भी लगाई गई थी, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय तक भी कोई राहत नहीं मिली।

★ Sh. S.K. Sardana Ji सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का अन्याय :-

मुकदमा नं. 198/2006 के चार्ज के समय हमारे वकील जी ने बहस (Argument) में बताया कि यह केस हमारे ऊपर नहीं बनता। हम अपने आश्रम में सत्संग के लिए इकट्ठे हुए थे, हमारे आश्रम पर हमला किया गया है। हमने आत्म-रक्षा, बूढ़ों-बच्चों, रोगियों तथा

महिलाओं की रक्षा के लिए हवाई फायर किए थे। यह मुकदमा तो आक्रमण करने वालों पर बनता है।

लेकिन भ्रष्ट जज Sh. S.K. Sardana ने एक नहीं सुनी। जो धाराऐं पुलिस ने लगाकर भेजी थी, वे ही धाराऐं लगाकर केस का चार्ज लगा दिया, कानून की उल्लंघना करने की भी हद पार कर दी। उस दिन एक भक्त जो इस केस में नामजद है, अनुपस्थित था, फिर भी तानाशाही तरीके से चार्ज फ्रेम करके मुकदमा चालू कर दिया।

गलत चार्ज के खिलाफ अर्जी माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ में लगाई। जहाँ से चार्ज पर पुनः विचार करने के लिए आदेश हुआ। उसी भ्रष्ट जज Sh. S.K. Sardana जी ने उन भक्तों पर भी धारा 148-149, 302 आदि लगा दी जो पुलिस ने भी नहीं लगाई थी क्योंकि एक भक्त पुलिस में नौकरी करता था, वह मधुबन पुलिस ट्रेनिंग केन्द्र में ट्रेनिंग करने के लिए सरकार की और से भेजा गया था।

क्योंकि इस भ्रष्ट जज का प्रमोशन निकट था। मुख्यमन्त्री को प्रसन्न रखने के लिए अन्याय करना इसका निजी स्वार्थ था। लेकिन परमात्मा की लीला अजीब है, उसके घर तो पल-2 की खबर होती है। कुछ ही दिनों के पश्चात् उस भ्रष्ट जज Sh. S.K. Sardana का अन्य भ्रष्टाचार का केस उजागर हुआ। उसकी जाँच हाई कोर्ट के जजों को सोंपी गई, जब उसको पता चला तो उसी समय नौकरी से त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़कर भाग गया।

★ **Sh. S.S. Lamba Ji सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का अन्याय** :- जज श्री S.K. Sardana के पश्चात् रोहतक कोर्ट में सैशन जज Sh. S.S. Lamba जी ने कुर्सी संभाली। Sh. S.S. Lamba जी से भी इस केस 198/2006 के चार्ज को पुनः विचार करने तथा धारा 148-149 हटाने की अर्जी लगाई जिसकी तारीख 2 अप्रैल 2010 लगाई। बहस (Argument) के समय जज Sh. S.S. Lamba जी ने हमारे वकील Sh. R.S. Hooda जी से कहा ''हुड्डा साहब

यदि धारा 148-149 हटा दूंगा तो धारा 302 भी नहीं रहेगी। हमारे वकील ने कहा कि ''यह केस हमारे पर बनता ही नहीं है, इसको खत्म किया जाए।

जज Sh. S.S. Lamba जी मानते थे कि केस गलत है उनका इरादा भी था कि इस केस को समाप्त करूं। इसीलिए जज महोदय ने कहा था कि इस केस की Argument के समय किसी Accused को आने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो भक्त ही बुलाए जो जेल में थे। एक महीना आगे की तारीख 2 अप्रैल 2010 तय कर दी। उसी बीच आर्यसमाजियों ने जो हमारा विरोध कर रहे थे, मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को सर्व मामला बताया। आर्यसमाजी होने के नाते श्री भूपेन्द्र सिंह जी मुख्यमन्त्री हरियाणा उनकी जी जान से मदद कर रहे हैं। उसी दौरान जज Sh. S.S.Lamba को अन्याय करने की सुपारी दे दी। लालच दिया कि आपको रिटायर होने के बाद लोकायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रार की नौकरी दे दी जाऐगी, ऐसा ही हुआ। वह व्यक्ति सेवानिवृत होते ही अगले दिन ही लोकायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रार लगा दिया गया जो आज भी कार्यरत है। इसी लालच को प्राप्त करने के लिए आर्यसमाजियों से घुलमिल कर रहने लगा। आर्यसमाजी श्री मित्रसैन के साथ इसकी अखबार में फोटो छपी थी। जिसमें मित्रसैन आर्य अपने समाचार पत्र की वर्षगाँठ मना रहा था तथा और भी बहुत बार इसे मुख्यमंत्री निवास रोहतक में आते-जाते देखा गया था।

जज Sh. S.S. Lamba जी ने आदेश क्रमांक 2781 Date-5-4-2010 में नादिरशाही फरमान जारी किया कि यदि एक भी व्यक्ति अनुपस्थित हुआ तो सर्व के बेल बॉड कैन्सिल करके जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार ये भ्रष्ट अन्यायी व्यक्ति छोटे से लालच के कारण अन्याय कर देते हैं। परन्तु परमात्मा से कुछ नहीं छिपा है। पता चला है कि इसी अन्यायी जज R.S. Lamba का एक ही पुत्र था। वह अविवाहित ही मारा गया जो लगभग बीस वर्ष का था, आगे कोई पुत्र नहीं, ऐसे घटिया व्यक्तियों के वंश नष्ट हो जाते हैं।

इसलिए हम सर्व न्यायधीशों से प्रार्थना करते हैं कि आप यह विष न खाओ, गरीब जनता को न्याय देकर अपना कर्त्तव्य कर्म करके पाप से बचो। आप भी आश-औलाद (बाल-बच्चेदार) हैं।

★ Sh. R.C. Godara Ji Add. सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का अन्याय :-

एडी. सैशन जज श्री रामचन्द्र गोदारा की कोर्ट में आर्यसमाजियों ने रिविजन पिटीशन डाली जिसमें उनके खिलाफ 156(3) धारा के तहत इसी करौंथा काण्ड की F.I.R. काटी गई थी। Sh. R.C. Godara जी ने उसी दिन सन्त रामपाल दास जी महाराज के हस्ताक्षर करा कर केस पर स्टे दे दिया। उस दिन सन्त रामपाल दास जी महाराज अन्य केस में कोर्ट के खारजे (बन्दी खाने) में लाए गये थे। खारजे में ही दस्तखत करा लिए। एक घण्टे के अन्दर केस का स्टे कर दिया।

विचार करें :- खारजे में बंद व्यक्ति अपने वकील से भी सम्पर्क नहीं कर सकता है। यह सरेआम जज महोदय की दादागिरी है। इस जज के पास हमारा मुकदमा नं. 198/2006 भी चल रहा था। हमने अपना यह मुकदमा भी इस अन्यायी जज से बदलवा लिया। इस जज का भी प्रमोशन होने वाला था।

जज के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री का आशीर्वाद अनिवार्य होता है, इसी लालच में इस R.C.Godara ने अन्याय की हद कर दी। कुछ महीनों के बाद इसे प्रमोट करके यमुनानगर में सैशन जज लगा दिया गया।

★ श्री नवाब सिंह जज (पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट) के अन्याय की झलक :-

सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा अन्य भक्तों को झूठे मुकदमा नं. 198/2006 में नामजद किया गया था। सन्त रामपाल दास जी महाराज की जमानत की अर्जी लगाई गई। जो आर्यसमाजी जज श्री प्रीतम पाल जी की अदालत में लगी। हमने उस जज से अपनी अपील बदलवाई। यह जज मुख्यमन्त्री जी के संकेतों पर

नाचता था। अतः सेवानिवृत होते ही इसे हरियाणा लोकायुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया गया। मुख्यमन्त्री हरियाणा श्री भूपेन्द्र सिंह ने सांठ-गांठ करके हमारी जमानत जज श्री नवाब सिंह की अदालत में लगवाई। इस जल्लाद जज ने 11 महीने में 16 तारीखें लगाई। किसी तारीख पर स्वयं नहीं आता तथा किसी तारीख पर आधी बहस करवाकर उसे रिकार्ड में नहीं लेता। उसने एक ऐसा जुल्म किया जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। उसने ओपन कोर्ट में अगली तारीख लगाई 17 जनवरी 2008 बताई जो कोर्ट में लिखी गई। विश्वसनीय सुत्रों से पता चला कि आप के साथ धोखा होगा, आपकी तारीख बदल कर 16 जनवरी 2008 कर रखी है। हमारे वकील को बताया गया तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हाई कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता है।

जैसे तैसे उन्हें लेकर हम रातों रात चण्डीगढ़ पहुँचे तो सुबह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में पता चला कि आज 16 जनवरी को हमारी जमानत याचिका की सुनवाई है। हमारे वकील श्री आर. एस. हुड्डा को देखकर जज महोदय श्री नवाब सिंह का चेहरा उतर गया जैसे कि उनके षड़यंत्र का पर्दा फास हो गया हो उसने पूछा की हुड्डा जी आज आप यहाँ कैसे आप की तो 17 तारिख थी 16 कैसे हो गई। मुझे भी सुबह ही पता चला। ये सब कैसे हो गया। हमारे वकील श्री आर. एस. हुड्डा जी ने कहा कि आपके ही कागजों में काट कर 17 जनवरी की 16 जनवरी की हुई है। तब जज महोदय ने कहा कि चलो इसको 17 जनवरी को ही कर लेते हैं। तब हमारे वकील ने कहा कि कल किसलिए, आप हैं, हम हैं, विरोधी पार्टी का वकील भी है, सरकारी वकील है फिर आज ही बहस कर लेते हैं। बहस लगभग दो घण्टे तक चली। एक स्वप्रमाणित बात यह है कि 11 महिनों के दौरान कई बार रौस्टर चैंज होते रहे लेकिन हमारा केस नवाब सिंह के पास ही चलता रहा और इसने बहस को रिकार्ड में नहीं लिया। फिर भी इस केस को किसी और जज को नहीं दिया और लगभग 8 महीनों तक इसने

बहस को रिकार्ड में नहीं दिखा रखा था। 16 अक्तूबर 2007 को लगभग दो घण्टे बहस हुई थी। जब हमने फरवरी 2008 में जीमनी Order निकलवाऐ तो उसमें केवल 16 जनवरी 2008 को बहस की गई लिखा था। उससे पहले किसी बहस को रिकार्ड में नहीं लिया गया था। 16-10-2007 को बहस हुई वह समाचार पत्रों में 17-10-2007 को प्रकाशित हुई कि 16-10-2007 को संत रामपाल जी के केस में आधी बहस हुई। परन्तु फरवरी 2008 में कोर्ट से प्राप्त जीमनी में 16-10-2007 वाली बहस हुई नहीं लिखा था। बाद में पूरी जीमनी प्राप्त की तो उसमें 16-10-2007 वाली बहस हुई दिखाई है, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। बाद में लिखी बहस 16-10-2007 में जज महोदय ने हमारी तरफ से बहस के समय उपस्थित वकील श्री बिपन घई दिखाया है। जबकि बिपन घई ने केवल सन्त रामपाल जी का केस लगाया था। उसके बाद उसको मना कर दिया था। वह किसी भी तारीख पर बहस के लिए नहीं आया। हमारे वकील श्री आर. एस. हुड्डा प्रत्येक तारीख पर बहस करने गये परन्तु उनका नाम जीमनी में केवल अन्तिम तारीख पर ही दिखाया गया है।

इससे स्वसिद्ध है कि यह संत रामपाल जी महाराज के विरूद्ध यह एक सुनियोजित षड़यंत्र था। जब हमारी लीगल सैल ने यह महसूस किया कि यह जज नवाब सिंह पूर्णरूप से हमारे विरूद्ध चल रहा है तो हमने उसके विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बनाया तो उसके लिए हमने इस केस की जीमनी आर्डर निकलवाया। जीमनी आर्डर के भय से कि कहीं ये मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ना चले जाए तब इसने 2 अप्रैल 2008 को 11 महीने में 16 पेशीयाँ लगाकर अन्ततः जमानत दे दी।

★ अब दिसम्बर 2013 में श्री नवाब सिंह पर मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने प्रोत्साहित करने के लिए रिटायर होते ही हरियाणा स्टेट कन्जूमर फोर्म चण्डीगढ़ का चैयरमैन बना दिया।

★ श्री सूर्यकांत जी जज पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ की जलालत :- जिन तारीखों पर श्री नवाब सिंह जज महोदय छुट्टी गया था। उन में से एक तिथी 18-9-2007 है। जो श्री सूर्य कांत जज को लगी उसने भी झूठ लिखने में कसर नहीं छोड़ी। उसने लिखा है कि 18-9-2007 को पटीश्नर की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ। जबकि हमारे वकील उपस्थित थे, कारण यह था कि केस को डील न करने का बहाना किया, क्योंकि मुख्यमन्त्री हरियाणा श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी द्वारा उसको पहले ही संकेत कर दिया गया था। यह तो वही बात चरित्रार्थ हो गई ''घर की बही काका लिखणिया''

विशेष :- यह तो वे पुराने जख्म बताऐ हैं जो भक्त बसंत दास तथा हम सर्व भक्तों ने मिलजुल कर बनाई पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' में भी विस्तार के साथ लिखे थे। हम सर्व भक्त जन ''सच बनाम झूठ'' में वर्णित प्रत्येक प्रकरण की तायद करते हैं। हम सर्व घटनाओं के गवाह हैं। जो भारत के सर्व जजों तथा सर्व संसद सदस्यों (M.P.s) सर्व विधायकों तथा मंत्रीयों तथा मुख्यमन्त्रीयों, प्रधानमंत्री जी तथा सर्व केन्द्र के मंत्रीयों तथा माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य दिल्ली को डाक व E-Mail के माध्यम से भेजा गया था। अधिक जानकारी के लिए वहां से भी जाना जा सकता है। उसके बाद भी अन्याय का सिलसिला अभी तक जारी है।

''नए जख्म जो अन्यायी जजों द्वारा किए गए''
(सच बनाम झूठ भाग-2)

★ 1. श्री इन्द्रजीत महता जी सैशन जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) के ढहाये जुल्मों की झलक :- श्री इन्द्रजीत मेहता सैशन जज रोहतक ने श्री सैशन जज R.S.Lamba के बाद रोहतक कोर्ट का पद संभाला जो रोहतक में ही एडीशनल जज था। वहीं से प्रमोशन प्राप्त करके मुख्यमन्त्री जी के आशीर्वाद से रोहतक में ही सैशन जज लगा था।

श्री इन्द्रजीत मेहता के विषय में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय को लिखा गया शिकायत पत्र।

सेवा में,

माननीय मुख्यन्यायधीश महोदय,
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय,
चण्डीगढ़।

विषय : श्री इन्द्रजीत मेहता, सैशन जज रोहतक (हरियाणा) द्वारा निजी स्वार्थों के लिए किए गए खुले आम पक्षपाती तथा क्रूर व्यवहार ने दो भक्तों का जीवन बर्बाद किया। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु तथा तथ्यों को देखकर झूठे केस को समाप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि मैं प्रीतम सिंह (राजकपूर) पुत्र श्री रामेश्वर निवासी इमलोटा, त. चरखी दादरी, जि. भिवानी (हरियाणा) हालाबाद मकान नं. 127 प्रेम नगर हिसार (हरियाणा) का निवासी हूँ तथा संत रामपाल जी महाराज का अनुयाई हूँ व झूठा मुकदमा सं. 198/06 दिनांक 12/7/2006 में नाम दर्ज हूँ। सन्त रामपाल जी महाराज के 12 लाख अनुयाईयों ने जज श्री इन्द्रजीत मेहता की जलालत व अन्याय से दुःखी होकर सभी ने मुझसे यह प्रार्थना पत्र लिखने का अनुरोध किया है।

दुःखद विवरण यह है कि सन्त रामपाल जी महाराज तथा आर्य समाजियों का वैचारिक मतभेद है। सन्त रामपाल जी महाराज महान सन्त परमेश्वर कबीर जी के अनुयाई हैं तथा परमेश्वर कबीर जी की विचारधारा के अनुसार सत्संग करते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द के विचारों को कबीर परमेश्वर जी के विचारों से तुलना करके सिद्ध किया है कि परमेश्वर कबीर के विचार शास्त्रानुकूल हैं तथा महर्षि दयानन्द के विचार वेद विरूद्ध अर्थात् गलत हैं। इससे क्षुब्ध होकर आर्य समाज के आचार्यों ने हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को विश्वास में लेकर

आर्य समाजियों के सहयोग से सन्त रामपाल जी तथा उनके अनुयाईयों को जान से मारने के लिए दिनांक 12-7-2006 को उनके गांव करौंथा जिला रोहतक (हरियाणा) में स्थित आश्रम पर आक्रमण किया।

श्री भूपेन्द्र सिंह मुख्यमन्त्री हरियाणा भी आर्य समाजी है। जिस कारण से सन्त रामपाल जी तथा उनके अनुयाईयों को सब ओर से परेशान कर रहा है। जिन्होंने आश्रम पर आक्रमण किया उनको इनाम दिया तथा आश्रम में सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों व सन्त पर 148-149 व अन्य धाराऐं लगा कर झूठा मुकदमा बना दिया। इसी मुकदमे के सम्बन्ध में दिनांक 30 जुलाई 2012 को जिला एवं सत्र न्यायालय रोहतक में माननीय सैशन जज श्री इन्द्रजीत मेहता जी की अदालत में तारीख पेशी पर हाजिर हुए। उस दिन हमारा एक साथी कृष्णकांत पुत्र श्री हरिराम गांव करौंथा, जि. रोहतक का निवासी है, जो इस झूठे मुकदमें में हमारे साथ नामजद है बिमारी के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण माननीय न्यायधीश श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता जी ने सभी भक्तों को जो झूठे मुकदमें में फंसा रखे हैं को खुली अदालत में डराना-धमकाना शुरू कर दिया तथा कहा कि इस कृष्ण कांत को बता देना कि उसके बेल बॉण्ड कैन्सिल कर दिये हैं और जब तक केस की सुनवाई चलेगी उसकी जमानत नहीं लूंगा और उसको जेल में रखूंगा और आगे भी कोई ऐसी हरकत करेगा, उसको भी जेल में रखूंगा तथा ऐसा कर दूंगा कि रात को उठ-उठ कर तारीख देखोगे। पूरे दिन कोर्ट के सामने खड़ा रखूंगा। इसके बाद माननीय न्यायधीश श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता ने श्री कृष्णकांत पुत्र हरिराम गांव करौंथा जि. रोहतक (हरियाणा) के बेल बॉण्ड कैन्सिल कर दिए तथा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके मुक्कदमेवार श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री कृष्ण गांव करौंथा ने जब कृष्णकांत को जज श्री इन्द्रजीत मेहता का मौखिक आदेश बताया तो इतना सुनते ही उसका मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि दो

महिने पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसका ईलाज करवाया जा रहा था तो वह घर से निकल गया, फिर उसे इधर-उधर से खोज कर उसके पागलपन का ईलाज करवाया। वह फिर भाग गया। जिस कृष्णकांत को खोजने में पुलिस भी असफल रही। उसे अपने पास से किराया-भाड़ा खर्च कर भाग-दौड़ करके खोज कर पागल अवस्था में ही तारिख 27-8-2012 को उसके जमानती श्री नरेश द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जज श्री इन्द्रजीत मेहता ने फिर भी उस जमानती पर 5000 रूपये जुर्माना कर दिया क्योंकि वह संत रामपाल जी महाराज का भक्त है। जिस समय कृष्णकांत को न्यायालय में पेश किया गया। उसकी दयनीय हालत देखकर हमें रोना आ रहा था, आशा थी शायद सैशन जज साहब जमानत पर छोड़ देगा, क्योंकि उसका इलाज कराना अनिवार्य था। परन्तु निर्दयी सैशन जज श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता ने अपनी जलालत को कायम रखते हुए चिकित्सक के प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हुए तथा कानून का उल्लंघन करते हुए, कृष्णकांत को जिला जेल रोहतक भेज दिया। जबकि इसको चाहिए था कि बेलेबल वारंट करता, कारण का पता करके, गलती मिलने पर सख्त कार्यवाही करता। क्या जज बिमार नहीं होते ? यह जलालत की हद को उस समय पार कर गया, जब कृष्ण कांत पागल हालत में जेल में था, उस दौरान व्यक्तिगत रूचि रखते हुए सैशन जज श्री इन्द्रजीत मेहता ने दो बार जिला जेल रोहतक का दौरा किया तथा कृष्णकांत को जेल प्रशासन द्वारा जेल में यातनायें दिलाई गई तथा उसे वहां कोई इलाज मुहैया नहीं कराया गया। जिस कारण से कृष्णकांत की मानसिक स्थिति और खराब हो गई। हमारे वकील द्वारा कृष्णकांत की तरफ से प्रार्थना की गई थी कि उसका ईलाज P.G.I.M.S. रोहतक में कराया जाऐ तो सैशन जज श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता जी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि जेल पागलों के ईलाज के लिए ही होती है दो-चार दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा और उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। बाद में जिला जेल में

कृष्णकांत की मानसिक स्थिति और खराब हो गई तो जिला जेल प्रशासन द्वारा P.G.I.M.S. रोहतक में ईलाज न करवाकर जेल में ही नशे के इन्जैक्शन लगाने शुरू कर दिये।

इसके बाद हमारे वकील द्वारा कृष्णकांत की मानसिक स्थिति को देखते हुए। दिनांक 7-9-2012 को जज श्री इन्द्रजीत मेहता से जमानत याचिका दायर की गई कि कृष्णकांत को P.G.I.M.S. में विशेष चिकित्सा कि जरूरत है और उसकी जमानत कि प्रार्थना स्वीकार कि जाये जमानत की याचिका में भी स्पष्ट किया गया था कि आप (सैशन जज) के क्रुर रवैये के कारण कृष्ण कांत पागल हो गया है, उसने आत्महत्या की कोशिश भी की है, जमानत के लिए लगाई असल प्रार्थना की कोर्ट से प्राप्त नकल की फोटो कापी अवलोकनार्थ संलग्न है। इसके बावजूद जज श्री इन्द्रजीत मेहता ने उस दिन भी जमानत न देकर 21-9-2012 तिथी निर्धारित कर दी जो मुकदमें की तारीख थी तथा उस दिन भी जमानत नहीं दी।

21-9-2012 को एक अन्य भक्त मुकेश पुत्र ताराचन्द बिमारी की वजह से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका। जब उसको पता चला कि आज दिनांक 21-9-2012 जज साहेब ने अपने नादिरशाही आदेशानुसार कृष्णकांत को जमानत नहीं दी है इसी प्रकार मेरी जमानत भी पूरे केस की सुनवाई तक नहीं देगा, तो उसका भी मानसिक सन्तुलन खराब हो गया, आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। मुकेश की मंगनी हुई है, कुछ ही दिनों में विवाह होना था। उसका इलाज P.G.I.M.S. रोहतक में कराया गया। वह पागल अवस्था के कारण घर छोड़ कर कहीं चला गया है। जज श्री मेहता द्वारा मुकेश के घर वालों को पुलिस से तंग करवाया जा रहा है। मुकेश का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। मुकेश के घर वालों ने बताया कि वह मानसिक रूप से बिमार है, उसका ईलाज करवा रहे हैं परन्तु वह अचानक कहीं चला गया है। हम स्वयं परेशान हैं।

दोनों पिड़ित भक्तों के दो-दो चिकित्सा प्रमाण कार्ड पत्र जिसमें पहले वह बिमार थे तथा बाद में पागल हो गऐ प्रार्थना पत्र के साथ

अवलोकनार्थ संलग्न किए जाते हैं।

जज श्री इन्द्रजीत मेहता द्वारा संत रामपाल जी महाराज के अनुयाईयों को मानसिक रूप से परेशान करने के निम्न कारण है :- विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सैशन जज इन्द्रजीत मेहता तथा आर्यसमाजियों का गुप्त समझौता हुआ है कि मुख्यमन्त्री जी हरियाणा श्री भूपेन्द्र सिंह से हमारी बात हो गई है उन्होंने कहा है कि यदि माननीय जज इन्द्रजीत मेहता इस केस में सजा करने का आश्वासन देगा तो इस की पदोन्नती के लिए नाम रिकमण्ड कर दिया जाएगा तथा उसकी पत्नी का भी नाम पदोन्नती के लिए रिकमण्ड किया जाएगा। जज इन्द्रजीत मेहता ने सर्व शर्तें मान ली तथा यह कहा कि यह मीडिया ट्रायल मुकदमा है। इसमें मुझे सजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। गवाह भी चाहे उन्हीं के पक्ष में गुजर जाऐं, मुझे सोऊ-मोटो का अधिकार है, मैं सजा सुना सकता हूँ। इन्द्रजीत मेहता सैशन जज ने इसका संकेत भरी अदालत में हमारे सामने भी किया है कि यह मीडिया ट्रायल केस है, C.M. हरियाणा इनका विरोधी है, मैंने नौकरी करनी है, मुझे इसमें ज्यादा गवाहों की आवश्यकता नहीं है। कुछेक और गवाह लेकर सोऊ-मोटो के आधार पर फैसला किया जा सकता है। इसी आधार से :-

1. श्री इन्द्रजीत मेहता लेबर कोर्ट रोहतक में जज था तथा मुख्यमन्त्री हरियाणा के आशिर्वाद से उसको वहीं पर पदोन्नती देकर सैशन जज लगवाया गया।

2. श्री इन्द्रजीत मेहता जी की धर्मपत्नी मिनाक्षी आई. मेहता जी भी अतिरिक्त सैशन जज थी जिसे भी मुख्यमन्त्री हरियाणा के आशिर्वाद से पदोन्नत करके निकटवर्ती झज्जर जिले में सैशन जज लगवाया गया। मुख्यमन्त्री हरियाणा द्वारा किए गये उपरोक्त वादों को पूरा करने पर जज श्री इन्द्रजीत मेहता को अब विश्वास हो गया है कि मुख्यमन्त्री हरियाणा जो वायदा करता है उसे पूरा भी करता है। इसे पूर्ण विश्वास है कि अब मुख्यमन्त्री मुझे हाई कोर्ट का जज नियुक्त करवाने में भी पूरी मदद करेगा। क्योंकि मुख्यमन्त्री

की सिफारिश पर ही हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है। हम यह भी मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायधीश जी गलत फैसला नहीं लेते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ती, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के लिए राज्य के मुख्यमन्त्री की सिफारिश को भी मध्य नजर रखा जाता है। इसलिए हरियाणा प्रान्त का मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अधिकतर भ्रष्ट जजों की सिफारिश करता रहता है। इसलिए इस श्री इन्द्रजीत सिंह सैशन जज ''जल्लाद'' को भी यह उम्मीद है कि उसे भी मुख्यमन्त्री जी की सिफारिश पर उच्च न्यायालय में न्यायधीश पदोन्नत किया जाएगा। आप जी से नम्र निवेदन है कि इस श्री इन्द्रजीत सिंह सैशन जज ''जल्लाद'' से हमारे हितों तथा कानून की रक्षा की जाये।

इसके अतिरिक्त श्री इन्द्रजीत मेहता सैशन जज ने अन्य निजि स्वार्थों की पूर्ति के लिए कानून का उल्लंघन करके झूठे मुकदमे में नामजद निर्दोष भक्तों के जीवन को बरबाद कर रहा है। इसने निर्दयिता बरतते हुए कृष्णकांत व मुकेश की जिन्दगीयों के साथ खिलवाड़ किया है। अन्य भक्त भी सकते में हैं।

जज श्री मेहता को भी पता है कि यह झूठा मुकदमा है तथा 12 जुलाई 2006 को असामाजिक तत्वों द्वारा करौंथा आश्रम पर हमला किया गया था। क्योंकि S.D.M. रोहतक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8-10 हजार व्यक्तियों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए आक्रमणकारी असामाजिक तत्वों पर पानी के फुहारे छोड़े तथा आंसू गैंस के गोले दागे। फिर भी हमलावर काबू नहीं आए तो आश्रम में उपस्थित संत रामपाल जी महाराज व अनेक अनुयाईयों के जीवन को खतरे में देखते हुए मौके पर उपस्थित S.D.M. महोदय ने हालात को देखते हुए तथा S.H.O. थाना सदर रोहतक ने प्रार्थना की कि आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया जाए। माननीय S.D.M. रोहतक ने भी अपने आदेश में कहा है कि मौके के हालात से मैं भी सन्तुष्ट हुआ

तथा घटना स्थल पर उपस्थित S.P. व D.C. से सलाह करके आश्रम को धारा 145 Cr. P.C के तहत कब्जे में ले लिया। S.D.M. रोहतक के आदेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। S.D.M. महोदय ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। माननीय S.D.M. के आदेशों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयाईयों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना था। उसके आदेशों का उल्लंघन करते हुए हरियाणा के मुख्यमन्त्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सह पर संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयाईयों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने कि बजाय गिरफ्तार करके झूठे मुकदमें दर्ज करके जिला जेल रोहतक में भिजवा दिया गया। जज श्री मेहता यह भी अच्छी तरह जानता है कि F.I.R. में भी यह कहा है कि आश्रम वाले आश्रम से बाहर नहीं आए। आश्रम में बैठे संत रामपाल जी महाराज व उसके अनुयाईयों पर आई.पी.सी. की धारा 148-149 नहीं लगती है फिर भी यह धारा लगा कर झूठा केस चलाए जा रहा है। जज श्री इन्द्रजीत मेहता यह भी अच्छी तरह जानता है कि जिस व्यक्ति के नाम से प्रशासन ने C.M. को खुश करने के लिए संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयाईयों पर झूठा मुकदमा बनाया था, उसने न्यायालय में माननीय तत्कालीन जज श्री S.S. Lamba के सामने अपने ब्यानों द्वारा सच्चाई बता दी है कि मुझे इस मुकदमें के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस ने मेरे से कोरे कागज पर दस्तखत करवाये थे। मुझे पता नहीं पुलिस ने क्या लिखा है। (F.I.R. के मुख्य गवाह श्री अशोक कुमार के सैशन जज के समक्ष दिए गए ब्यानों की असल कापी कोर्ट से प्राप्त नकल की फोटो कापी अवलोकनार्थ संलग्न है) फिर भी झूठी व असंवैधानिक धाराओं के तहत मुकदमें को चलाया जा रहा है। जज श्री इन्द्रजीत मेहता अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इतना निर्दयी हो चुका है कि बिमार व्यक्ति पर भी रहम नहीं करता जो अपनी जिन्दगी व मौत के बीच जूझ रहा था। उसे तुरंत चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी। लेकिन इसने अमानवीय

व्यवहार करते हुए, उसकी मैडिकल रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए तथा कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए, उसे जेल भेज दिया। जज श्री इन्द्रजीत महता के इस क्रूर व अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण जज श्री इन्द्रजीत मेहता संत रामपाल जी महाराज के 12 लाख अनुयाईयों में निन्दा का पात्र बना हुआ है और उनके मुख से यही शब्द निकलते हैं कि यह जज नहीं ''जल्लाद'' है।

सैशन जज श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता ने 31-10-2012 को कहा कि आगे से 7-7 दिन कि तारीख दूंगा। इस पर हमारे वकील ने प्रार्थना की कि जो आदमी किसी कारण से नहीं आ पाता उसका क्या कसूर है जानबूझ कर तो कोई गैरहाजिर होता नहीं है। जो हमेशा आते हैं उनका क्या दोष है कोई लखनऊ (यू.पी.) से आता है, कोई पूना (महाराष्ट्र) से आता है। ये न तो घर कार्य ठीक से कर पा रहे हैं न नौकरी पर हाजिर हो पाते हैं। उन बेचारों पर तो दया करो, तब न्यायधीश श्री मेहता जी ने कहा कि इनके लिए कोई दया नहीं, इनको पूरे दिन न्यायालय के सामने खड़ा रखूंगा तथा शाम को हाजिरी लगाऊंगा।

हमने सुप्रीम कोर्ट में I.P.C. की धारा 148-149 के खिलाफ याचिका डाली की हमारे ऊपर धारा 148-149 नहीं बनती तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप निचली अदालत में Trial के समय अपना पक्ष रखें। लेकिन जज श्री इन्द्रजीत मेहता उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है।

जज श्री इन्द्रजीत मेहता की मौखिक धमकीयों व क्रूर व्यवहार के कारण इस झूठे मुकदमें में नामजद सभी भक्तों का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इस कारण से वे न तो कोई अपना काम-धंधा कर पा रहे हैं और न ही सुचारू ढंग से अपना जीवन जी पा रहे हैं। उनके दिमाग में हर वक्त जज श्री इन्द्रजीत मेहता की मौखिक धमकियाँ ही गूंजती रहती हैं। मुकदमें में नामजद सभी भक्त भय व आतंक के साये में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। छोटी-2 तारीख देकर शारीरिक व मानसिक रूप से

परेशान किए जा रहे हैं। जिस कारण से वे न घर का कार्य कर पाते हैं न नौकरी। यदि माननीय न्यायधीश ही अपने नीजि स्वार्थों की वजह से कानून का उल्लंघन करते रहेंगे तो आम जनता का जीवन जीना दूभर हो जायेगा। अब वह सौ वर्ष पहले वाला भारत नहीं रहा, अब जनता समझदार हो चुकी है, वह सबकुछ जानती है। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में जनता अपने अधिकारों के लिए सोऊ-मोटो लेकर कानून को अपने हाथों में ले ले। इसलिए आप जी से प्रार्थना है कि इस केस पर पूर्नविचार करते हुए, सतलोक आश्रम करोंथा पर आक्रमण करने वाले आसामजिक तत्वों पर मुकदमा दायर किया जाए तथा निर्दोष भक्तों पर बने इस झूठे मुकदमे को समाप्त किया जाए ताकि वे अपना जीवन कानून का सम्मान करते हुए शांति प्रिय ढंग से जी सकें।

इन्द्रजीत महता जैसे स्वार्थी अन्याई एवं भ्रष्ट जज पूरी न्याय प्रणाली को धूमिल करते हैं। यदि भविष्य में कोई भक्त इसकी जलालत से तंग आकर पागल होता है या आत्महत्या कर लेगा तो इसका जिम्मेदार यह अन्याई जज श्री इन्द्रजीत मेहता होगा।

सैशन जज रोहतक इन्द्रजीत सिंह मेहता अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहुत बार **C.M. House** रोहतक में आता-जाता रहता है।

जज श्री इन्द्रजीत सिंह मेहता निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए पूरी न्यायपालिका को बदनाम कर रहा है। ऐसे भ्रष्ट जजों के अन्याय से दुःखी होकर दिनांक **11-08-2011** को सन्त रामपाल जी महाराज के **5000** (पांच हजार) अनुयाईयों ने अपने शपथ पत्र (एफिडेविट) माननीय हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में पहले भी दाखिल कर रखें हैं। जो माननीय जस्टिस श्री सूर्य कांत तथा माननीय जस्टिस श्री पी.आर. नागरथ की डबल बैंच में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हम महादुःखी होकर आपसे इस पत्र के माध्यम से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आप जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, नहीं तो

मजबूरन हम 12 लाख अनुयाई, देश के संविधान एवं कानून की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना व प्रदर्शन करेंगे, ताकि इस भ्रष्ट व अन्यायी जजों की कार्य प्रणाली को देश की जनता के सामने उजागर किया जा सके।

उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए मुकदमों की सुनवाई के समय साथ गये अन्य भक्त भी अपना शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। हमारा उद्देश्य किसी की निन्दा या मानहानि करने का नहीं है। हम मानते हैं कि अधिकतर जज ईमानदार तथा न्यायप्रिय हैं। हम सिर्फ संवैधानिक तरीके से हमारे साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। क्योंकि हमें असंवैधानिक तरीके से तंग किया जा रहा है। इस जल्लाद जज श्री इन्द्रजीत मेहता के संगीन अपराध को देखते हुए, सख्त कानूनी कार्यवाही करके इस अन्यायी को जज के पद से पदमुक्त किया जाए तथा अपराधिक मामला दर्ज करके जेल भेजा जाए ताकि आगे से कोई अन्य माननीय जज भी कानून के साथ खिलवाड़ न कर सके और किसी निर्दोष को तंग न कर सके व गरीब जनता को न्याय मिल सके। उपरोक्त घटनाओं के विषय में आप जब चाहे हम सर्व (सन्त रामपाल जी महाराज के 12 लाख अनुयाई) आपको सभी प्रमाण देने के लिए तैयार हैं।

हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट जज भारतीय संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, यह कतई सहन नहीं करेंगे। ऐसे भ्रष्ट जजों से दुःखी होकर आप से यह प्रार्थना पत्र न्याय प्राप्ति तथा उचित कार्यवाही करने की आशा से भेज रहे हैं।

प्रार्थी

भक्त प्रीतम सिंह (राजकपूर दास) व

सन्त रामपाल दास जी महाराज के सर्व अनुयाई।

★ श्रीमति हरसाली चौधरी जी जज रोहतक कोर्ट (हरियाणा) का कमाल :-

सन्त रामपाल दास जी महाराज का बैंक का खाता सरकार ने सील कर रखा है। उसके लिए जज श्रीमति हरसाली चौधरी जी की कोर्ट में मुकद्मा चल रहा था।

तारीख से दो दिन पहले ही केस खारिज कर दिया तथा दोनों वकीलों को बहस में हाजिर दिखा दिया। दोनों वकीलों (सरकारी वकील तथा हमारे वकील जी) की डायरी की फोटो कापी लगाकर इस अन्याई जज की शिकायत माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दिनांक 02-12-2011 को लगाई। माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने केवल स्थानान्तरण कर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तबादला कर देना कोई सजा नहीं है। ऐसे अन्याईयों के लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए।

★ जज श्री आशु कुमार जैन जी रोहतक कोर्ट (हरियाणा) :-

एक भक्त राजेन्द्र दास द्वारा एक मुकदमा डाला गया। जिसमें नॉनबेलेबल वारंट दोषियों के किए गए। एक दोषी हाजिर हुआ। भक्त राजेन्द्र भी वहाँ पर उपस्थित था। जज आशु जैन जी ने दोषी के वकील से कहा कि यह नॉनबेलेबल ऑफैंस है, अग्रिम जमानत लगानी चाहिए थी, इसे जेल भेजना पड़ेगा। विरोधी वकील से कुछ बात करके जज ने कहा कि लंच के बाद आना, दोषी को स्वयं भगा दिया। दोषी को लंच के बाद कहाँ आना था। भक्त राजेन्द्र जी ने जज से कहा कि आप ने जान-बूझ कर उसको भगाया है। जज ने कहा वारंट कर देता हूँ। इसकी शिकायत माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दिनांक 20-10-2010 को की गई, जज का केवल स्थानांतरण कर दिया गया अन्य कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल तबादला करना ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए पर्याप्त दण्ड नहीं है। कानून के जानकार निजी स्वार्थ के लिए आम गरीब जनता के साथ अन्याय करते हैं। ये तो अन्य नागरिकों से भी अधिक सजा के पात्र हैं।

★ श्री हेमन्त गुप्ता जी जज पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ का क्रुर व्यवहार तथा घोर अन्याय :-

इस भ्रष्ट जज ने तो वह कार्य किया है ''जैसे किसी व्यक्ति को कई जनों ने मिल कर पीटा। वह रो रहा हो और किसी से अपना दुःख सुना रहा हो। अन्य व्यक्ति उसे फिर से पीटे और कहे तू रोया क्यूं। इसलिए तुझे और पीटता हूँ, तुने मेरे मित्रों की बेईज्जती की है, रोना बंद कर। एक पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' हम सर्व भक्तों ने मिलकर स्वयं बनाई थी। जिसमें हमारे साथ हुआ अन्याय तथा अत्याचार की जानकारी दी थी तथा सर्व गणमान्य मन्त्रीयों जजों तथा **M.L.A.'s, M.P.'s** को भेजी थी। उस पुस्तक पर भक्त बसन्त का केवल नाम व पता लिखा कि यदि कोई हमारे दुःख को जानना चाहे तो उस पते पर सम्पर्क कर सके। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि यह पुस्तक हम सर्व 12 लाख अनुयाईयों ने मिलकर लिखी है। हम सब इसमें पार्टी हैं। परन्तु श्री हेमन्त गुप्ता जज जी तथा श्री सूर्य कान्त जज जी ने मनमानी करके केवल बसन्त दास पर कोर्ट अवमानना का मुकदमा स्वयं संज्ञान लेकर बना दिया। प्रत्येक पेशी पर धमकी देते थे की तेरे को जेल में भेजेंगे, तूनें जजों को क्या समझ रखा है। उसी समय से बसन्त दास को मानसिक परेशानी बन गई। हमने **5000** शपथ पत्र **(Affidavit)** पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जमा कराए। जिनमें हम सबने अपने आपको पार्टी बनाने का अनुरोध किया था। परन्तु इन जलील जजों ने मिलकर एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत उनको खारीज करके अकेले बसंत दास पर ही केस रख दिया। उस दिन के पश्चात् इसकी मानसिक हालत खराब हो गई। यह बार-२ कहने लगा। जज तो मुझे अकेले को सजा करेंगे। यह पुस्तक तो सबने मिल कर बनाई थी। इसने कई बार फांसी लगाने की कोशिश की। इसको रोहतक **P.G.I.M.S.** में दिखाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। जिन जजों (श्री इन्द्रजीत मेहता सैशन जज, रोहतक तथा श्री सुभाष गोयल वर्तमान सैशन जज, रोहतक) के पास हमारे केस

चल रहे हैं। इन सभी जल्लाद जजों ने अन्याय करके तीन भक्तों का जीवन नाश कर दिया। अन्य भक्त भी झूठे केसों में परेशान किऐ जाने के कारण टैंशन में है। भक्त बसन्त दास तथा अन्य दो भक्तों के उपचार पत्र भी संलग्न है। स्वयं संज्ञान (Suo motu) का अधिकार जजों को प्राप्त है। जो भ्रष्ट जज हैं वे इसका दुरूपयोग करते हैं। जैसे श्री हेमन्त गुप्ता जी माननीय विद्वान जज ने किया है। जो ईमानदार न्यायप्रिय जज हैं। वे इस अधिकार का सदुपयोग करते हैं। हमारे तीनों केसों में स्वयं संज्ञान का प्रयोग करके मुकदमें खारीज करने चाहिए थे। किसी में भी ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि हम पहले प्रार्थना कर चुके हैं कि हम सर्व भक्तों ने मिलकर पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' लिखी, जिसमें हमारे साथ हुए अन्याय तथा अत्याचार की जानकारी दी गई थी। जिस पुस्तक को हमने भारतवर्ष के सर्व माननीय जजों, सर्व M.P.s तथा सर्व M.L.A.s तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तथा महामहिम उपराष्ट्रपति जी को E-Mail व डाक के द्वारा भेजी तथा पुस्तक में लिखे विवरण की जाँच करवाने की प्रार्थना की थी।

भारत के उपराष्ट्रपति जी ने इस पुस्तक को पढ़ कर गृह मन्त्रालय भारत सरकार को उचित कार्यवाही के लिए भेजा। जिसकी फाईल संख्या वी पी एस 01-01-2010(P) Dt. 2 दिसम्बर 2010 है। लेकिन पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायधीश श्री हेमन्त गुप्ता जी ने जांच करने के आदेश न करके उल्टा हरियाणा सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक के लेखक भक्त बसन्त दास के खिलाफ दबाव बनाने के उद्देश्य से दिनांक 07-12-2010 को संज्ञान लेकर पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' को आधार बनाकर No.22/2011 C.o.c.p. दायर कर दिया। क्योंकि भक्त बसन्त दास सन्त रामपाल दास जी का अनुयाई है और सन्त रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के खिलाफ C.o.c.p. 2123/ of 2010 दायर किया था। हमारे सतगुरु रामपाल दास जी महाराज द्वारा डाला गया मुकदमा C.o.c.p. 2123/ of 2010 पर तो इस जज श्री

हेमन्त गुप्ता जी ने कोई कार्यवाही की नहीं, क्योंकि यह चाहता था कि बसन्त दास अपने गुरु से कह कर मुकदमा उठवा देगा।

यह पुस्तक माननीय जज श्री हेमन्त गुप्ता जी को दिनांक 11-10-2010 को भेजी। कोर्ट में श्री हेमन्त गुप्ता जी जज ने भी स्वीकार किया है कि मुझे यह पुस्तक बहुत पहले मिली थी क्योंकि उनको रजिस्ट्री का काउंटर फाइल दिखाया गया था। इस जज महोदय ने दिनांक 07-12-2010 को इसके लेखक पर अवमानना का केस बना कर संज्ञान लिया। हमने हरियाणा के मुख्य सचिव तथा D.G.P. Haryana के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस इसी विद्ववान माननीय जज की अदालत में दायर किया तो सरकार से प्राप्त लाभ का प्रतिफल देते हुए पुस्तक के लेखक श्री बसन्त दास के नाम केस बनाया गया। यदि इस पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' में कोर्ट की अवमानना सम्बन्धित कोई आपत्तिजनक टिप्पणी थी तो उस समय इस माननीय एवं विद्वान जज ने केस क्यों नहीं बनाया, बाद में केस बनाकर अपनी नीचता का प्रमाण दिया है। यह पुस्तक भारत के सभी माननीय जजों को उसी समय भेजी गई थी। इस भ्रष्ट जज हेमन्त गुप्ता के अतिरिक्त किसी भी जज ने इस पुस्तक में लिखे विवरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्या वे जज नहीं हैं?

भक्त बसन्त दास जी के समर्थन में हमने पांच हजार शपथ पत्र दाखिल किए जिनमें लिखा गया है कि जो इस पुस्तक में लिखा है वह उसके लिए भक्त बसन्त दास अकेला जिम्मेदार नहीं है। हम सर्व ने मिलजुल कर इसको बताया तब यह पुस्तक लिखी गई है। हम सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए।

हमने इस पुस्तक में हमारे ऊपर हुए अत्याचार तथा अन्याय की जांच करने की प्रार्थना की है तथा उन भ्रष्ट जजों का चेहरा उजागर किया है, जिन्होंने अन्याय किया है।।

जब रोष्टर बदल गया तो यह केस जज सूर्यकांत जी के पास चला गया। यह सख्श इस पुस्तक में नामजद है। इसने भी हम पर

अन्याय किया है। इसने बौखला कर इसी पुस्तक के अवमानना केस में सन्त रामपाल दास जी का नाम भी डाल दिया। कानून के जानकारों ने बताया कि जज सूर्यकांत ने जानबूझ कर सन्त रामपाल जी का नाम केस में डाला था। यह सोच रहा था कि अगली पेशी तक रोष्टर बदल जाएगा। अगला जज इस आर्डर को नहीं बदल सकेगा और सन्त रामपाल दास जी महाराज को भी घसीटना चाहता था। लेकिन रोष्टर न बदलने के कारण, अगली पेशी पर हमारे वकील ने प्रार्थना की कि आपजी ने गलत आर्डर करके मुकदमा नं. **C.o.c.p. No. 2123 of 2010** के मुद्दई को दूसरे केस 'अवमानना' वाले में नामजद कर दिया। फिर इस अन्याई ने वह आर्डर बदला जो प्रमाण के लिए हमारे पास सुरक्षित है। इस सूर्यकान्त जज ने हमारे पांच हजार (**5000**) शपथ पत्रों को कार्यवाही में शामिल करने से मना कर दिया तथा कहा कि मेरी मर्जी हैं, मैं नहीं मानता। यह कह कर सर्व शपथ पत्र कैंसल कर दिए।

यह केस घूम-फिर कर फिर से जज श्री हेमन्त गुप्ता जी के पास चला गया। यह तो पहले से हरियाणा सरकार से लाभ प्राप्त है ही क्योंकि पहले इनके पिता श्री जितेन्द्र वीर गुप्ता पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्यन्यायधीश थे। श्री हेमन्त गुप्ता जी हरियाणा सरकार के **A.A.G.** रहे हैं। फिर ये जज लग गए। अब इसने अपने जीजा को हरियाणा सरकार की ओर से **A.A.G.** लगवा रखा है तथा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही इसको जज लगवा देंगे।

हमारा सुझाव हैं कि किसी भी **A.G.** या **A.A.G.** को जज नहीं लगाया जाना चाहिए। क्योंकि उसकी गुलामी और चापलूसी वाली मानसिकता समाप्त नहीं हो पाती। स्वतन्त्र वकील को पूरी जांच करके तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित को ही जज नियुक्त करना चाहिए।

अपने ऊपर किए गए हरियाणा सरकार के उपकार का लाभ सरकार को देने के लिए। इस भ्रष्ट माननीय जज ने केस का चार्ज संज्ञान लेकर फ्रेम कर दिया, स्वयं के पास कोई गवाह नहीं,

सरकार के पास कोई गवाह नहीं, हमारे से पूछा क्या आप गवाही कराना चाहते हो हमने कहा कि हम पीड़ित हैं हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसलिए हम गवाही कराना चाहते हैं। कोर्ट में मौखिक कहा कि आप गवाह ले आना तथा उनके नाम व शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करो। जब आर्डर निकलवाया तो आदेश में लिखा था कि केवल 5 (पांच) गवाह लाऐं। हमने बताया कि हमारे दो हजार (2000) गवाह हैं। पहले 5000 (पांच हजार) गवाह का शपथ पत्र दिया गया था तथा पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' में पार्टी बनने की भी इच्छा व्यक्त की थी। अब उनमें छांटकर कम से कम जितने कर सकते थे करके 2000 गवाहों की सूची हमने कोर्ट में दाखिल कर दी है। जज श्री हेमन्त गुप्ता जी ने कहा मैं आपकी 2000 गवाहों की अर्जी कैंसिल करता हूँ। तुम्हें मेरे आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो शौक से जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन भ्रष्ट जजों के हौंसले इतने बुलंद क्यों हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इन भक्तों के जितने केस हाई कोर्ट में लगे हैं, उनको खारिज किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही दिया है।

जिसकी जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। हम महादुःखी होकर आपसे इस पत्र के माध्यम से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आप जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, नहीं तो मजबूरन हम 12 लाख अनुयाई, देश के संविधान एवं कानून की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से पूरे देश में धरना व प्रदर्शन करेंगे, ताकि इस भ्रष्ट व अन्यायी जजों की कार्य प्रणाली को देश की जनता के सामने उजागर किया जा सके।

उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए मुकदमों की सुनवाई के समय साथ गये अन्य भक्त भी अपना शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। हमारा उद्देश्य किसी की निन्दा या मानहानि करने का नहीं है। हम मानते हैं कि अधिकतर जज ईमानदार तथा न्यायप्रिय हैं। हम सिर्फ संवैधानिक तरीके से हमारे साथ हो रहे अन्याय व

अत्याचार को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। क्योंकि हमें असंवैधानिक तरीके से तंग किया जा रहा है। इन अन्याई जजों के संगीन अपराध को देखते हुए, सख्त कानूनी कार्यवाही करके इन अन्याईयों को जज के पद से पदमुक्त किया जाए तथा अपराधिक मामला दर्ज करके जेल भेजा जाए ताकि आगे से कोई अन्य माननीय जज कानून के साथ खिलवाड़ न कर सके और किसी निर्दोष को तंग न कर सके व गरीब जनता को न्याय मिल सके। उपरोक्त घटनाओं के विषय में आप जब चाहे हम सर्व (सन्त रामपाल जी महाराज के 12 लाख अनुयाई) आपको सभी प्रमाण देने के लिए तैयार हैं।

जो भी सैशन जज रोहतक कोर्ट का कार्यभार सम्भालता है। उसको आर्यसमाजीयों को खुश करने के लिए मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी द्वारा कोई न कोई प्रलोभन दे दिया जाता है। जिस कारण से भ्रष्ट जज उस प्रलोभन में आकर अन्याय करके, हमें परेशान करते हैं। जो ईमानदार जज हैं। वे इस प्रलोभन में नहीं आते वे न्याय करते हैं। हमने अपने सर्व मुकदमों की सुनवाई हरियाणा राज्य से बाहर कराने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अर्जी लगाई थी। वह खारिज कर दी गई। हमारे को कहीं से भी राहत नहीं मिली। हमारे को बांध कर पीटा जा रहा है। इसमें न्यायालय के माननीय भ्रष्ट जज भी सहयोग दे रहे हैं।

दो भक्त तो पहले ही मानसिक सन्तुलन खो चुके हैं। एक वर्तमान में पागल होकर लापता है। उसके जिम्मेदार ये भ्रष्ट जज हैं जो 10-10 दिन की तारीख देकर परेशान कर रहे हैं, हम न तो घर का कार्य कर पा रहे हैं, न ही नौकरी पर या मजदूरी पर जा पाते हैं। इन निर्दयी भ्रष्ट जजों से पूछने वाला हो कि 10 दिन में जमानती कैसे किसी जमानत तोड़ने वाले को खोजकर ला सकता है। निजी स्वार्थ वश इनकी बुद्धि चल चुकी है। झूठे मुकदमों तथा छोटी-२ तारीखों के कारण सर्व भक्तों की मानसिक स्थिती खराब हो रही है, हम निर्दोषों को सताया जा रहा है। आपजी से पुनः प्रार्थना है कि हमें न्याय दिलाया जाए तथा हमारे मौलिक अधिकारो

की रक्षा की जाऐ। हमारे सर्व केस झूठे हैं। इन्हें खत्म किया जाए तथा भ्रष्ट जजों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए।

हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट जज निजी स्वार्थों के कारण भारतीय संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, यह कतई सहन नहीं करेंगे। ऐसे भ्रष्ट जजों से दुःखी होकर आप से यह प्रार्थना पत्र न्याय प्राप्ति तथा उचित कार्यवाही करने की आशा से भेज रहे हैं।

★ श्री सुभाष गोयल जी, माननीय सैशन जज श्री अश्वनी कुमार C.J.M. रोहतक कोर्ट (हरियाणा) तथा कुछ अन्य जजों के विषय में :-

श्री इन्द्रजीत मेहता के स्थानान्तरण के पश्चात् उनके स्थान पर सैशन जज श्री सुभाष गोयल जी ने रोहतक कोर्ट का पदभार सम्भाला। श्री सुभाष गोयल जी, जिन की कोर्ट में मुकदमा नं. 198/2006 चल रहा है तथा श्री अश्वनी कुमार C.J.M रोहतक जिन की कोर्ट में आश्रम करौंथा की जमीन का मुकदमा नं. 446/2006 विचाराधीन है तथा कुछ अन्य जजों की कार्य प्रणाली की जानकारी अगले पत्र में दी जाएगी।

हम सर्व भक्त जन प्रार्थना करते हैं कि पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' तथा इस पत्र (सच बनाम झूठ भाग-2) में लिखे सर्व विवरण की हम तायद करते हैं। हम इसके गवाह हैं। हम मानते हैं कि अधिकतर जज साहेबान, ईमानदार तथा न्यायप्रिय है। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की मानहानी करने का नहीं है। अपितु हमारे साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार की जानकारी देकर न्याय प्राप्त करना है। आप जी से पुनः प्रार्थना करते हैं कि समय रहते इन भ्रष्ट व्यक्तियों पर अंकुश लगाया जाऐ तथा सर्व मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार करके खारिज किया जाए अन्यथा हम सभी को संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हम पूर्ण आशा करते हैं कि आप हमें अवश्य न्याय दिलाऐंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस पत्र के साथ ''सच बनाम झूठ'' पुस्तक की एक प्रति दोबारा से आपके पास भेज रहे हैं। पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' में जितने भी न्यायधीश, राजनेता तथा प्रशासनिक अधिकारीयों का उल्लेख किया गया हैं तथा जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। उनकी जांच करने तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो समय आने पर हम सभी 12 लाख अनुयाई व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर शपथ पत्र भी देंगे।

प्रार्थी
सन्त रामपाल दास जी महाराज
के सर्व 12 लाख अनुयाई।

जज सुमित भल्ला जी (समराला कोर्ट पंजाब) की शिकायत के लिए हमने एक पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ को भेजा जो इस प्रकार है :-

विषय :- जज श्री सुमीत भल्ला जी समराला कोर्ट जिला-लुधियाना, पंजाब के भ्रष्टाचार तथा अन्याय का मुंह बोला उदाहरण।

श्रीमान् जी।

निवेदन है कि मैं प्रीतम सिंह (राजकपूर) पुत्र श्री रामेश्वर निवासी गांव इमलोटा, जिला-भिवानी, हरियाणा। हालाबाद 127 प्रेम नगर, हिसार का निवासी हूँ। मैं सन्त रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। भारतवर्ष में सन्त रामपाल दास जी महाराज के लगभग 12 लाख अनुयाई हैं। हम भगवान से डरने वाले हैं तथा जनता के हित के लिए हमने समाज सेवा समीति का भी गठन किया है। हमारे साथ जो निम्न अन्याय हुआ है, इसकी जानकारी सर्व भक्तों द्वारा बताई गई तो सबको बहुत आघात पहुँचा तथा हम सबने मिलकर यह पत्र लिखने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया। हम भारत के संविधान तथा न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि अधिकतर जज न्यायप्रिय तथा ईमानदार हैं। हमारे साथ हुआ अन्याय इस प्रकार है :-

मैं दिनांक 12-11-2013 को समराला कोर्ट में अपने साथी भक्तों के साथ पैरवी पर गया था। केस इस प्रकार है :- सरदार सूरजपाल सिंह ने एक पुस्तक बनाई ''धरती पर अवतार'' उसी ने लिखी, उसी ने छपवाई तथा वितरित करवाई। समाचार पत्रों में खबर छपी कि पुस्तक ''धरती पर अवतार'' में सिख गुरुओं की आलोचना की गई है। लेखक ने लिखा है कि यह पुस्तक संत रामपाल दास जी महाराज के ज्ञान के आधार से लिखी है। अधिकतर उसने अपने विचार को ही प्रमुखता दी है फिर भी उस पुस्तक में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे यह लगे कि किसी की भावना को ठेस लगी है। यदि कोई सिर फिरा व्यक्ति अपनी पुस्तक में लिख दे कि प्रधानमन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं चोर हूँ'' तो क्या कोई जज केवल इसी आधार पर ही (Suo motu) संज्ञान लेकर माननीय प्रधानमन्त्री जी पर मुकदमा चला देगा ? इस केस में जज श्री सुमित भल्ला जी ने कानून नहीं देखा, निजी स्वार्थ देखा है।

एक व्यक्ति ने किसी से सुनकर थाना समराला जिला-लुधियाना (पंजाब प्रान्त) में अर्जी दे दी की हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। जो इस सम्बंध में थाना समराला में मुद्दई के ब्यान पर F.I.R. U/P 295A, 120 B, I.P.C. दर्ज हुआ। जिसमें सन्त रामपाल दास जी महाराज तथा पुस्तक के लेखक सरदार सूरजपाल सिंह तथा पुस्तक बांट रहे भक्तों के नाम लिखे गए और केस का चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया। संत रामपाल दास जी महाराज का नाम इस केस में बिल्कुल झूठा है। उनका कोई दोष नहीं है। हमने एक प्रार्थना पत्र इस केस की जांच दोबारा करवाने के लिए S.S.P. Khanna को दी। जिसमें उन्होंने इस मुकदमें की तफतीश D.S.P. Samrala को दी। जो तफतीश आरम्भ की गई जिसमें पुलिस के सभी अधिकारीयों की तफतीश में संत रामपाल दास जी महाराज बिल्कुल निर्दोष पाये गये। पुलिस ने अपनी जांच में स्पष्ट कर दिया कि सन्त रामपाल दास जी का इस पुस्तक के लेखन व प्रकाशन में कोई दोष नहीं पाया गया। इनका नाम केस से निकाला जाए। जज महोदय ने कहा मैं नहीं मानता मुद्दई (मुख्य गवाह) को सम्मन

करके बुलाऊंगा। मुख्य गवाह ने बताया कि पहले मैंने पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ा था। जल्दी-२ में गलत फहमी में दरखास्त दे दी थी। अब ठीक से पढ़ा तथा प्रमाण मिलाए तो पता चला कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पुलिस ने जो जांच की है वह सही है। इसके पश्चात् भी भ्रष्ट जज श्री सुमित भल्ला जी को संतोष नहीं हुआ तथा कहा कि केस चलाऊंगा। पुलिस की जांच कैंसल करता हूँ। कारण यह है कि एक भक्त जो इस केस में जमानत पर है। दिनांक 12-11-2013 को पेशी के दौरान जज श्री सुमित भल्ला से विनय की थी कि हम निर्दोष हैं। हमारा कोई दोष नहीं है, सर जी! हमें माफ कर दो। जज ने कहा पांच बजे के बाद आना।

भक्त ने यह सारी बातें एक अन्य भक्त व मुझे बताई तो हम तीनों पांच बजे कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में जज साहेब अकेला बैठा था। उसने कहा कि ये बाबा लोग बहुत रूपये कमाते हैं। तुम्हारे महाराज को कहो दस लाख रूपये दें, उनका नाम केस से निकाल दिया जाएगा तथा तुम्हें भी बरी कर दूंगा। हमने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। हमारे गुरु जी वो बाबा नहीं हैं जो धन इक्ट्ठा करते हैं। वे तो सर्व पैसा भण्डारे (लंगर में) तथा आश्रम निर्माण में लगा देते हैं। महाराज जी को हम यह बातें कह भी नहीं सकते। फिर जज महोदय हंस कर कहने लगा कि ''मैं तो मजाक कर रहा था''। अगली तारीख दिनांक 03-12-2013 दी गई थी। जिसमें मुख्य मुद्दई जिसके नाम से F.I.R. काटी गई थी। उसको सम्मन किए गए। मुद्दई ने दिनांक 3-12-2013 को अपने ब्यान में स्पष्ट कर दिया कि मुझसे जल्दी में गलत फहमी में सर्व लिखा-पढ़ी हो गई। पुलिस की कार्यवाही से मैं सन्तुष्ट हूँ। मनोकामना पूर्ण न होने के कारण जज महोदय ने बौखला कर संज्ञान ले लिया कि धारा 295-A चालू रखूंगा।

भारतीय संविधान के अनुसार किसी प्राईवेट दरखास्त पर सरकार से प्रमिशन लिए बिना केस नहीं चलाया जा सकता तथा जज संज्ञान भी नहीं ले सकता। कमाल की बात है कि सरकार कह रही है कि सन्त रामपाल दास जी महाराज को जांच में निर्दोष

पाया गया। मुद्दई मुकदमा ने जो कहा वह ऊपर लिख दिया गया है। जो न्यायप्रिय जज होते हैं वह केस को समाप्त करते हैं। इस भ्रष्ट जज ने इसको और आग लगाई है। क्योंकि इसको पैसे की हवस है। इससे स्पष्ट है कि इस माया के भूखे भ्रष्ट व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण न होने के कारण इसने बौखला कर कानून को ताक पर रख दिया और नादिरशाही फरमान जारी कर दिया।

माननीय भ्रष्ट जज श्री सुमित भल्ला जी ने अपने आदेश क्रमांक 4430 दिनांक 03-12-2013 में लिखा है कि जो रिपोर्ट पुलिस ने बाद में न्यायालय में पेश की है। उसमें ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि सन्त रामपाल जी महाराज निर्दोष है। जबकि सर्व पुलिस अधिकारियों ने लिखा है कि हमने अच्छी तरह जांच करके सन्त रामपाल जी महाराज को निर्दोष पाया है। जिस रिपोर्ट को जज महोदय सही मानता है। उसमें सन्त जी को दोषी पाने का कौन सा प्रमाण लिखा है। केवल शिकायतकर्ता की दरखास को आधार मानकर चालान बनाया गया है।

यहां पर यह बताना हम अनिवार्य समझते हैं कि पुलिस ने पूछताछ के लिए हमारे गुरु जी को सम्पर्क करना चाहा तो गुरु जी महाराष्ट्र राज्य में सत्संग करने गए हुए थे। उनके साथ ही आश्रम के मुख्य सेवक भी गए हुए थे। जिस कारण से पुलिस हमारे से पूछताछ न कर सकी तथा गुरु जी के वारंट करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हमारे मुख्य भक्तों को पता चला तो वे समराला क्षेत्र के पुलिस कप्तान (जो खन्ना शहर में बैठते हैं) से मिले तथा केस की पुनः जांच के लिए प्रार्थना की पुलिस ने पुनः जांच करके स्पष्ट कर दिया कि सन्त रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं तथा जो वारंट सन्त रामपाल जी महाराज को किया था, उसे कैंसल किया जाए। उनके भक्तों से पूछताछ कर ली है तथा आश्रम से भी जो जानकारी चाहिए थी, वह प्राप्त करके जांच कर दी है। इसके पश्चात् वह वारंट जो जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने कराया था, वह अपने आप निरस्त हो गया। पुलिस ने भी उस कार्यवाही को बन्द करने की सिफारिश की है। भ्रष्ट जज सुमित

भल्ला उसी को आगे धसीट रहा है। इससे इसकी बदनीयत स्पष्ट होती है।

माननीय भ्रष्ट जज सुमित भल्ला ने रूपये प्राप्ति की हवस में अंधा होकर पुलिस की उस जांच को कैंसल कर दिया जो गहनता से की गई थी।

यदि जज महोदय की नीयत साफ होती तो पुस्तक ''धरती पर अवतार'' को पढ़ते फिर पुलिस की कार्यवाही को कैंसिल करते, बिना पुस्तक को पढ़े जज श्री सुमित भल्ला जी ने नादिरशाही फरमान जारी कर दिया कि पुलिस की जांच को तथा मुख्य मुद्दई मुकदमा के ब्यान को मैं नहीं मानता। इससे स्पष्ट है कि जज महोदय का ईरादा क्या है ?

दिनांक 3-12-2013 को जज श्री सुमित भल्ला जी ने जो आदेश पारित किया है तथा जिस सुप्रिम कोर्ट के निर्णय का हवाला लेकर पुलिस कार्यवाही को कैंसिल किया है। उसका न तो पूरा नं. ही दिया है तथा न ही यह मुकदमा उस मुकदमें से मेल खाता है। क्योंकि उस मुकदमें में केवल पुलिस की कार्यवाही थी। जबकि हमारे मुकदमें में मुद्दई का ब्यान भी है कि मैं पुलिस जांच से संतुष्ट हूँ तथा यह केस धारा 295-A है न कि अन्य। यहां पर पुलिस कार्यवाही को सुप्रिम कोर्ट के निर्णय के आधार से कैंसिल नहीं किया जा सकता। यह सब जज साहब की रूपयों की हवस पूरी न होने का परिणाम मात्र है।

माननीय जजों को स्वयं संज्ञान (Cognizance) लेने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु भ्रष्ट जज इसका दुरूपयोग करते हैं तथा ईमानदार व न्यायप्रिय माननीय जज इसका सदुपयोग करते हैं। आप से प्रार्थना है कि इस भ्रष्ट जज सुमित कुमार भल्ला ने इस सारे मुकदमें को कैंसल करने के लिए दस लाख की डिमांड की। यह जनता का दुश्मन व भ्रष्टाचारी जज है। इसको इस पद पर न रखा जाए तथा तुरंत प्रभाव से बरखास्त किया जाए व इसके खिलाफ रिश्वत मांगने का मुकदमा चलाया जाए। जांच के समय हम तीनों शपथ पत्र भी देगें कि इस भ्रष्ट जज ने हमसे दस लाख रूपये की मांग की। इसके करतूतों के सबूत इसके गलत आदेश हैं जो

इसको दोषी करार देने के लिए पर्याप्त है। जो इसने पुलिस की तफतीश को नहीं माना तथा न ही मुद्दई मुकदमा के ब्यान की अहमियत समझी। धारा 295-A की मंजूरी तक नहीं है, फिर भी यह भ्रष्ट व्यक्ति पैसे न मिलने से बौखला कर अन्याय कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट, मुद्दई के ब्यान व जज के आदेश की कॉपी साथ संलग्न है।

आप जी से प्रार्थना है कि इस भ्रष्ट जज पर कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि न्यायालय की गरिमा बरकरार रह सके तथा गरीब जनता को न्याय मिल सके।

भारत की जनता से नम्र निवेदन

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति भारत देश की जनता से प्रार्थना करती है:-

★ न्यायालय पर अधिकतर व्यापारियों (Businessmen) तथा उच्च अधिकारियों के घरानों का कब्जा है। जिनका मूल उद्देश्य ही धन कमाना रहा है। (कुल 106 परिवार ही न्यायालय में कार्यरत रहे हैं - एक समाचार पत्र में ब्यान) फिर भी परमात्मा ने जो इनके भाग्य में लिखा है, वह इन्हें प्राप्त है। हमें कोई द्वेष नहीं परंतु इनको पटरी पर चलने के लिए विवश किया जाएगा ताकि ये गरीब-असहाय जनता को सता कर अपने कर्म खराब न करें।

★ इस ''प्रमाणित भ्रष्टाचार पत्र'' में लिखे प्रमाणों को पढ़ें, यदि आप जी को लगे कि सचमुच संविधान में कुछ फेर बदल की आवश्यकता है और राजनेताओं तथा प्रशासनिक अधिकारीयों के साथ-२ जज साहेबानों पर नियंत्रण की आवश्यकता है तो प्रत्येक जागरूक नागरिक देश तथा देश की जनता के हित को मध्यनजर रखकर पत्र में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए अपना अनुरोध पत्र द्वारा निम्न माननीय पदाधिकारीयों को सुझावों की फोटोकॉपी साथ संलग्न करके अवश्य भेजे ताकि सरकार को समय की आवश्यकता का पता चले और नया कानून बन सके।

आप जी ने केवल इतना लिखना है:-

सेवा में,

प्रधानमंत्री जी,

भारत सरकार

नई दिल्ली।

विषय :- राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा दिए गए सुझाव को लागु करने के लिए प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा भेजे गए सुझाव जायज हैं, समय की आवश्यकता है। इन्हें लागू करने की कृपा करें।

अपना पूरा पता भी लिखें। इसके अतिरिक्त आप अपना कोई सुझाव भी लिख सकते हैं तथा इन सुझावों की फोटोकापी भी साथ लगाऐं तथा ''प्रमाण सहित भ्रष्टाचार'' पत्र की फोटोकापी आप अपने पास रखें, यह न भेजें जो अलग से आप को भेज रहे हैं। इसको आप स्वयं पढ़ें तथा दो-चार अपने मित्रों को पढ़ाएं, उनकी राय भी भिजवाएं।

आप जी हमे भी सूचित करें कि हमने सुझाव भेज दिए हैं। आप जी निम्न सम्पर्क सूत्रों पर S.M.S. करें।

यदि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने के लिए कमर कसें और हमारा साथ दें।

कृपया इस पत्र के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी अवश्य दें।

पत्राचार के लिए :-

बलवान सिंह शास्त्री

गाँव-बालक

तहसील-बरवाला

जिला-हिसार प्रान्त-हरियाणा

धन्यवाद।

यह प्रार्थना पत्र निम्न माननीय, आदरणीय अधिकारियों को भी प्रेषित है :-

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय (भारत गणराज्य)

2. माननीय उपराष्ट्रपति महोदय (भारत गणराज्य)

3. माननीय प्रधानमन्त्री महोदय (भारत सरकार)

4. माननीय गृह मन्त्री जी (भारत सरकार)

5. कानून मंत्री (भारत सरकार)

प्रार्थी

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के सर्व 10 लाख सदस्य

(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर-राजनीतिक संस्था है।)

सम्पर्क सूत्र :- 09992373237, 09416296541, 09416296397, 09813844747

Sr	Name	Sign.
1	Amitabh Sintoria	
2	Ravendra Singh	
3	Anoop Bohra	
4	Puneet Siwach	
5	Sombir Sehrawart	
6	Kashmir Singh	
7	Raj Kumar	
8	Manoj Sheoran	
9	Ram Rattan	
10	Bir Singh	
11	Ramdatt	
12	Ram Niwas	
13	Yogesh Kumar	
14	Neeraj	
15	Sanjay Sharma	
16	Vivek Mohan	
17	Jandail Singh	
18	Rampal	
19	Girish	
20	Lekhram	
21	Vinod kumar	
22	Omprakash	
23	Rajinder	
24	Deviram	
25	Joginder	

Sr	Name	Sign.
26	Hira Lal	
27	Bhagirath Chauha	
28	Sanjay Kumar	
29	Rakesh Dhawar	
30	Suresh Kumar	
31	Suresh Chander	
32	Lakhvir Singh	
33	Gajraj Meena	
34	Surender Kumar	
35	Ishwar Singh	
36	Pir deep kumar	
37	Subhash	
38	Anil Lalwani	
39	Kalyan Bharti	
40	Narsi	
41	Avdhesh Khare	
42	Krishan	
43	Rajender	
44	Pappram	
45	Nilesh Bahire	
46	Rakesh Bharti	
47	Pankaj Bansal	
48	Anand Singh	
49	Manish Walia	
50	Deepak Kumar	

Sr	Name	Sign.
51	Bijender	
52	Ranbir Dass	
53	Om Prakash	
54	Ajmer	
55	Dharambir	
56	Manveer	
57	Sultan	
58	Chand Rathi	
59	Rammehar	
60	Vijay Singh	
61	Amit	
62	Mahender	
63	Naveen	
64	Jashbir Singh	
65	Raj Kumar	
66	Bhoop Singh	
67	Sandeep	
68	Rajneesh	
69	Ravi Kumar	
70	Ramesh	
71	Sanjeev	
72	Satish Kumar	
73	Ravinder	
74	Ravinder	
75	Satyadev	
76	Neeraj Dass	
77	Manoj	
78	Pradeep	
79	Vijay Singh	
80	Heera Lal	
81	Jashmer	
82	Naib Singh	
83	Raj Kumar	
84	Sandeep	
85	Kulvir	
86	Rahul	
87	Praveen	
88	Dalbir Singh	
89	Jai Kanwar	
90	Ishwer	

Sr	Name	Sign.
91	Ranbir Dass	
92	Tej Singh	
93	Ramesh	
94	Randhir Singh	
95	Aashish	
96	Prithwi	
97	Om Prakash	
98	Guljari	
99	Vinod	
100	Pawan	
101	Ankit	
102	Mannu Pannu	
103	Anuj	
104	Balram	
105	Ajay Boora	
106	Mangal	
107	Ajay	
108	Dinesh	
109	Prateek	
110	Sumit	
111	Vikas	
112	Ravinder	
113	Gaurav	
114	Deepak	
115	Vikas	
116	Ansul	
117	Naveen	
118	Somraj	
119	Vivek	
120	Rajat	
121	Harkesh	
122	Sandeep	
123	Deepak	
124	Manoj	
125	Pradeep	
126	Telu Ram	
127	Chattar Singh	
128	Jai Bhagwan	
129	Chaman Lal	
130	Santosh	

Sr	Name	Sign.
131	Ram Niwas	रामनिवास
132	Lekhraj	[illegible]
133	Deepak	[illegible]
134	Bhupesh	[illegible]
135	Nirmal	निर्मल सिंह
136	Sanju	संजू
137	Aalok	अलोक दास
138	Taula Ram	तुलाराम
139	Ajay	अजय
140	Jai Praksh	[illegible]
141	Ashok	अशोक कुमार
142	Satpal	सतपाल
143	Sunil	Sunil
144	Naresh	Nareshkumar
145	Balvinder	Balvinder Kumar
146	Dalsher	Dalsher
147	Pawan	[illegible]
148	Dheeraj	[illegible]
149	Sunil	Sunil Kumar
150	Jagdish	जगदीश
151	Sandeep	Sandeep
152	Prem	Prem Singh
153	Subhash	सुभाष चन्द्र
154	Vishambhar Dayal	विशम्बर दयाल
155	Ram Kishor	रामकिशोर
156	Parmod	प्रमोद
157	Naresh	नरेश दास केवार
158	Manjeet	मनजीत दास
159	Kamal	कमल दास
160	Karan Singh	कर्ण सिंह
161	Sishpal	शी गोपाल
162	Fool Singh	फूलसिंह मीणा
163	Umed	उमेद दास
164	Jagdish	जगदीश प्रसाद
165	Onm Parkash	ओमप्रकाश
166	Sukhbir	सुखबीर
167	Roshan	Roshanlal
168	Parhladh	Pralad Dass
169	Hargovind	हरगोविन्द
170	Maan Singh	मानसिंह

Sr	Name	Sign.
171	Devandar	देवन्द्र
172	Lal Chand	गोलचन्द
173	Vishi Chand	विशीचन्द
174	Satendar Singh	[illegible]
175	Dilip	दिलीप कुमार
176	Parbhu Dayal	प्रभुलाल
177	Kllu Ram	कल्लूराम
178	Bar Singh	बरसिंह
179	Santosh	सन्तोष दास
180	Ramsavroop	[illegible]
181	Kapil	Kapil Sahal
182	Sanjay	Sanjay
183	Hari Ram	[illegible]
184	Jai Bhagwan	जय भगवान
185	Sukhdev	[illegible]
186	Ashok	अशोक [illegible]
187	Bheem Singh	भीमसिंह
188	Dilbag	दिलबाग दास
189	Ravindar	Ravinder
190	Mahaveer	महावीर
191	Sombeer	Sombir
192	Karishan	Krishan
193	Rampal	रामपाल
194	Dharamveer	धर्मवीर
195	Parveen	Parveen
196	Kailash	कैलाश
197	Harpal	हरपाल
198	Charan	चरण दास
199	Gopi Lal	गोपीलाल
200	Mon Singh	मोहनसिंह
201	Sansbir	[illegible]
202	Dilbir	दिलबीर
203	Anil	[illegible]
204	Babu Singh	बाबूसिंह
205	Ramdhari	[illegible]
206	Ravi Shanker	रवि शंकर
207	Rakesh	Rakesh Dass
208	Rammehar	Rammehar
209	Rakesh	Rakesh Kumar
210	Anil	[illegible]

Sr	Name	Sign.
211	Anil	Anil Ress
212	Shyam	Shyam
213	Papu	पप्पू
214	Dhanraj	धनराज
215	Prakesh	प्रकाशदास
216	Hoop Singh	हूब सिंह
217	Buddha Ram	बुधाराम
218	Bheirav Singh	Bhekh
219	Gowardhan	गोवर्धनराम
220	Sugam Chand	Sugan Chand
221	Ram Krishan	L.T.-1
222	Khanga Ram	खंगाराम
223	Suwa Lal	सुवा लाल
224	Jagdish	जगदीश
225	Bansidar	बंशीधर
226	Malaram	मालाराम
227	Shanker Lal	शंकर लाल
228	Bansi Lal	बंशीलाल
229	Mahaveer	महावीर
230	Ram Narayan	राम नारायण
231	Dinesh	दिनेश दास
232	Raj Kumar	राजकुमार दास
233	Satnam	सतनाम सिंह
234	Ramesh	Ramesh
235	Vijay	vijay kumar
236	Ganga Singh	Ganga Singh
237	Gulab Singh	गुलाबसिंह
238	Ram Kripal	रामकृपाल दास
239	Veer Singh	वीरसिंह
240	Mohan	mohan Lal
241	Sanjay	Sanjay Kumar
242	Mahaveer	महावीर सिंह
243	Laxmi Narayan	लक्ष्मीनारायण
244	Devender	देवेन्द्र दास
245	Rajesh	राजेशदास
246	Raj Kumar	राजकुमार
247	Shambhu Nath	Shambhu nath Jat
248	Dharmpal	Dharmpal
249	Sunil Kumar	सुनील कुमार
250	Kaptan	Kaptan

Sr	Name	Sign.
251	Ravinder	रविन्द्र
252	Katar Singh	कटार सिंह
253	Jagmohan Shari	Jagshan
254	Bijender Singh	बिजेन्द्र सिंह
255	Subhash	Subhash Chandra
256	Gajender Singh	Gajender Singh
257	Hari ram	Hari
258	Ved Pal	Ved pal
259	Om Parkash	L.T.-1
260	Argovind	हरगोविन्द
261	Chitar Mal	चीतर मल
262	Santosh Kumar	सन्तोष कुमार
263	Naresh	नरेश
264	Vijay	विजय
265	Mohan Lal	मोहन लाल
266	Dalla Ram	दल्लाराम
267	Vajir	वजीर
268	Sukbir Dass	सुखबीर
269	Chitar Ram	L.T.-1
270	Kajju Ram	कज्जूराम
271	Jagdish	जगदीश
272	Dahara Singh	दियारा
273	Mali Ram	मालीराम
274	Ramesh Kumar	रमेश कुमार
275	Kuldeep	Kuldeep
276	Ajit Singh	Ajit
277	Nitu Ram	Nitu Ram
278	Anil Kumar	Anil Kumar
279	Lala Ram	[illegible]
280	Nityanand	[illegible]
281	Durga ram	दुर्गाराम
282	Suresh Kumar	सुरेश कुमार
283	Hari Om	Hari
284	Ramphal	रामफल
285	Nabal Kishore	Nawal Kishor
286	Panchu Lal	Panchu
287	Om Parkash	ओमप्रकाश
288	Dhara Singh	Dara Singh
289	Ram Bhaj	रामभज
290	Pryag Gupta	प्रयाग गुप्ता

Sr	Name	Sign.	Sr	Name	Sign.
291	Som Nath	सोमनाथ	331	Jethu Ram	जेठूराम
292	Ram Sarup	रामस्वरूप	332	Durga	दुर्गा सिंह
293	Mulayam	मुलायम दास	333	Dhanraj	[illegible]
294	Ghan Shyam	घनश्याम दास	334	Ashok	अशोक
295	Rishala Dass	रिशाला दास	335	Ram Bihari	राम बिहारी
296	Gurmeet	गुरमीत सिंह	336	Sisa	शीशा दास
297	Bhoop Singh	भूप सिंह	337	Rajender	राजेन्द्र
298	Jag Mohan	जगमोहन	338	Beeru	बीरू
299	Karnail Singh	Karnail Singh	339	Sanjay	संजय दास
300	Ashok Dass	अशोक राम	340	Hoshiyar	[illegible]
301	Om Prakash	Om Prakash	341	Sumer	सुमेर दास
302	Lalu Ram	लालू राम	342	Sanjay	Sanjay
303	Jairnail	जरनैल सिंह	343	Balwan Singh	बलवान सिंह
304	Barhm	ब्रह्म सिंह	344	Roshan Lal	रोशन लाल
305	Rohtash	रोहतास	345	Anil	Anil Singhowa
306	Randhawa	रणधावा	346	Anil	Anil Kumar
307	Jag Singh	[illegible]	347	Ajmer	अजमेर
308	Om Prakash	ओमप्रकाश	348	Dewa Prasad	देवा प्रसाद
309	Jagdish	Jagdish Singh	349	Balraj	Balraj
310	Kaptan	कप्तान	350	Dharmpal	धर्मपाल दास
311	Rajesh	राजेश	351	Rajesh	राजेश कुमार
312	Moti Ram	मोती लाल	352	Jayprakash	जयप्रकाश
313	Savroop	सरूप राम	353	Rameshwar	Ramesh
314	Lal Chand	लालचन्द	354	Ghansyam	घनश्याम
315	Kuldeep	Kuldeep	355	Hemraj	[illegible]
316	Nathu Ram	नाथूराम	356	Subhash	सुभाष
317	Om Prakash	ओम प्रकाश	357	Narendar	नरेन्द्र दास
318	Ramesh	रमेशकुमार	358	Sokin	Shokeen
319	Mahender Singh	महेन्द्र सिंह	359	Gopal	Gopalkumar
320	Rajender	राजेन्द्र	360	Vikash	[illegible]
321	Daya Ram	दयाराम दास	361	Raghuraj	Raghuraj
322	Pramod	[illegible]	362	Ram Sharestha	रामशरेष्ठ दास
323	Ashok	अशोक	363	Maniram	मनीराम सैनी
324	Sohan Lal	सोहन लाल	364	Omparkash	Omparkash
325	Narayan	नारायण सिंह	365	Jagga Das	Jagga Das
326	Devender	देवेन्द्र पाल	366	Pardeep	Pardeep
327	Raj	राज	367	Suresh	Suresh Kumar
328	Ganesh	गणेश दास	368	Manoj	Manoj Kumar
329	Kishan Lal	कृष्ण दास	369	Hemand	Hemant
330	Sunil	सुनील कुमार	370	Vikram	[illegible]

Sr	Name	Sign.
371	Ramniwas	रामनिवास
372	Vikrant	Vikrant
373	Parbhu Ram	
374	Lakhvindar	लखविन्दर सिंह
375	Subhash	Subash Yadav
376	Harishit	Harishit
377	Dharam	धर्मपाल
378	Parbhati Lal	
379	Bhusan Kumar	
380	Kalu Ram	कालूराम
381	Sant Ram	Sant Ram
382	Hemraj	हेमराज
383	Laxman	लक्ष्मण
384	Rajkumar	राजकुमार
385	Anirudh	अनिरुद्ध दास
386	Rajesh	Rajesh.
387	Satpal	
388	Raman	रमन कुमार
389	Manish	
390	Sobharan	शोभरन दास
391	Naveen Kumar	Naveen
392	Jagdish	जगदीश लोहार
393	Sankar	
394	Angrej	अंग्रेज
395	Vishal	
396	Tika Ram	
397	Sunil	Sunil Kumar
398	Dasrath	
399	Udya	उदय राम
400	Baljeet	बलजीत दास
401	Rajesh	राजेश दास
402	Murari	मुरारी दास
403	Devindar	देवेन्द्र दास
404	Laxman	लक्ष्मण प्रसाद
405	Mohan Lal	मोहनलाल
406	Rupan Narian	रूपनारायण
407	Radhe Sdyam	राधे श्याम
408	Sri Niwas	श्रीनिवास
409	Rajendar	राजेन्द्र पटेल
410	Shiv Charan	शिवचरण सिंह

Sr	Name	Sign.
411	Santosh	संतोष कुमार गोंड
412	Bhupendar	भूपेन्द्र सिंह
413	Sikandar	सिकन्दर सिंह
414	Ashik	आशीक ध्रुव
415	Kesar	केसर धीवर
416	Rajendar	राजेन्द्र कुमार
417	Pawan	Pawan Das
418	Satish	सतीश दास
419	Viresh	वीरेश दास
420	Dharam Jeet	Dharajeet
421	Lal Das	लाल दास
422	Vinod	विनोद
423	Rambhajan	रामभजन दास
424	Suresh	सुरेश
425	Pritam	Pritam
426	Badri Lal	बदरीलाल
427	Rajvir	Rajbir
428	Sulatan	सुलतान
429	Santosh	सन्तोष दास
430	Amar	अमर
431	Jagdish	जगदीश दास
432	Raju	Rajuram
433	Devindar	देवेन्द्र
434	Nagendar	नागेन्द्र
435	Baljeet	Baljit Singh
436	Kashmir	Kashmir
437	Satendar	सतेन्द्र कुमार
438	Rampal	
439	Ravi Kant	रविकान्त
440	Bhopal	Bhopal Kanishan
441	Rampal	
442	Nand kisor	नन्द किशोर
443	Hari Singh	
444	Vishal Rajenda	Vishal
445	Rajendar	राजेन्द्र पाल
446	Satbir	सतबीर
447	Chandar Kant	Chandrakant
448	Dhani Ram	धनीराम
449	Mukesh	Mukesh
450	Rakesh	Rakesh Kumar

Sr	Name	Sign.
451	Arun Kumar	अरुण कुमार
452	Sunil Kumar	Sunil Kumar
453	Jagdish	जगदीश
454	Rajkumar	राजकुमार
455	Jhavr Lal	झावर लाल
456	Mohit Rajbhar	मोहित राजभर
457	Ashok Kumar	Ashok Kumar
458	Jagdish	जगदीश
459	Narendar	नरेन्द्र
460	Llu Ram	लल्लू राम
461	Shri Karishan	श्री कृष्ण
462	Munna Lal	मुन्नालाल
463	Vishram Singh	विश्रामसिंह
464	Ram Niwash	रामनिवास
465	Rakesh	Rakesh
466	Raja Ram	राजाराम
467	Bhagwan	श्री भगवान
468	Budha Ram	बुद्धाराम
469	Sant Ram	सन्तराम
470	Rajbir	राजबीर
471	Raghbeer	रघुबीर
472	Nirmal	निरमल दास
473	Gopal	L.T.I.-
474	Ram Niwash	रामनिवास
475	Ram Chander	रामचन्दर
476	Bijendar	बिजेन्द्र
477	Bharat Lal	भरत लाल
478	Lal Chand	लाल चन्द
479	Ram Ashre	राम आसरे
480	Mangal	मंगल सिंह
481	Ram Kheladi	राम खिलाड़ी
482	Mahendar	महेन्द्र
483	Ganesh	गणेश
484	Satpal	सतपाल
485	Sunil Kumar	सुनील कुमार
486	Babu Lal	बाबूलाल
487	Rakesh	राकेश
488	Nem Chand	L-T-I
489	Jagbir	[illegible]
490	Siya Ram	सियाराम

Sr	Name	Sign.
491	Sonu	सोनू
492	Bhalle	[illegible]
493	Karishanpal	[illegible]
494	Chandrika	चन्द्रिका दास
495	Shiv Sagar	शिव सागर
496	Roop Ram	Roop Ram
497	Rajesh	राजेश कुमार
498	Ramchet	Ramchet
499	Kapil dev	कपिलदेव दास
500	Satbir	Satbir Singh
501	Amitabh Sintoria	Amit Sintoria
502	Ravendra Singh	Ravendra Singh
503	Anoop Bohra	Anoop
504	Puneet Siwach	Puneet Siwach
505	Sombir Sehrawart	[illegible]
506	Kashmir Singh	कश्मीर सिंह
507	Raj Kumar	[illegible]
508	Manoj Sheoran	Manoj
509	Ram Rattan	Ram Rattan
510	Bir Singh	[illegible]
511	Ramdatt	Ramdatt
512	Ram Niwas	Ramniwas
513	Yogesh Kumar	Yogesh Kumar
514	Neeraj	नीरज
515	Sanjay Sharma	Sanjay Sharma
516	Vivek Mohan	[illegible]
517	Jandail Singh	Jandail Singh
518	Rampal	रामपाल
519	Girish	[illegible]
520	Lekhram	लेखराज
521	Vinod kumar	[illegible]
522	Omprakash	[illegible]
523	Rajinder	Rajinder Dass
524	Deviram	[illegible]
525	Joginder	Joginder
526	Hira Lal	[illegible]
527	Bhagirath Chauha	[illegible]
528	Sanjay Kumar	Sanjay
529	Rakesh Dhawar	राकेश
530	Suresh Kumar	Suresh Kumar

Sr	Name	Sign.
531	Suresh Chander	
532	Lakhvir Singh	Lakhvir Dass
533	Gajraj Meena	Gajraj meena
534	Surender Kumar	सुरेन्द्र
535	Ishwar Singh	
536	Pir deep kumar	
537	Subhash	सुभाष
538	Anil Lalwani	
539	Kalyan Bharti	कल्याण भारती
540	Narsi	Narsi
541	Avdhesh Khare	अवधेश खारे
542	Krishan	कृष्ण
543	Rajender	राजेन्द्र
544	Pappram	
545	Nilesh Bahire	
546	Rakesh Bharti	राकेश
547	Pankaj Bansal	
548	Anand Singh	Anand Singh
549	Manish Walia	Manishkumar
550	Deepak Kumar	Deepak Kumar
551	Vinod Kumar	Vinod Kumar
552	Jagbir Singh	
553	Devi Ram	देवीराम
554	Subhash Chander	सुभाष चन्द्र
555	Naval Kishore	नवल किशोर
556	Rakesh Kumar	Rakesh Kumar
557	Tersem	तरसेम
558	Hawa Singh	हवासिंह
559	Ramesh kumar	रमेश कुमार
560	Rajesh	राजेश
561	Naresh	नरेश
562	Jai Bhagwan	जय भगवान
563	Rajinder Kumar	राजेन्द्र कुमार
564	Surender Kumar	Surender Kumar
565	Vishwas	
566	Shyam Patram	श्यामपत राम
567	Bablu Singh	बबलू सिंह
568	Mhabir Singh	महावीर सिंह
569	Deshraj	Deshraj
570	Anil Kumar	Anil

Sr	Name	Sign.
571	Ishwar Singh	Ishwar Singh
572	Ranjit Singh	Ranjit Singh
573	Satbir	सतबीर
574	Ram Kumar	राम कुमार
575	Pawan kumar	Pawan Kumar
576	Gutia ram	
577	Sehdev Kumar	सहदेव कुमार
578	Rampal	रामपाल
579	Krishan Kumar	Krishan Kumar
580	Ashok	Ashok
581	Angrej Singh	अंग्रेज सिंह
582	Naresh kumar	
583	Amir Singh	
584	Birender Singh	Birender
585	Bhagirath	भागीरथ
586	Karan Singh	करण सिंह
587	Bhagel Singh	बघेल सिंह
588	Pawan Kumar	पवन कुमार
589	Harish	Harish
590	OmiNath	ओमीनाथ
591	Dinesh	दिनेश सैनी
592	Raju	राजू
593	Bhanu Kumar	Bhanu Kumar
594	Mukesh Jangir	
595	Ghanshyam	घनश्याम
596	Gheru	
597	Sodan Ram	सोदनराम
598	Maharaj Singh	महाराजसिंह
599	Satya Narayan	सत्यनारायण
600	Radhay Shyam	राधेश्याम
601	Prahalad Das	प्रहलाद
602	Laxman Das	
603	Chetan Prakash	चेतनप्रकाश
604	Rajveer Das	राजवीरदास
605	Banshi Das	बन्शीलाल
606	Bajarang Das	बजरंग
607	Lal Chand	
608	Diwan Singh	दिवानसिंह
609	Ram Gopal	रामगोपाल
610	Praveen	प्रवीण

Sr	Name	Sign.
611	Ganga Vishan	गंगाविशन
612	Arvind	Arvind
613	Om Prakash	ओमप्रकाश
614	Satyapal	सत्यपाल
615	Sohan Lal	सोहनलाल
616	Suresh Kumar	सुरेश कुमार
617	Mangla Ram	मंगलाराम
618	Virma Ram	वीरमाराम
619	Om Prakash	ओमप्रकाश पाल
620	Giri Raj	[illegible]
621	Shishu Pal	शिशुपाल
622	Pavan	Pavan.
623	Sahiram	सहीराम
624	Suraj Kumar	सूरज कुमार
625	Vijay Singh	Vijay Singh
626	Ram Niwas	रामनिवास
627	Savarmal	सावरमल
628	Bherulal	[illegible]
629	Chena Ram	चेनाराम
630	Ram Das	रामदास
631	Ratan Lal	रतन लाल
632	Bhadar Ram	भादर
633	Purna Das	पूरन
634	Ramesh Chand	रमेश चन्द
635	Banwari	बनवारी
636	Ganesh Das	[illegible]
637	Dinesh	दिनेश
638	Nemichand	नेमीचन्द
639	Anup	[illegible]
640	Suman Das	[illegible]
641	Nemichand	नेमीचन्द
642	Khetaram	खेताराम
643	Hema Ram	हेमाराम
644	Murli Das	मुरली दास
645	Rajveer	राजवीर
646	Rekha Ram	रेखाराम
647	Chotha Ram	L.T.I
648	Mula Ram	मूलाराम
649	Subhash Das	सुभाष दास
650	Chetan	[illegible]

Sr	Name	Sign.
651	Devendra Das	Devinder Singh
652	Balwan Das	Balwan Singh
653	Mukesh	Mukesh Das
654	Dilbagh	दिलबाग सिंह
655	Krishna Kumar	Krishan Kr.
656	Devi Singh	Devi Singh
657	Moji Ram	मोजीराम
658	Dharambeer	
659	Laxman	लक्ष्मण
660	Om Prakash	ओमप्रकाश
661	Satbeer	सतबीर दास
662	Dharampal	धर्मपाल
663	Sonu	सोनू
664	Ranjeet	रणजीत सिंह
665	Sonu	Sonu
666	Tarif Singh	[illegible]
667	Kamaljeet	Kamaljeet
668	Jitendra Kumar	जितेन्द्र कुमार
669	Harnam	हरनाम
670	Tarachand	तारचन्द
671	Ram Chandra	[illegible]
672	Manful	मनफूल
673	Ram Aasre	R Aasre
674	Satendra	सतेन्द्र
675	Mani Ram	मनीराम
676	Baljeet Singh	बलजीत सिंह
677	Madan Das	मदनदास
678	Gurbachan Singh	Gurbachan
679	Sheetal Singh	शीतल सिंह
680	Kuldeep	Kuldeep Dass
681	Krishna	कृष्ण दास
682	Mulchand	L.T.I
683	Jagdish	[illegible]
684	Vijay	[illegible]
685	Sukhvindra	Sukhvindar Singh
686	Mahaveer	महावीर
687	Sukchen Das	सुखचैन
688	Ram Dayal	[illegible]
689	Rameshwar	[illegible]
690	Ramdhan Das	रामधन

Sr	Name	Sign.
691	Pappu Ram	पप्पूराम
692	Durga Ram	दुर्गाराम
693	Ratan Lal	रतनलाल
694	Chena Ram	चेनाराम
695	Bhanwar Lal	भंवर लाल
696	Suresh Kumar	[illegible]
697	Ram Lal	रामलाल
698	Gisa Lal	घीसालाल
699	Raymal	रायमल
700	Jagdish	जगदीश
701	Rajesh Kumar	Rajesh Kumar
702	Ramkumar	[illegible]
703	Dalip Singh	दलीप सिंह
704	Ompal	L.T.I.
705	Krishan	[illegible]
706	Kawal Singh	कवलसिंह
707	Krishan	कृष्ण
708	Ram Mehar	राममेहर सिंह
709	Kuldeep Singh	Kuldeep Singh
710	Balwant Singh	बलवन्त सिंह
711	Devender Kumar	Devender Kumar
712	Azad	आजाद
713	Rajpal Singh	राजपाल सिंह
714	Achhe Lal	अच्छे लाल
715	Showkaran	L.T.I.
716	Sanjay	संजय
717	Vinod Kumar	विनोद कुमार
718	Uyday Pal	उदयपाल
719	Suresh Das	[illegible]
720	Amit	अमित
721	Ramesh Chand	[illegible]
722	Amar Pal	अमरपाल
723	Lal Singh	Lal Singh
724	Jagdish Parsad	[illegible]
725	Kajod Mal	काजोड़मल
726	Hukma Ram	हुक्माराम
727	Vikas	विकास
728	Bharat	Bharat
729	Parshant	Parshant
730	Sunil Singh	सुनील सिंह

Sr	Name	Sign.
731	Vinod Kumar	[illegible]
732	Pulender Singh	पुलेन्द्र सिंह
733	Satyendra Yadav	[illegible]
734	Parkash Cahnd	P.Chand
735	Karamvir Singh	Karam Vir Singh
736	Ram Lal	[illegible]
737	Sandeep	Sandeep
738	Sunil	सुनील
739	Swaran Singh	Swaran Singh
740	Satish Kumar	Satish Kumar
741	Nanak Chand	नानकचन्द
742	Devender Kumar	देवेन्द्र कुमार
743	Satpal	[illegible]
744	Umeda Ram	उमेदाराम
745	Rajan Singh	राजनसिंह
746	Kuldeep Singh	कुलदीप सिंह
747	Vikas	Vikas
748	Satpal	सतपाल
749	Ram Dass	रामदास
750	Rup Singh	रूपसिंह
751	Ramratan	रामरतन
752	Shokeen	शौकीन
753	Prakash Chand	प्रकाशचन्द
754	Prahalad	प्रहलाद
755	Bijendra	[illegible]
756	Bhalaram	भालाराम
757	Kuldeep Kumar	कुलदीप
758	Vijendra	Vijendra Singh
759	Salim Das	सलीम दास
760	Ugma Ram	उगमाराम
761	Jivan Ram	जीवणराम
762	Prabhu Ram	प्रभूराम
763	Ravindra Kumar	[illegible]
764	Vijay Singh	[illegible]
765	Kosda Ram	कोसाराम
766	Bahadoor Singh	बहादुरसिंह
767	Dinesh	दिनेश
768	Devaram	देवाराम
769	Bhanwar Das	भंवर दास
770	Raju Ram	राजूराम

Sr	Name	Sign.	Sr	Name	Sign.
771	Ram Niwas	रामनिवास	811	Krishan Kumar	कृष्ण कुमार
772	Radheshyam	राधेश्याम	812	Mohan Lal	mohan
773	Karna Ram	L.T.I	813	Rakesh Kumar	राकेश कुमार
774	Balwan	बलवान	814	Goverdhan	गोवर्धन
775	Rajkumar	राजकुमार	815	Maniram	मानीराम
776	Prahalad	L.T.I	816	Tejaram	तेजाराम
777	Krishna Kumar	कृष्णकुमार	817	Ramesh Kumar	Ramesh
778	Harkesh	हरकेश	818	Suiresh kumar	Suresh Kumar
779	Hema Ram	हेमाराम	819	Madan Lal	मदनलाल
780	Bhanwara Ram	भंवराराम	820	Mahender Singh	[illegible]
781	Ratan Lal	रतनलाल	821	Rameshwar Lal	रामेश्वरलाल
782	Kamal Prakash	Kamal prakash	822	Vinod Sharma	Vinod Sharma
783	Sohan Rathor	सोहन राठौड़	823	Mahesh Chand	महेशचन्द गौड़
784	Hajari Ram	हजारीराम	824	Vinesh kumar	Vinesh Kumar
785	Sohan Lal	[illegible]	825	Kuldeep Singh	Kuldeep
786	Dharma Ram	धर्माराम	826	Suresh Kumar	सुरेश कुमार
787	Bheru Lal	भैरूलाल	827	Umesh Kumar	[illegible]
788	Bhura Ram	भुराराम	828	Prahlad Rai Mehra	प्रहलादराय मेहरा
789	Soma Ram	सोमाराम	829	Jodh raj Singh	जोधराजसिंह
790	Chatra Singh	छत्रसिंह	830	Chanderveer	चन्दवीर
791	Karna Singh	Karan Singh	831	Ranjeet	L.T.I
792	Dilbagh	दिलबाग	832	Bhagwan Ram	भगवानराम
793	Gajanand	गजानन्द चौधरी	833	Ram Chander	रामचन्द्र
794	Shankar Das	शंकर दास रबारी	834	Kheraram Das	खेताराम विश्वकर्मा
795	Gangaram Das	[illegible]	835	Jagdish Kesuthar	Jagdish
796	Ghewar Lal	घेवरलाल	836	Dargaram	दरगाराम
797	Banwari Lal	बनवारी	837	Chelaram	चेलाराम
798	Jassa Ram	जस्साराम	838	Bhanwar Lal	भंवरलाल
799	Ram Kumar	रामकुमार	839	Puran Chand	पूरण
800	Vaina Ram	वैनाराम	840	Manjit Singh	Manjeet Singh
801	Prem Chand	प्रेमचन्द	841	Rajinder Singh	राजेन्द्र सिंह
802	Muket Singh	मुकटसिंह	842	Kailash Kaushik	कैलाश कौशिक
803	Nagaram	नागाराम	843	Kishori Lal	किशोरीलाल
804	Raj Kumar	राजकुमार	844	Hawa Singh	हवासिंह
805	Arvind Kumar	अरविन्द कुमार	845	Karan Singh	करण सिंह
806	Monu Kumar	Monu Kumar	846	Naresh Kumar	Naresh
807	Jaldeep	Jaldeep Saini	847	Jai Singh	जयसिंह
808	Sachin	Sachin kumar	848	Ramesh Kumar	Ramesh
809	Amardass	अमरदास	849	Sehra Dass	शेरा दास
810	Ram kishan	रामकिशन	850	Rakesh Sharma	RSharma

Sr	Name	Sign.
851	Pradeep Kumar	प्रदीप कुमार
852	Brajesh Das	Gorekumar
853	Gore Lal	गोरेलाल
854	Vipin Kumar	विपिन कुमार
855	Rajveer Singh	Rajveer Singh
856	Gurcharan Singh	गुरचरणसिंह
857	Naval Kishore	L.T.I
858	Ramji Lal	रामजीलाल
859	Rajveer Singh	राजवीर सिंह
860	Ranveer Singh	रनवीर सिंह
861	Harvansh Singh	हरवंशसिंह
862	Indrapal Singh	इन्द्रपाल सिंह
863	Ajura	L.T.I
864	Devnath	देवनाथ
865	Kirana Ram	किशनाराम
866	Radheshyam	राधेश्याम
867	Pawan Kumar	पवनकुमार
868	Prakash	प्रकाश
869	Sahi Ram	सहीराम
870	Bhanwar Lal	भंवरलाल
871	Brijram Singh	ब्रजराज सिंह
872	Ramu	रामु
873	Hanshraj	हंसराज
874	Ratan Lal	रतन लाल
875	Rakesh Rana	Rakesh Rana
876	Ram Prakash	राम प्रकाश
877	Khisaj Nath	खिराजनाथ
878	Nand Kishor	नन्दकिशोर
879	Savan Kumar	सावन कुमार
880	Girdhari Lal	गिरधारीलाल
881	Prabhu Das	प्रभु दास
882	Sampat Das	सम्पत दास
883	Ram Kishan Das	रामकिशन
884	Indra Singh	इन्द्रसिंह
885	Shree Ram	श्रीराम
886	Rambabu	रामबाबुदास
887	Jabra Ram	जबरराम
888	Jitendra	जितेन्द्र दास
889	Vira Ram	वीरराम
890	Kailash	कैलाश

Sr	Name	Sign.
891	Resham Das	L.T.I
892	Duli Chand	दुलीचन्द
893	Daman Lal	दमनलाल
894	Surendra Kumar	सुरेन्द्र कुमार
895	Ram Lal	रामलाल
896	Maggaram	मगाराम
897	Rajesh Das	राजेश
898	Badra Das	L.T.I
899	Ravindra Das	रविन्द्र दास
900	Dharmendra Das	धर्मेन्द्र दास
901	Rajpal	राजपाल
902	Pawan Kumar	Pawankumar
903	Pradeep	Pradeep Kumar
904	Kamal Singh	Kamalsingh
905	Ramsarup	रामस्वरूप
906	Vinay	विनयदास
907	Vish Ram Singh	विश्राम सिंह
908	Sunil Ram	सुनीलराम
909	Surendra Singh	सुरेन्द्र सिंह
910	Janam Singh	जन्मसिंह
911	Nagendra Singh	[illegible]
912	Girdhari Lal	L.T.I
913	Mahendra Singh	महेन्द्रसिंह
914	Avedh Kishor	अवधकिशोर
915	Satveer	सतवीर
916	Krishna Kumar	कृष्ण कुमार गुप्ता
917	Tejpal Singh	तेजपाल सिंह
918	Hemant Kumar	हेमन्त कुमार
919	Mathura Prasad	मथुराप्रसाद
920	Labu Ram	लाबूराम
921	Manoj Kumar	Manoj Kumar
922	Gurmukh singh	Gurmukh Singh
923	Rohtash Kumar	Rohtash Kumar
924	Singara Ram	Shayeya Ram
925	Binda Prashad	बिन्दाप्रसाद
926	Ranjeet Singh	Ranjeet Singh
927	Bhuri Singh	भूरीसिंह
928	Jogendra	Jogendra
929	Tilak Singh	तिलकसिंह
930	Lal Singh	लालसिंह

Sr	Name	Sign.
931	Ram Kumar	राम कुमार
932	Vajeer Singh	वजीर सिंह
933	Chotu Ram	छोटू राम
934	Roop Lal	Roop
935	Dharampal	धर्मपाल
936	Jasbeer Singh	Jasbir Singh
937	Amit Soni	Amit Soni.
938	Kuldeep Singh	कुलदीप सिंह
939	Chandra Prakash	C. P. Dubey
940	Laxmi Narayan	लक्ष्मी नारायण
941	Bhagwan Das	भगवान दास
942	Surendra	Surender
943	Vasudev Singh	वासुदेव सिंह
944	Mahendra Singh	महेन्द्र सिंह
945	Suresh	सुरेश सिंह
946	Naveen	Naveen kumar
947	Gaje Singh	गजे सिंह
948	Rajendra	Rajendra
949	Vijendra	[illegible]
950	Duli Chand	Duli chand
951	Shubash	सुभाष
952	Anil Das	
953	Kuldeep	Kuldeep singh
954	Jagmohan	[illegible]
955	Mangat Ram	मंगत राम
956	Amar Singh	[illegible]
957	Hari Baghwan	[illegible]
958	Kalyan Das	कल्याण दास
959	Varnodavan	वृन्दावन दास
960	Sultan Das	सुल्तान दास
961	Baijnath	[illegible]
962	Pati Ram	पतीराम
963	Ram Kishor	[illegible]
964	Rajesh Das	Rajesh Das
965	Vidyadhar	Vidyadhar

Sr	Name	Sign.
966	Rajendar	राजेन्द्र कुमार
967	Yogender	योगेन्द्र [illegible]
968	Lakhmi	लखमी
969	Hari Shankar	हरिशंकर
970	Jagdish	[illegible]
971	Shailendra	Shailendra
972	Nanu Das	नानू दास
973	Ranhsote Das	रणछोड़ दास
974	Rampal Das	रामपाल दास
975	Neeraj	[illegible]
976	Sushil	सुशील
977	Shughar	[illegible]
978	Ram Niwas	Ramniwas
979	Bhisham Pal	भीषम पाल
980	Kalyan Das	कल्याण
981	Inderjeet	[illegible]
982	Bhanwar Lal	भंवरलाल
983	Rohit Das	Rohit
984	Nandlal	नन्दलाल
985	Hanshraj	हंसराज दास
986	Roshan	रोशन
987	Ganesh	गणेश
988	Mahesh	महेश
989	Rama Nand	Rama Nand
990	Ganeshi	गणेशी दास
991	Najar Singh	[illegible]
992	Mahavir	महावीर सिंह
993	Krishan	कृष्ण
994	Inder Singh	इन्द्र सिंह
995	Maniram	मनीराम
996	Udai	L.T.I
997	Krishan Lal	कृष्णलाल
998	Naresh	नरेशकुमार
999	Shyam Sunder	श्यामसुन्दर
1000	Bhur	[illegible]

अन्य कुल 10 लाख सदस्यों की सहमति